खण्ड-384, अंक-5
शनिवार, 8 फाल्गुन, शक संवत् 1909
(27 फरवरी, 1988 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 384 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1988

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
जनपद मुरादाबाद की तहसील हसनपुर के ग्राम मुरादपुर के मजरे द्वारा नगर के निवासियों को गंगा कटान के बाद आज तक न बसाए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1
जनपद आजमगढ़ में राजकीय खादी ग्रामोद्योग केन्द्र मधुबन द्वारा कर्मचारियों को वेतन न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1
लखनऊ जनपद के कुर्मांचल नगर, सर्वोदय नगर आदि में भीषण पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	2
जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	2
जनपद इलाहाबाद के चायल एव मझनपुर क्षेत्र में विकास के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	3
बलिया जनपद के सीयर क्षेत्र में बिजली के अभाव में नहरों में पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	3
बस्ती जिले के उत्तरांचल में नील गायों के द्वारा फसलों को नष्ट किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	4
नियम 301 की सूचनाओं को स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	4
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	5
विधायकों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा समय से न दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	6
राज्य सभा के सभापति से सम्बन्धित नियम 110 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय	6
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	7
नियम 291(क) के अन्तर्गत श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा सदन में अपना स्पष्टीकरण देने हेतु दी गयी सूचना	23
कार्य-स्थगन की सूचनायें (क्रमागत)	25
सदन में भोजनावकाश समाप्त करने का प्रस्ताव	38
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)	39
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव	46
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव	47
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चल रही चर्चा के समय राज्यपाल दीर्घा में अधिकरियों के अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	49
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)	50

	पृष्ठ सं0
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चल रही चर्चा के समय राज्यपाल दीर्घा में अधिकारियों के अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)	68
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत) . .	70
सदन में शिष्टाचार हेतु व्यवस्था का प्रश्न	74
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत) . .	78
विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं पर निर्णय	95
श्री मयंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गोंडा द्वारा क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर, गोंडा द्वारा अपमानित किए जाने के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	96
जनपद आजमगढ़ में खिचड़ी आपूर्ति में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी द्वारा सुसंगत उत्तर न दिए जाने के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	97
द्वितीय सत्र 1987 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 23 का शिक्षा मन्त्री द्वारा भ्रामक उत्तर दिए जाने के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	97
द्वितीय सत्र 1987 के दूसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 147 का स्वास्थ्य मन्त्री श्री लोकपति त्रिपाठी द्वारा भ्रामक उत्तर दिए जाने के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय . .	98
श्री जयदीप सिंह बरार, सदस्य, विधान सभा के सम्बन्ध में कांग्रेस(आई) विधान दल के नेता द्वारा अपेक्षित जानकारी समय से उपलब्ध न कराए जाने के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	99
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं	101

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक 27 फरवरी, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री निवास हुसैन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे--

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	मगल देव,श्री	गोंडा
अमर नाथ सिंह, श्री	फतेहपुर	महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	महेन्द्र भाटी,श्री	गाजियाबाद
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
अलमेलू अम्माल, कुमारी	बस्ती	मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	विलायती राम कल्याल, श्री	कानपुर
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
कुशल पाल सिंह, श्री	मथुरा	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा0	आगरा	वीरेन्द्र सोन,श्री	आगरा
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	शतरुद्र प्रकाश,श्री	वाराणसी
गजराज सिंह,श्री	गाजियाबाद	शिव बख्श सिंह राठौर, श्री	मैनपुरी
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव	शिवानन्द नौटियाल, डा0	चमोली
जगवीर सिंह, श्री	अलीगढ़	शेर बहादुर सिंह, श्री	फैजाबाद
दूधनाथ, श्री	जौनपुर	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
देव कुमार यादव, श्री	बांदा	संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
नानक चन्द्र आजाद, श्री	मेरठ	समरपालसिंह, श्री	मुरादाबाद
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सीता राम निषाद, श्री	फैजाबाद
पुष्कर सिंह, श्री	गढ़वाल	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
प्रभुदयाल, प्रधान	मेरठ	सुरेश चन्द्र श्री	नैनीताल
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर	सूर्य प्रताप शाही श्री	देवरिया
फरीद महफूज किदवाई, श्री	बाराबकी	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
फूल सिंह सौदाई, श्री	मुजफ्फरनगर	हरदेव, श्री	बलिया
बाबू सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
बालेश्वर, श्री	देवरिया		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद मुरादाबाद की तहसील हसनपुर के ग्राम मुरादपुर के मजरे दारा नगर के निवासियों को गंगा कटान के बाद आज तक न बसाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और शलाका द्वारा 7 स्वीकार हुई हैं । पहली सूचना श्री कौशिक रमाशंकर जी की, दूसरी सूचना श्री विष्णुदेव जी की, तीसरी सूचना माननीय भगौती सिंह जी की, चौथी सूचना हृदय नरायन दीक्षित जी की, पांचवीं सूचना ईश्वर शरण विद्यार्थी जी की, छठी सूचना श्री शारदानन्द अंचल जी की और सातवीं सूचना श्री हरिश्चन्द्र 'हरीश' जी की है । यदि सदन की सहमति हो तो . . .

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

नहीं, पढ़ी हुई मान ली जायं ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है ।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

श्री कौशिक रमाशंकर–

[मा0 अध्यक्ष जी, विधान सभा में अनेक बार जनपद मुरादाबाद की तहसील हसनपुर ग्राम मुरादपुर के मजरे दारा नगर के बाढ़ पीड़ितों को आवास स्थल आवंटित करने की मांग उठायी गयी है । शासन की ओर से आश्वासन भी दिया गया है किन्तु अनेक माह बीत जाने के बाद भी न तो उन्हें आवासीय स्थल आवंटित किया गया है और न ही कृषि योग्य भूमि प्रदान की गयी है, उसके कारण 40 परिवारों के सामने जीवन-मरण का प्रश्न बना हुआ है । श्रीमन् इतना ही नहीं मुरादपुर गांव की समाज की जमीन पर संबंधित लेखपाल एवं कानूनगो द्वारा नाजायज कब्जा कराके दूसरे गांवों के लोगों से पैसे लेकर, भूमि दी जा रही है ।

श्रीमन्, यह 40 परिवार अत्यन्त विपन्न स्थिति में है । सदन के माध्यम से, मैं शासन का ध्यान उसके द्वारा किए गए आश्वासनों की ओर आकर्षित करते हुए मुरादपुर गांव के मजरे दारानगर के रहने वाले विपन्न, बाढ़ से उजड़ा 40 परिवारों के शीघ्र पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग करता हूं ।]

जनपद आजमगढ़ में राजकीय खादी ग्रामोउद्योग केन्द्र मधुवन द्वारा कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विष्णु देव–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ में राजकीय खादी ग्रामोउद्योग केन्द्र मधुवन द्वारा संबंधित क्षेत्र के कई सौ बुनकरों को पिछले कई माह से मजदूरी न दिये जाने से उनके भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाने की स्थिति को सदन के संज्ञान

नोट:–[ ] अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

में लाना चाहता हूं । राजकीय खादी ग्रामोउद्योग केन्द्र मधुबन जनपद आजमगढ़ से पड़ोस के कई सौ बुनकर धागा ले जाते हैं और उसका कपड़ा बुनकर केन्द्र में जमा करके बुनाई मजदूरी प्राप्त करते रहे हैं । ये बुनकर भूमिहीन हैं और सिवाय बुनाई के मजदूरी के जीविका का कोई अन्य साधन नहीं है । विगत करीब चार माह से उन्हें मधुबन केन्द्र से मजदूरी न मिलने से उनमें भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर राजकीय खादी ग्रामोद्योग मधुबन आजमगढ़ द्वारा संबंधित बुनकरों को तत्काल उनकी मजदूरी दिलाये जाने की मांग करता हूं ।]

लखनऊ जनपद के कुर्मांचल नगर, सर्वोदय नगर आदि में भीषण पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगौती सिंह–

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । लखनऊ नगर के एक बहुत बड़े भाग कुर्मांचल नगर, सर्वोदय नगर, लिवटीं कालोनी मानस नगर आदि में जिनकी आबादी लगभग 30 हजार है भीषण पानी के संकट से गुजर रहा है । इस क्षेत्र में पीने का पानी केवल हैण्डपम्प से ही मिलता है जो इस वर्ष सूखे के कारण वह अत्यन्त नीचे की सतह में चला गया है जिसके कारण सभी हैण्डपम्प सूख गये हैं । डाक्टरों ने भी इस पानी को स्वास्थ्य के लिये हानिकारक बता दिया है । अतः यहां के रहने वाले लोगों के सामने संकट पैदा हो गया है ।

यहां के लोग लगातार सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है ।

अतः मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र की जनता की जीवन रक्षा के लिये पानी जैसे आवश्यक वस्तु की शीघ्रातिशीघ्र पूर्ति हेतु जल निगम के माध्यम से हल करने के लिये निर्देशित करने का कष्ट करेंगे ताकि आने वाली गर्मी में वहां के निवासी जीवित रह सकें ।]

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा में पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[मा0 अध्यक्ष, उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में सूखे के कारण पेयजल संकट लगातार गहराता ही जा रहा है, जानवरों तक के लिए पीने के पानी की समस्या हो गयी है, चौपई, बेलौरा, संकठा प्रसाद खेड़ा गोमापुर, दरहेटा, सहरावां काशीपुर आदि

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

असोहा ब्लाक के तथा करदहा, प्रसाद खेड़ा लउआ, संदाना, खानपुर, वहवा आदि हिलौली ब्लाक के ग्रामों और बचरौली, करौली डेला, ऊवगांवधिरजी खेड़ा जमूरपुर, दरेहटा आदि पुरवा ब्लाक के ग्रामों के कुंओं का पानी करीब सूख गया है । टाउन एरिया पुरवा-मौरावां में भी पेयजल संकट है । जल निगम की ओर से कोई हैण्डपम्प लगाने की व्यवस्था नहीं की गयी है । जानवरों के लिए भी तालाब नहीं भरवाये गये हैं ?

अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर पेयजल संकट के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद इलाहाबाद के चायल एवं मंझनपुर क्षेत्र के विकास के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

[मा0 अध्यक्ष जनपद इलाहाबाद में द्वाबा चायल संसदीय क्षेत्र आजादी के 40 वर्ष बाद भी अन्य क्षेत्रों के मुकाबले सार्वधिक पिछड़ा एवं औद्योगिक क्षेत्र में शून्य है । यह जनपद मुख्यालय से सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर फतेहपुर बांदा यमुना किनारा तथा प्रतापगढ़ से लगा गंगा किनारा के बीच में मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर सहित पांच विधान सभाई क्षेत्र में बंटा है जो आज भी जिला प्रशासन एवं शासन की उपेक्षा का शिकार बना हुआ है ।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र मझनपुर जो यमुना किनारा बांदा फतेहपुर से लगा हुआ मुख्यालय से 90 कि0मी0 दूर है । कोई भी अधिकारी तहसील मुख्यालय पर रहकर काम नहीं करता । यही कारण है कि मेरे क्षेत्र में परगना अधिकारी द्वारा सूखा राहत में कोई कार्य नहीं कराया गया । 20 सूत्री एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट के सारे काम अधूरे एवं ठप्प पड़े हैं । जिला प्रशासन भ्रष्ट लोगों को संरक्षण प्रदान कर मेरे क्षेत्र की पूर्ण उपेक्षा कर रहें हैं । ऐसी दशा में एक अलग जिला बनाने पर ही द्वाबा का विकास सम्भव है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर विनम्र अनुरोध करता हूं कि शासन शीघ्र मंझनपुर को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करें और द्वाबा को एक अलग जिला घोषित करने की कृपा करें ।]

बलिया जनपद के सीयर क्षेत्र में बिजली के अभाव में नहरों में पानी की कमी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदानन्द अंचल–

[मान्यवर, बलिया जनपद सीयर विधान सभा क्षेत्र में बिजली के अभाव व दोहरी घाट मुख्य नहर व उसकी शाखाओं के समय से व उपयुक्त पानी सिंचाई हेतु न दिये जाने से हो रही किसानों की भीषण बरबादी की ओर आपके माध्यम से राज्य सरकार व माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । बिजली की अभाव की

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

स्थिति व वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी से नलकूपों व शिफ्ट कनालों की क्षमता बेकार हो रही है । दूसरी ओर विद्युत बिलों के नाम पर उपभोक्ताओं की लूट हो रही है। सिंचाई के लिए पानी की समस्या से किसानों की व्यक्तिगत क्षति के साथ-साथ राष्ट्रीय क्षति हो रही है ।

अतः इस लोक महत्व के मामले को आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने तथा बाधक अधिकारियों के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

बस्ती जिले के उत्तरांचल में नील गायों के द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

[मान्यवर, बस्ती जिले के उत्तरांचल में विशेषकर राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदियों के बीच बहुत बड़ी संख्या में नीलगायों का प्रवेश हो गया है । यह नीलगायें जंगलों में शिकार करने वाले के भय से भागकर खेतों और मैदान में आ गयी हैं । विगत तीन वर्षों से मैं स्वयं देख रहा हूं कि 10-15 की संख्या में ये नील गाय कई झुण्ड में खुले आम खेती की खड़ी फसल को नष्ट करती आ रही है । वर्तमान में भी यही स्थिति है । मंहगी खाद, मंहगा पानी और कमर तोड़ मेहनत के बाद खड़ी फसल की बर्बादी के प्रति शासन का रवैया खेदजनक है । इस मामले को मैं प्रति वर्ष इस सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में ला रहा हूं परन्तु खेद है कि बिन कान की सरकार कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है । जिसके कारण किसानों में सरकार के प्रति भारी असंतोष और क्षोभ व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को इस सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाकर मैं पुनः मांग करता हूं कि नील गायों को पकड़ कर जंगलों में छोड़ दिया जाय, तथा नील गायों की चराई के कारण हुई हानि, क्षतिपूर्ति के रूप में किसानों को दी जाय तथा जंगलों में ही रहे नील गायों के शिकार को रोका जाय ।]

नियम 301 की सूचनाओं को स्वीकार किये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह –

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरी बात आप सुना लें । श्रीमन्, आपने दिनांक 22 को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी कमरा नम्बर 44(ख) में । उसमें करीब-करीब सर्वसम्मति से सभी नेताओं की यह राय थी और यह निवेदन किया था कि नियम 301 और नियम 56 में जो सूचनाएं दी जाती हैं । वे सूचनाएं आपके विवेक के अन्तर्गत हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में है कि उनमें

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो भी आवश्यक हैं उनको लिया जाए । इसमें शलाका की प्रथा लागू करने से एक ऐसा आभास होता हैं कि आपका अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रह जाता हैं । वर्तमान व्यवस्था से दिक्कत यह हैं कि बहुत सी समस्याएं हैं, जो किसी सम्मानित सदस्य ने दिया हैं और जनहित में वास्तव में बहुत आवश्यक हैं परन्तु इस तरह से उनके न आने की सम्भावना बनी रहती हैं और बहुत सी ऐसी समस्यायें होती हैं जो जनहित में नहीं होती हैं, बल्कि किसी व्यक्तिगत क्षेत्र की होती हैं, किन्तु इस तरह से वह कम महत्व की होते हुए भी आ जाती हैं । तो आपका वह विवेक रह जाता हैं कि जो जनहित की समस्यायें हैं उनको ही प्राथमिकता दी जाय । शलाका से आपका यह जनहित वाला अधिकार समाप्त हो जाता हैं । मैं निवेदन करूंगा कि आप इस व्यवस्था पर पुनः विचार कर लें और आपको जो अधिकार मिला हुआ हैं, जनहित की जो आवश्यक सूचनाएं हैं उनको ग्रहण करने के संबंध में, उसको उसी रूप से आप चालू करने की कृपा करें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने जो सुझाव दिया हैं, मैं उसका विरोध करता हूं । मान्यवर, शलाका लोक सभा में भी होती हैं । इसको इसी तरह लागू रहने दिया जाय, भले ही आप कोई एक कमेटी बना दें जो इन सूचनाओं को छांट लिया करें और जब वह कम होकर 8-10 रह जाएं तब उसमें से शलाका द्वारा आवश्यक मात्रा में निकाल ली जाया करें । लेकिन हर हालत में शलाका रहनी चाहिए वरना 301 में भी वही हड़-कम्प होगी जो अन्य में होती हैं ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक हैं, मैं आपके सुझाव को नियम समिति के सामने रखूंगा, और जो उसका निश्चय होगा उसे लागू किया जाएगा ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 में केवल 2 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । एक माननीय हरिश्चन्द्र, हरीश जी की हैं, जो उन्हें बस्ती में गिरफ्तार किया गया और छोड़ा गया हैं तथा दूसरी श्री शारदानन्द अंचल जी की हैं जो अनुदान न इस्तेमाल किये जाने के संबंध में हैं। जहां तक हरीश जी की सूचना का सवाल हैं यह सही हैं कि उन्हें 23-1-88 को गिरफ्तार किया गया, किन्तु उनकी गिरफ्तारी और रिहाई की सूचना इस सचिवालय में 24-1-88 को प्राप्त हुई हैं। इसलिए इस हेतु नियम 82 के अन्तर्गत बुलेटिन नहीं जारी किया जा सका, और शारदानन्द अंचल जी की सूचना नियम 300 में नहीं आती, अतः इसको अस्वीकार किया जाता हैं ।

विधायकों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा समय से न दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मैंने 300 में जो सूचना दी है, उसको आपने पढ़ा और मैंने सुना..

मान्यवर, प्रश्न यह उठता है कि एक विधायक गिरफ्तार हुए रिहाई भी हुई, इसकी सूचना समय से न देना एक अनुचित कार्य है ? इसमें आप निर्देश दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कल या परसों सरकार को निर्देश दिया था कि यह सूचना तुरन्त आनी चाहिए। जब निधन के निर्देश थे तो उस सिलसिले में भी कहा था कि इसकी तुरन्त सूचना आनी चाहिए नहीं तो उस कर्मचारी को दण्डित किया जाए ।

राज्य सभा के सभापति से संबंधित नियम 110 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

नियम–110 के अन्तर्गत माननीय बरार जी ने सूचना दी है और उसमें उन्होंने यह कहा है कि वह धन्यवाद का प्रस्ताव लाना चाहते हैं जिसमें भारत के वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहते हैं और उप राष्ट्रपति को बधाई देना चाहते हैं। जहां तक उप-राष्ट्रपति का सवाल है मैं बरार जी से यह बात कहना चाहता हूं कि जिस विषय पर वह बधाई देना चाहते हैं वह राज्यसभा के सभापति से संबंधित है, तो किसी सभापति के बारे में कोई प्रस्ताव किसी सदन में नहीं लाया जा सकता है । जहां तक वैज्ञानिकों के बारे में कहा है, उसमें मैं समझता हूं कि संसदीय कार्यमंत्री और आप मेरे कक्ष में आ जाएंगे तो उसमें बातचीत हो जाएगी अगर मुनासिब होगा तो इसको लाया जायेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मुझे सुन लें । मेरा प्रश्न नियम–63 के अन्तर्गत आया है ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इसको मैं देख लूंगा ।

(शोर)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मुझे सुना लें मैंने नियम–63 के अन्तर्गत अवमानना का प्रश्न उठाया है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

आपने जिसके बारे में प्रश्न उठाया है मैं उनसे जवाब मांगूगा फिर आपकी सुनूंगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, पहले सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

यह मुनासिब नहीं है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 के अन्तर्गत 36 सूचनायें ली जानी हैं, जिसमें से 20 सूचनायें 26-2-88 की हैं । 16 सूचनायें 27-2-88 की हैं । पहली सूचना राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की–"मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में," है । इसी संबंध में दूसरी, तीसरी और चौथी सूचना है सर्वश्री जयदीप सिंह बरार, सूर्य प्रताप शाही, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, रघुवर दयाल वर्मा, विजय सिंह राणा, लक्ष्मी नारायण, जगवीर सिंह, सुरेश प्रताप सिंह गांधी, हरेन्द्र सिंह रिछपाल सिंह बंसल, मुस्तमंद खां, कुशल पाल सिंह तथा मूलचन्द की है । पांचवीं सूचना है माननीय राम शरण दास जी की, मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, और जो आज सूचनाएं आयी हैं यदि किसी माननीय सदस्य की इसी विषय में, तो उनका नाम भी इसमें जोड़ दिया जायेगा । छठीं सूचना है माननीय गौरी शंकर भइया जी की, उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में ओला वृष्टि से क्षति के संबंध में, सातवीं सूचना है माननीय सत्य प्रकाश विकल जी की, इसी विषय में, आठवीं सूचना है, माननीय भगौती सिंह, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी की, माननीय राम सागर जी की नवीं सूचना है, माननीय बदन सिंह जी की, आगरा की कमला नगर कालोनी की सम्भ्रान्त नागरिकों की बस्ती में वेश्यावृत्ति का अड्डा पकड़े जाने के संबंध में, इसको फिर दोहराया है, वह एक ही मानी जायेगी । दसवीं सूचना है माननीय शारदा प्रताप जी की, ग्राम शहजादेपुर, परगना मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ के हरिजन श्री दयाराम और श्री राम दीन द्वारा 18-1-88 से किये जा रहे आमरण अनशन के संबंध में, ग्यारहवीं सूचना है माननीय सरदार सिंह जी की, 921 अप नार्थ, ईस्ट सुपर फास्ट ट्रेन में रेल बदींधारियों द्वारा करोड़ों रुपये की लूट के संबंध में, बारहवीं सूचना है, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, माननीय राम गोविन्द चौधरी, माननीय हर्ष वर्धन जी की, सरकार द्वारा शीतगृहों में भण्डारण दर घोषित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, तेरहवीं सूचना है माननीय राकेश धर त्रिपाठी जी की, पुलिस अधीक्षक, बस्ती के संरक्षण में भारत-नैपाल सीमा पर की जा रही स्मगलिंग के संबंध में, चौदहवीं सूचना है माननीय राज किशोर सिंह जी की, दिनांक 22-2-88 से विधान भवन के सामने फ्रीलांस पत्रकार श्री सी0 बी0 झा द्वारा किये जा रहे आमरण अनशन के संबंध में, पंद्रहवीं सूचना है माननीय अचल सिंह जी की, वन विभाग फतेहपुर द्वारा तहसील बिन्दकी के हजारों किसानों की खड़ी फसल को उखाड़कर उनकी भूमि पर कब्जा किये जाने के संबंध में, सोलहवीं सूचना है, माननीय विष्णु देव जी की, प्रतापगढ़ में आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, प्रतापगढ़ वित्तीय साधनों के अभाव से बन्द होने के संबंध में, सत्रहवीं

सूचना है, माननीय मनोहर लाल जी की, उन्नाव जनपद में इण्डस्ट्रियल एरिया व केमिकल तथा शराब फैक्ट्री के गन्दे पानी के भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, अठारहवीं सूचना है, माननीय शारदा नन्द अंचल जी की, बलिया जनपद में अपात्र व्यक्तियों की नसबन्दी किये जाने के संबंध में, उन्नीसवीं सूचना है, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी की, इलाहाबाद के कर्नलगंज मोहल्ले में इलाहाबाद नगर महापालिका व विकास प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर चलाकर पचास घरों को गिराये जाने के संबंध में, बीसवीं सूचना है, माननीय चन्द्र भान मौर्य जी की, प्रदेश के राज्य योजना आयोग में व्याप्त जातिवाद एवं भ्रष्टाचार के संबंध में, जो आज सूचनाएं आई हैं, इक्कीसवीं सूचना है, माननीय मनोहर लाल जी की, उन्नाव जनपद में गरीब मजदूरों को दिए जाने वाले 700 कुंतल गेंहू को अधिकारियों द्वारा बेचे जाने के संबंध में, बाइसवीं सूचना है, माननीय जगबीर सिंह जी की, अलीगढ़ जनपद के खैर क्षेत्र में सिंचाई हेतु नहरों में पानी न जाने के संबंध में, तेइसवीं सूचना है, माननीय काशी सिंह ऐरी की, उत्तराखण्ड राज्य की मांग के संबंध में, चौबीसवीं सूचना है, माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की, वकीलों की हड़ताल के संबंध में, पच्चीसवीं सूचना है, डा0 दिनेश जौहरी जी की, मंसूरी में बाघों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, छब्बीसवीं सूचना है, माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी की, किसानों की हड़ताल के संबंध में, सत्ताइसवीं सूचना है, माननीय राकेश धर त्रिपाठी जी की, भारत नेपाल सीमा में तस्करी के संबंध में, अट्ठाइसवीं सूचना है, माननीय शारदा प्रताप जी की, मोहनलालगंज, लखनऊ में दो हरिजनों द्वारा आमरण अनशन किये जाने के संबंध में, उनतीसवीं सूचना है, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह एवं माननीय गोपाल दास यादव जी की, इलाहाबाद में विकास प्राधिकरण द्वारा पचार घर किराये जाने के संबंध में, तीसवीं सूचना है, माननीय विष्णु देव जी की, आटो टैक्ट्रर लि0 प्रतापगढ़ बन्द होने के संबंध में, इन्होंने फिर दोहरा दिया है 31वीं सूचना है, माननीय राज किशोर सिंह जी की, विधान भवन के सामने फ्री लांस पत्रकार के धरने के संबंध में, इन्होंने फिर दोहरा दिया है बत्तीसवीं सूचना है, माननीय हरिश्चन्द्र हरीश जी की, किसानों के उपज का उचित मूल्य न मिलने के संबंध में, तैंतीसवीं सूचना है, माननीय किरनपाल सिंह और माननीय वीरेन्द्र सिंह जी की, मेरठ में किसान आन्दोलन के संबंध में, चौंतीसवीं सूचना है, माननीय विजय सिंह राणा जी की इसी सिलसिले में। श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, राम गोविन्द चौधरी और हर्ष वर्धन जी ने पैंतीसवीं सूचना फिर दोहरा दिया है, माननीय बदन सिंह जी ने छत्तीसवीं सूचना फिर दोहरा दिया है।

पहली सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस सरकार की किसान विरोधी नीति का यह परिणाम है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलित है। भारतीय जनता पार्टी सहित सभी जितने प्रतिपक्षी दल हैं सबकी ओर से इस समय उनके तत्वाधान में यह आंदोलन चल रहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। अभी मान्यवर, मेरठ में सरकार की नीति के खिलाफ लाखों किसानों ने इस ठिठुरन भरी सर्दी में करीब-करीब 25 दिन तक धरना दिया । 13 किसान नेता इस ठिठुरन में काल-कवलित हो गये लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार के बहरे कानों में पूरे प्रदेश के किसानों की जो पीड़ा है उसका कोई असर नहीं हुआ । मान्यवर, अब सामान्य सी हमारे किसानों की मांग है जो उत्पाद, जिन चीजों का उत्पादन किसानों के द्वारा होता है उसको उसका सही मूल्य मिलना चाहिए, उसको गन्ने का सही मूल्य मिलना चाहिए तथा खाद बीज, बिजली आदि के दाम कम किये जांय । बिजली समय पर नहीं मिलती और बिजली के बड़े-बड़े बिल आरोपित किये जाते हैं लेकिन सरकार की ओर से कुछ नहीं हुआ । मान्यवर अभी इनके प्रधानमंत्री जी यहां आये थे वह किसानों से कहा कि गन्ने की कीमत बढ़ाना सम्भव नहीं है लेकिन जो तर्क दिया गया है वह तर्क मेरा इस आरोप को सिद्ध करता है कि सरकार पूंजीपतियों का हित चाहती है, सरमायेदारों का हित चाहती है । मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर गन्ने की कीमत बढ़ा दी जायेगी तो मिल मालिक मिल बन्द कर देंगे । अब सवाल यह है कि हमारी आर्थिक रचना का सिद्धान्त क्या होगा ? यह सरकार 80 प्रतिशत किसानों का गला घोटकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है । मान्यवर, सरकार ने कहा कि मिल मालिक अपनी मिल बन्द कर देंगे ।

अगर कोई मिल कपड़ा बनाती है तो उसका भाव वह तय करेगी लेकिन गन्ने का उत्पादन किसान करता है और उसका भाव तय करेगा मिल मालिक। सरकार की इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा । मैं सरकार को चेतावनी देता हूं और आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर सरकार ने समय रहते किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया, गन्ने की कीमत 40 रुपए नहीं किया, बिजली का बिल माफ नहीं किया और किसानों के ऊपर बकाया 20 हजार माफ नहीं किया, बिजली का बकाया को माफ नहीं किया और सबसे बड़ी बात यह है कि सूखा ओले पाले में किसान उत्पीड़ित हुआ, किसानों को कोई भी सूखा राहत नहीं दिया गया सरकार के कागजों पर कुछ भी हो लेकिन वहां पर सरकारी देयों की वसूली जारी है लोग पकड़े जा रहे हैं । इस सदन में हम लोग चर्चा कर चुके हैं लेकिन फिर भी किसानों के ऊपर बिजली के बिल का बकाया हो जायेगा तो उसको जेल में भेज दिया जायेगा । उत्पीड़न की कार्यवाही सरकार की ओर से हो रही है । मैं इस बात पर बल देते हुए चाहूंगा कि किसान आन्दोलन होने के कारण इसकी कार्यस्थगन के रूप में चर्चा करायी जाय । इन शब्दों के साथ मैं अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा । मान्यवर, जब यह पहली दफा रख दी गयी यह सूचना, आपके सेक्रेटेरिएट में क्या बात है वह मुझे पता नहीं? जो डिप्टीस्पीकर के सामने तय हो जाया करता है वह आपको जानकारी नहीं करायी जाती है और जो आपके सामने तय होता है वह डिप्टीस्पीकर को जानकारी नहीं करायी जाती है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

4 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी थे, बाकी नेता भी थे, उसमें यह था कि किसानों के आंदोलन वाला मामला नियम 56 में एक नम्बर पर लिया जाय, उसके बाद दूसरे नम्बर पर ओलावृष्टि वाला मामला लिया जाय, तीसरे नम्बर पर माननीय बदन सिंह जी का बागपत वाला मामला लिया जायेगा, चौथे नम्बर पर शारदा प्रताप का भूख हड़ताल वाला मामला लिया जायेगा, उसके बाद दूसरी सूचनायें ली जायेंगी। यह प्राथमिकता वाली बात उस दिन तय हो चुकी थी। मान्यवर, मैं यह बात आपकी जानकारी में लाया हूं। अब मैं यह किसानों के आंदोलन वाली जो सूचना है, उस पर आता हूं। मान्यवर, यह मेरठ डिवीजन का मामला है लगभग 25-26 दिन यह मामला वहां चला। मेरठ में लाखों लाख किसान उस आंदोलन में सम्मिलित हुए। किसी-किसी दिन तो वहां आंदोलन पर बैठने वाले किसानों की संख्या 8-8- लाख हो जाती थी। औरतों, बच्चे नौजवान और यहां तक अधिकांश किसानों के तो पूरे-पूरे परिवार के लोग ही वहां पहुंचे। बहुत से लोग, वहां समुचित इंतजाम के अभाव में, ठंड से मरे हैं बच्चों को रोटियां और दूध नहीं मिला। वहां सरकार की ओर से कोई इन्तजाम था। मान्यवर, मेरे सहारनपुर जिले के एक व्यक्ति श्री सुनहरा सिंह, जिसको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में पेंशन भी मिलती है, वह भी उस आंदोलन में गये थे समुचित इन्तजामों के अभाव में जब उनकी वहां मरने जैसी हालत हो गयी, तो हमारे सहारनपुर के कई लोग गये और उन्हें वहां से वापिस ले आये उनका इलाज कराया लेकिन, फिर ठीक होने के बाद वे पुनः मेरठ गये। मान्यवर, वहां जो ज्यादतियां हुई हैं, इस सरकार ने वहां जो ज्यादतियां की है, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वहां किसी किस्म का सरकार की ओर से कोई इन्तजाम नहीं था। वे लोग दो मांगों को मुख्य रूप से लेकर आंदोलनरत थे। एक तो गन्ने का भाव 35 रु0 दिया जाय दूसरे जो बिजली बिल बकाया है वह, इस सूखे के सम्बन्ध में, माफ किये जायं। परसों श्री जयनारायण शर्मा जी बहुत बोल रहे थे और सरकार की बड़ी तारीफ कर रहे थे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उ0 प्र0 के किसी भी मिल में गन्ने का 32 रु0 का दाम नहीं दिया जा रहा है। यह बात मैं चेलेंज के साथ कहता हूं। शर्मा जी कह रहे थे कि मेरठ में 32 रु0 दाम दिया जा रहा है। मैं तो यहां तक कहता हूं इसको दिखवा लें या तो मेरा इस्तीफा ले लें या इनका इस्तीफा ले लें। मुझे इसमें कोई परवाह नहीं है।

अभी हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवी लाल जी का बयान आया था, उसमें उन्होंने यह कहा था कि उ0 प्र0 की सभी चीनी मिलें मेरे अंडर में कर दें, तो गन्ने का भाव मैं 35 रु0 भी दिलवा दूंगा और सरकार को मिलों से लाभ के रूप में करोड़ों रु0 भी दिलवा दूंगा। यह कहते हैं कि हमारी चीनी मिलें घाटे में चल रही है। आपके बराबर का एक राज्य का मुख्यमंत्री चेलेंज के साथ इस बात को कह रहा हूं लेकिन फिर भी आपको कोई शर्म नहीं आ रही है। 35 रु0 से ज्यादा तो किसान की उत्पादन लागत आ रही है लेकिन फिर भी आप किसान को 35 रु0 नहीं दिलवा पा रहे हैं। माननीय मुंशी जी हमारे गन्ना मंत्री हैं उन्हें तो गन्ने का ज्ञान ही नहीं है कि गन्ना किसे कहते हैं। माननीय हुकुम सिंह जी बैठे हुए हैं, इनके जिले के एक मिनिस्टर का बिजली का 40 लाख रु0 का बकाया था, उसे राइट आफ कर दिया गया, पूंजीपतियों का बकाया

माफ हो सकता है। अभी परसों माननीय हर्षवर्धन जी का बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर बिजली के बकाया के सम्बन्ध में प्रश्न लगा हुआ था और उसका जवाब हम लोग सुन रहे थे कि क्या स्थिति है? एक तरफ तो आप किसी मिनिस्टर का बकाया 40 लाख माफ कर सकते हैं, दूसरी तरफ आप किसानों का 40 रु0 बकाया भी माफ नहीं कर सकते हैं, उसका 40 रु0 बकाया होने पर बिजली का कनेक्शन तक काट देते हैं। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर वह सब भी हड़ताल कर लें और अनाज आदि पैदा न करे तो क्या हालत होगी? सारा देश भूखों मर जायेगा, हम सब भूखों मर जायेंगे। तुम लोगों का कहीं पता नहीं चलेगा। मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन के शेष सारे कार्य रोककर इस पर अविलम्ब 2 घंटे की चर्चा कराये ।

(श्री किरन पाल सिंह सहित कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें । सबको मौका दूंगा। अभी माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी को मैंने बुलाया है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरठ में 27 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक लाखों किसानों ने, किसानों की मांगों को लेकर, आंदोलन किया और श्रीमन् 24 दिन तक वहां पर उन लोगों ने धरना दिया। लगभग 5-7 दिन उन लोगों ने भूख हड़ताल भी की और करीब 13 लोग वहां पर शहीद भी हुये। मैं श्रीमन् आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के काश्तकारों में अब चेतना जागृत हुई है और उन्हें अब अपनी फसल का दाम मुनाफे के के साथ मिलना चाहिये। मान्यवर, इस सरकार की तरफ से कहा जाता है कि उनको मुनाफे के साथ उनकी फसल की कीमत दी जायेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मान्यवर, चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कृषि और अर्थशास्त्र विभाग ने एक सर्वे रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि हिन्दुस्तान में कृषकों की फसल का लागत मूल्य सबसे कम है और इस वर्ष के बुलेटिन, जो प्रकाशित किया गया है, उसमें दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में किसान को अपनी गन्ना की फसल पर प्रति क्विंटल 36 रुपये खर्च करना पड़ता है। श्रीमन् उत्तर प्रदेश का किसान चाहता है कि गरीबों को चीनी सस्ती मिले, इसलिये उसने 35 रु0 घाटे की कीमत की मांग की है, वह अपना मुनाफा भी नहीं लेना चाहता लेकिन फिर भी अगर इस सरकार में जरा भी नैतिकता बाकी रह गई हो, तो किसान को 35 रु0 प्रति क्विंटल का भुगतान स्वीकार करना चाहिये । श्रीमन् इनकी सरकार ने 25 पैसे प्रति किलो चीनी के दाम बढ़ा दिये हैं और चीनी के दाम बढ़ाने के साथ-साथ में जो उसका शीरा निकलता है, उसके भी दाम बढ़ाये हैं। इतना ही नहीं, खोई जो उसके बाद बच जाती है, उस पर भी दाम बढ़े हैं और इस तरह खुले बाजार में कीमत बढ़ी है। इन सब बातों के साथ ही इनको गन्ना मिलों से मुनाफा भी हो रहा है। परन्तु यह सरकार उत्तर प्रदेश के किसान को घाटे की कीमत देने को राजी है, मुनाफे की कीमत देने को राजी नहीं है । अभी लखनऊ की इ0 का0 रैली में प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने कहा कि हम गन्ने का मूल्य बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। मान्यवर, यहां पर हुकुम सिंह जी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर की रिपोर्ट को मंगा कर

के देखें और तब सारे उत्तर प्रदेश के किसानों को उनकी कृषि उपज का सही मूल्य देने की कृपा करें। अगर इनमें और इनके प्रधानमंत्री में जरा भी नैतिकता बाकी है, तो इन्हें 35 रुपये गन्ने का प्रति क्विंटल का भाव मान लेना चाहिये। इसके अतिरिक्त किसानों के ऊपर जो बिजली के बिलों का बकाया है, वह इस सूखे की वजह से बढ़ा है। उन किसानों पर अन्याय और उत्पीड़न की कार्यवाही इस सरकार की तरफ से लगातार जारी है और श्रीमन् मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने यह निवेदन किया था कि गरीबी की रेखा से नीचे वाले किसानों से उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जायेगी। लेकिन जो किसान आज गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं, उनसे वसूली की कार्यवाही की जा रही है, और उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है। उन्होंने गरीबी की रेखा के नीचे आने वाले किसानों की परिभाषा में यह बताया था कि 4000 से 5000 तक इनकम वाले किसानों से वसूली नहीं की जायेगी, इसी लिये मेरठ में जो किसानों का आन्दोलन हुआ और मेरठ के आन्दोलन के बाद किसान ने जो मांगे और समस्यायें प्रस्तुत की हैं, उनको इस सरकार को मान लेना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं अपने आपको मेरठ के आन्दोलन तक ही सीमित रखूंगा और उसकी ग्राह्यता पर ही बोलना चाहूंगा । मेरठ का आन्दोलन तो अब समाप्त हो चुका है। लेकिन 27 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक हिन्दुस्तान का बिलखता और तड़पता हुआ किसान खुले आसमान के नीचे अपनी तपस्या करता रहा । उनके पक्ष में हम लोगों ने यहां पर मुख्य मंत्री जी के आवास के सामने धरना भी दिया था और हम यह सोच रहे थे कि मेरठ के अन्दर 5 लाख किसान जो खुले आसमान के नीचे अपनी तपस्या कर रहा है उसकी बात यह सरकार देर से सही पर सुनेगी और तो कम से कम इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों की बात को सरकार सुनेगी, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी गयी । आंदोलन कुचल दिया गया और कुचलने के बाद सरकार यह दम भरती है कि हम लोगों ने किसानों के आंदोलन को कुचल दिया है । आंदोलन आज समाप्त हो गया है, इसकी चिन्ता नहीं है, चिन्ता इस बात की है कि आंख मूंद का यह सरकार जो निर्णय ले लेती है और धरती के ऊपर उठने वाले आंदोलन और तूफान कभी कुचले नहीं जाते और न उन्हें कुचलने की किसी में ताकत है इतिहास साक्षी है । जब अहिंसात्मक और शान्तिप्रिय आंदोलन कुचले गये हैं तब हिंसा फूट पड़ी है । 1925 से लेकर 1942 तक के आंदोलनों को ही एक बार इस सरकार ने देख लिया होता तो इनकी आंखें खुल जाती । जब 1925 में पूर्ण स्वराज्य की मांग यह कांग्रेस नहीं कर पाई तो मोतीलाल नेहरू व सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया और उसकी विजय हुई । इस संबंध में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जो दो शब्द लिखे हैं, उसे मैं पढ़ देना चाहता हूं, "भविष्य के बारे में हमारे सामने अब भी कुछ स्पष्ट नहीं था । कांग्रेस अधि-

वेशन में प्रदर्शित उत्साह के बावजूद कोई यह नहीं जानता कि संघर्ष के कार्यक्रम में देश के लोग कहां तक साथ चल सकेंगे ? हम जिस स्थल तक पहुंच गये थे वहां से अब लौट नहीं सकते थे पर आगे का रास्ता हमारे लिए एकदम अज्ञात था ।'' मान्यवर, पं0 जवाहर लाल नेहरू जी ने उस समय जो अभिव्यक्ति की थी, ठीक वही आज किसान आंदोलन के बारे में लागू होती है । हम यह कह सकते हैं कि सरकार ने किसान आंदोलन को कुचल दिया है । हम यह कह सकते हैं कि जिस त्याग और तपस्या से वहां के किसान ने अपना पसीना बहाकर हिन्दुस्तान के लोगों को खाना खिलाने का काम किया है, आज वह खाली हाथ व पूर्ण निराशा के साथ वापस लौट गया है । पर किसानों के मसीहा स्व0 श्री चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी मेहनत, खून व तपस्या से किसानों को जगाया मेरठ की धरती को जगाया उस धरती से उठने वाले तूफान को अब दुनिया की कोई शक्ति कुचल नहीं सकती, आज वहां पर 5 लाख किसान 25 दिन तक धरना दिए रहे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई । मैं बताना चाहता हूं कि आन्दोलन भले ही इस समय कुचल दिया गया है, लेकिन आज किसान जाग गया है, आप भले ही कितनी कोशिश करें उसे दबाने की, लेकिन अब वह उठ खड़ा हुआ है । आज देश को आजाद हुए 40 साल हो गये हैं, लेकिन किसान का शोषण होता रहा । हम लोग यहां पर बार-बार उसकी मांगों के बारे में कहते रहे, लेकिन सुना नहीं गया । 40 साल में शहरों का विकास हुआ, 120 मंजिलें शहरों में बनती रहीं, विकास की हर मंजिल शहर में बनी लेकिन किसान की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया । आज खेती में लगा हुआ किसान, जिसके पास 50 बीघा जमीन है, वह उतने अच्छे ढंग से नहीं रहता जितने अच्छे ढंग से एक चपरासी रहता है। आप किसान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहते हैं। मेरा कहना यह है कि किसान आंदोलन भले ही आज समाप्त हो गया है, लेकिन उसकी चिंनगारी पूरे देश में फैल गई है। अगर किसानों की जो आवश्यकतायें हैं और अपेक्षायें हैं, उन पर सरकार बैठकर विचार नहीं करती है तो एक तूफान उठने वाला है पूरे भू मंडल पर और जो उसे पूरा आत्मसात कर लेगा। किसान आंदोलन हिन्दुकुश पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक तथा सिन्धु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक पूरे प्रभा मंडल में फैल गया है। इसलिए मेरी आपसे मांग है कि आज शेष सदन की कार्यवाही को स्थगित कर इस पर आप कम से कम 4 घन्टे की बहस करायें। सरकार किसान प्रतिनिधियों व हम लोगों के साथ बैठकर किसानों की समस्याओं पर विचार करे । 4 घन्टे की चर्चा आप इस पर करवा दें ताकि सभी माननीय सदस्यों को इस पर अपनी बात कहने का मौका मिल सके ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, यह जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव, जो मेरठ के किसानों के धरने के बारे में है, इसमें माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के इतिहास में ऐसा आन्दोलन अभी तक नहीं चला है, चाहे भारत की स्वतंत्रता के आन्दोलन की लड़ाई ही क्यों न रही हो ? किसानों के घरों के बच्चे, बूढ़े महिलाएं सभी धरने पर बैठे रहे, लेकिन उस धरने के एवज में इस प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसान पागल हो गये

हैं, उनके नेता पागल हैं। अगर किसान अपनी फसल का उचित मूल्य मांगता है तो शासन उनको पागल कहता है। अगर किसान की जमीन 5/- रु0 में अधिग्रहीत की जाती है और 500/- रु0 में बेची जाती है तथा अधिग्रहण का पैसा 10-11 साल तक भी नहीं मिलता है तो किसानों द्वारा उसकी मांग किये जाने पर मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि किसान पागल हैं। किसान अपने बच्चे की तरह जिस पेड़ को पालता है, उसकी कटाई के समय आधा पैसा पुलिस और वन विभाग के लोग खा जाते हैं, जबकि सरकार अपने वनों से करोड़ों रुपये की बेहिसाब लकड़ी अवैध रूप से कटवा रही है। किसान जब इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो यह कहते हैं कि किसान पागल हो गये हैं। मैं बताना चाहता हूं कि किसान पागल नहीं हुए हैं बल्कि यह सरकार पागल हो गयी है। अगर किसान मांग करते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक समान ही शिक्षा हो ताकि सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकें, तो इस सरकार के मुख्य-मंत्री कहते हैं कि किसान पागल हो गये हैं। अगर वह मांग करते हैं कि पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बजाय गांव में पढ़ने वाले बच्चों को आरक्षण मिले, तो यह मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसान पागल हो गये हैं।

मान्यवर, आप स्वयं इस पर निर्णय लें। इस मुद्दे पर चर्चा करने दें ताकि दोनों पक्षों से बात आ जाय कि किसान पागल हैं या यह सरकार पागल है। ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि केवल मेरठ की ही बात नहीं है, पूरे प्रदेश का किसान परेशान है तथा सारे किसानों में आक्रोश है। यह केवल बिजली और गन्ने का ही मामला नहीं है बल्कि प्रदेश के भविष्य का मामला है। अगर यहीं पर इस पर चर्चा नहीं हुई और पागल सरकार के संज्ञान में यह बात नहीं लायी गयी, तो ऐसा विस्फोट होगा कि कोई भी सरकार इस बात को सम्भाल नहीं पायेगी।

*श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो मेरठ में किसान आन्दोलन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, उसकी ग्राह्यता पर बोलना चाहूंगा। जो माननीय सदस्यों ने विचार रखे, मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं। अभी माननीय राणा जी ने कहा कि आन्दोलन कुचल दिया गया है, लेकिन मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि आन्दोलन कुचला नहीं गया है, यह सरकार निश्चिंत न हो कि आन्दोलन कुचल दिया गया है, मैं कहना चाहूंगा कि मेरठ के किसानों का आन्दोलन विस्तार से फैलता जा रहा है। एक समय आने वाला है, जब यह सरकार देखती रहेगी और प्रदेश में आग लग जायगी। 27 जनवरी से 20 फरवरी तक कड़कती ठंड में किसान बैठे रहे, लेकिन सरकार का दृष्टिकोण किसानों के प्रति ऐसा रहा जैसा एक दुश्मन का दूसरे दुश्मन के प्रति भी नहीं होता है। एक तरफ मंत्री वार्ता को जाते रहे और लखनऊ से मुख्यमंत्री कहते रहे कि कोई अधिकृत मंत्री नहीं गया है। कभी केन्द्र सरकार कहती रही कि हमारे मंत्री वार्ता करने जा रहे हैं, लेकिन उनसे भी कोई वार्ता नहीं चली। सरकार का दृष्टिकोण जो किसानों के प्रति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहा है उसकी भर्त्सना करना चाहूंगा और किसानों ने जो आन्दोलन चलाया है, उनको बधाई देना चाहूंगा। इसमें 13, 14, 15 किसान शहीद भी हुए हैं। देश के लोगों ने आकर किसानों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन देश के किसी भी नेता ने या मंत्री ने किसानों को श्रद्धांजलि देने की हिम्मत नहीं की। इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों का आन्दोलन चला और 20 तारीख को वह समाप्त हो गया। सरकार समझौती है कि उसने आन्दोलन को समाप्त करा दिया, लेकिन यह दृष्टिकोण उसका ठीक नहीं है। प्रधान मंत्री ने यहां लखनऊ में उस दिन किसानों के लिये जिस भाषा का प्रयोग किया वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जिस भाषा का उग्रवादियों के प्रति प्रयोग करते हैं कि उनका उग्रवाद कुचल दिया जायेगा, उसको पनपने नहीं दिया जायेगा, वही भाषा उन्होंने किसानों के लिये भी इस्तेमाल की कि उनकी मांगों को माना नहीं जायेगा, उनसे बात नहीं की जायेगी।

आज किसान यह सोचने के लिये मजबूर है कि शान्तिपूर्ण ढंग से यह सरकार उनकी बात मानने के लिये तैयार नहीं है, यदि सरकार शान्तिपूर्ण ढंग से बात नहीं करना चाहती है तो किसान सोचने पर मजबूर है कि क्या उसे हथियार के साथ प्राप्त करने के लिये यह सरकार उसे मजबूर कर रही है? मैं समय रहते किसानों की समस्या के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि किसानों को उनकी लागत के हिसाब से दाम दिये जांय यह कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है। इसी तरह से बिजली के दाम को 6 महीने की माफी के लिये कहा गया है, सदैव-सदैव के लिये नहीं। कर्जे पर सूद की माफी के लिये कहा है। यह आन्दोलन 20 तारीख को उठ चुका है लेकिन मैं आपसे यह मांग करता हूं कि आप सदन के सभी दलों के लोगों को मिला कर कमेटी बनाइये जो कि किसानों की मांगों पर विचार करे और उन पर विश्लेषण करे और उसके उपरान्त वह विचार करे कि किसानों की कौन-कौन सी मांगें मानी जांय और कौन सी नहीं ? पूरे किसान आन्दोलन को पंगु बनाने के लिये सरकार की पुरजोर कोशिश है लेकिन मैं मांग करता हूं कि आज सदन की कार्यवाही को रोक कर इस विषय पर आप अवश्य चर्चा करा दें।

श्री रिछपाल सिंह बंसल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन एवं समाज का ध्यान मेरठ कमिश्नरी के किसानों की तरफ ले जाना चाहता हूं। 27 जनवरी के लिये किसानों ने विधिवत् नोटिस दिया था कि 27 जनवरी को किसानों की मांगों को लेकर हम लोग मेरठ कमिश्नर के कार्यालय का घिराव करेंगे। इस संबंध में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री यू0 पी0 भवन में बैठकर कमिश्नर मेरठ को बुलाते हैं और उनको आदेश देते हैं कि किसी कीमत पर किसान मेरठ में न घुसने पायें। वहां से आकर 25 जनवरी को ए0 डी0 एम0, श्री सुभाष सक्सेना आदेश देते हैं कि कोई भी टैक्टर या ट्राली मेरठ में न घुसने पाये।

भारत के संविधान में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग मनवाने का अधिकार हर एक को है लेकिन मान्यवर, यह सरकार किसानों का गला घोटने के लिये बाध्य है। 27 जनवरी की सुबह अगणित की संख्या में किसान मेरठ पहुंच गये और उन्होंने मेरठ में कमिश्नर के कार्यालय के सामने "धरना" शुरू कर दिया । मेरठ के कमिश्मर से मुख्य मंत्री की "हाट लाईन" पर बात होती है तो मुख्य मंत्री कहते हैं कि किसानों से कोई बात न की जाय, उनकी कोई मांग न मानी जाय। शान्तिपूर्ण ढंग से 25 दिन यह हड़ताल चली और किसान मेरठ में कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना दिये रहे। सरकार ने वहां पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं की, न कोई सफाई की व्यवस्था की। इतना ही नहीं 30 जनवरी को बिजनौर का एक किसान जिसकी आयु केवल 50 वर्ष की थी, भगवान सिंह नाम था वह ठंड से तड़प-तड़प कर वहीं पर मर गया। किसान शान्तिपूर्ण ढंग से खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे थे, उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने रेल की पटरी उखाड़ दी है, उन पर गोलियां चलायी गयीं। इस धरने में 13 किसान शहीद हुए हैं। यह सरकार किसी कीमत पर किसानों की मांगे नहीं मानना चाहती है क्योंकि यह सोच रही है कि किसानों का आन्दोलन दब जायेगा, लेकिन ऐसा है नहीं । सन् 1957 में भी क्रांति मेरठ से ही शुरू हुई थी और इस समय भी शांतिपूर्ण ढंग से मेरठ से ही क्रांति शुरू हुई है और मान्यवर इस आन्दोलन में जो उग्र रूप सरकार ने धारण किया है जिसमें खूब प्रदेश के किसानों पर लाठियां बरसायीं गयी और मान्यवर यही नहीं मेरे ऊपर भी लाठियां बरसीं, यह बात मैं जो 9 तारीख से 16 तारीख तक जो धरना 27 जनवरी के समर्थन में लोक दल (अ) की ओर से हुआ था उसको कह रहा हूं। मैंने मा0 उपाध्यक्ष जी के चैम्बर में जाकर अपनी सारी चोटें, दिखायीं जो लाठियां तरसने से आयी थीं, इसके अतिरिक्त कोई बात हम लोगों से नहीं की गयी इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इससे महत्वपूर्ण मसला प्रदेश में और कोई नहीं हो सकता है, अतः सदन की कार्यवाही रोककर 4 घंटे की चर्चा इस संबंध में अवश्य कराई जाए और हमारे एक वरिष्ठ साथी, श्री जय नारायण शर्मा जो मेरठ से ही चुनकर आए हैं, उन्होंने स्वयं इस सदन में कहा है कि मेरठ में 32 रु0 प्रति क्विंटल गन्ने का भाव दिया जा रहा है और यह सरकार 32 रु0 का ढिढोरा पीट रही है, जबकि मान्यवर स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश की किसी भी फैक्ट्री में 32 रु0 का भाव नहीं दिया जा रहा है, यदि 32 रु0 का भाव कहीं भी दिया जा रहा होगा तो मैं आज ही इस्तीफा दे दूंगा, वरना इस बात की जांच करा ली जाए तो स्थिति का स्पष्ट ज्ञान हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपया बैठें, आपका समय हो गया। मा0 हरीश जी आपके दस्तखत तो इसमें हैं नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

नहीं मान्यवर मेरे दस्तखत हैं और आपने ही एक बार नहीं दो बार पढ़े भी हैं।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मेरी एक सूचना 301 में थी, जिसे आपने 56 में सुनने के लिये कहा था, इसलिए कृपया मुझे भी अवसर दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अगर इसी तरह हुआ तो फिर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का समय निकल जायेगा, क्या यही चाहते हैं आप लोग ?

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मैं मान्यवर, कार्य-स्थगन प्रस्ताव के औचित्य पर एक निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस पर आप स्वयं ही निश्चित रूप से चर्चा करवाने की कृपा करेंगे। मान्यवर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 70 फीसदी किसान हैं, बाकी जो 30 फिसदी लोग हैं, उनका जीवन इन किसानों की उन्नति पर निर्भर है । यह 70 फिसदी किसान आज आन्दोलित हैं, जो एक अहम विषय है और इस पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए ।

दूसरा निवेदन मान्यवर यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाये गये किसान सत्याग्रह आन्दोलन में 5 लाख लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं और इसी बात को लेकर मेरठ के किसानों ने 25 दिनों तक धरना भी दिया है । जहां का किसान इस स्थिति में आन्दोलित हो और ऐसी स्थिति में भी सरकार अनसुनी करे और यही नहीं बल्कि यह कहे कि यह किसान पागल हैं और देश का प्रधान मंत्री यह कहे कि इनकी बातें अमान्य नहीं मानी जाएंगी, तो मान्यवर इससे यह न समझना चाहिए कि यह किसान इससे निराश होकर बल्कि इस निराशा में से उनमें हिंसा की भावना भी जागृति हो सकती है, और आगे चलकर यह उग्ररूप धारण कर इस प्रदेश के लिए शांति-व्यवस्था के लिए खतरा भी उत्पन्न हो सकता है । इसके आगे एक बिन्दु और मान्यवर कहना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों के अन्दर किसान जो अपने-अपने खेतों के लिए प्रयोग में लाता है, चाहे वह बीज हो, पानी हो, उर्वरक हो, विद्युत हो अथवा लोहा और डीजल इन सारी चीजों के दाम इन 10 सालों 5 गुना से लेकर 7 गुना बढ़े हैं और धान व गेहूं के दाम केवल दो गुने बढ़े हैं तो खेती में तो सामान वह डाले, आसमान छूती कीमतों के भाव के और उनकी पैदावार की कीमत उसे मिट्टी के भाव दी जाए । दूसरे सिंचाई विभाग और इसके अन्तर्गत आने वाली गूलें, नालियां तथा ट्यूबवेल सब के सब आवारा हैं, और सिंचाई विभाग के कर्मचारी मनमाना बिल बनाते हैं उनके पास सींच वह्ी नहीं है । उन्हें काफी धन खर्च करने के बावजूद यह सुविधा सही ढंग से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसीलिए आज प्रदेश के 70 फिसदी किसानों में उपद्रव और हिंसा की भावना सुलग रही है । इस अहम विषय पर चर्चा करा दें, अन्यथा शान्ति व्यवस्था खतरे में है और सरकार संभाल नहीं पायेगी, उसमें खुद मिट जायेगी और प्रदेश समाप्त हो जायेगा ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें...

श्री अध्यक्ष–

सरदार सिंह जी, 36–36 सूचनायें हैं । आपको राज्यपाल के अभिभाषण पर कोई समय नहीं मिलेगा ? मुझे कोई एतराज नहीं है । दिन भर सूचनायें लेते रहिये ।

(श्री सरदार सिंह के पुनः बोलते रहने से व्यवधान होने पर)

सरदार सिंह जी आप बैठिये, यह कोई तरीका नहीं है, यह कुछ लिखा नहीं जायेगा । मैंने इजाजत नहीं दी है ।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने अपने विचार रखे । मेरा मत है कि किसान को उसकी पैदावार की लागत को दृष्टि में रखते हुये उसकी जीविका को ध्यान में रखते हुये, सही दाम मिलने चाहिए । बहुत से उत्पादन किसान के ऐसे हैं, जिनका अभी भी मूल्य कम है । इसमें सन्देह नहीं है । मान्यवर, गन्ने की बात कही गयी । मैं कहना चाहता हूं कि 27 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार मिलों से किसानों को दिलवा रही है, लेकिन क्या सारे किसानों को 27 रुपया मिल रहा है? केवल 30 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनको 27 रुपया मिल रहा है और जो बाकी किसान हैं उनको अपना गन्ना 18, 19 और 20 रुपये में कोल्हू और खान्डसारी यूनिट्स को देना पड़ रहा है, उनको अपना गन्ना फेंकना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि गुड़ के दाम कम हैं, खान्डसारी के दाम कम हैं और बाहर भेजने की कोई गुन्जाइश नहीं है । किसान को मजबूर होकर अपने गन्ने को सस्ते दाम पर बेचना पड़ रहा है, कोल्हूओं को देना पड़ रहा है, खान्डसारी यूनिट्स को देना पड़ रहा है । गन्ना किसान संघ से बातचीत हुई, वह 27 रुपये से 35 रुपये की बात करते हैं, लेकिन बहुत से किसान अपना गन्ना 18 रुपये में देने में मजबूर हैं । यह कहा जा रहा है कि किसान आन्दोलन को कुचल दिया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि कुचला नहीं गया है, उनके प्रतिनिधियों से बराबर बात की गयी और अपना पक्ष रखा गया, समझाया गया, लेकिन कुछ लोग अपनी बात पर अड़े रहे, अपनी बात पर कायम रहे ।

(श्री किरन पाल सिंह के बोलने से व्यवधान के मध्य)

आप मेरी बात को सुनिये, किरन पाल जी । बात सुनने का माद्दा होना चाहिये । तो मान्यवर, एक वातावरण वहां पर बना । कई प्रकार की रायें थीं और जब उनके अधिकांश सदस्य इस बात से सहमत हो गये कि वास्तव में 27 रुपया से अधिक गन्ने का दाम बढ़ाना उचित नहीं है और न मुनासिब होगा और न संभव होगा । मान्यवर, इसी तरह से बिजली के बिलों में की गयी । मान्यवर, जब 30 रुपये से घटाकर साढ़े बाइस रुपया कर दिया गया तो यह किस प्रकार से कहा जा सकता है कि बिजली के बिल न जमा किये, यह उचित न होगा। दूसरी बात यह है कि अधिकांश किसानों ने खुद मेरठ मंडल में जहां 18 करोड़ रुपया बिजली का रेवेन्यू आता था, केवल 10

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

करोड़ रुपया जमा कराया है । इसलिये उन्होंने यह जमा नहीं किया कि प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में यह आदेश दिये थे किसी का बिजली का कनेक्शन न काटा जाय, रिकवरी न की जाय । इस तरह से 8 करोड़ की धनराशि बाकी रह गई थी । केवल भारतीय किसान यूनियन की कौल पर ढाई करोड़ की धनराशि ऐसी थी जो जमा नहीं की गई थी । यह देखा गया कि जो कम सम्पन्न किसान हैं वे बिजली का बिल जमा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं । जिन किसानों को 10 घन्टे बिजली दी जा रही है वे क्यों नहीं जमा कर सकते हैं । जहां तक छूट की बात आती है जो कम साधन सम्पन्न किसान हैं उनको सम्पन्न किसानों से पहले सरकार को छूट देनी है । इस तरह से मान्यवर, मुझे खुशी है कि आहिस्ता-आहिस्ता यह बातें उनकी समझ में आयी । जहां तक राजनीतिकरण का प्रश्न है, यह बात सही है कि उस आन्दोलन में, उस धरने में बहुत से हमारे राजनीतिक नेताओं ने हाथ सेंकने का प्रयास किया । यह बात भी सही है कि अगर उन किसानों ने किसी से बात की है तो उस पार्टी से बात की है जो वास्तव में किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं । आप लोग बार-बार वहां जाते रहे, कभी किसी की श्रद्धांजलि का ढोंग करके वहां पहुंचते रहे लेकिन जब उनको जानकारी हुई कि ये उनके प्रतिनिधि नहीं हैं, उनका नेतृत्व नहीं करते हैं तो इन्होंने आपसे बात नहीं की । अगर उन्होंने बात की तो कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार के लोगों से बात की ।

मान्यवर, राम शरण दास जी यहां पर नहीं हैं, हमारे लोक दल (ब) के नेता यहां पर नहीं हैं । उन्होंने आरोप लगाया है । उन्होंने अपनी पार्टी के नेता देवीलाल का उदाहरण दिया । उनका बयान मान्यवर, आपने भी पढ़ा होगा । उन्होंने कहा है कि किसान यूनियन के नेता कांग्रेस (आई) के एजेन्ट हैं। आप आरोप हम पर लगा रहे हैं । आप उनसे तो बात नहीं कह रहे हैं ।

हमारे सम्मानित सदस्य बरार साहब पता नहीं किस पागलपन के शिकार हो गये हैं . .

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । क्या वहां पर किसी सदस्य के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाया जा सकता है ?

श्री हुकुम सिंह

मैंने आक्षेप नहीं लगाया । . . . (व्यवधान) । मैंने उनको पागल नहीं कहा । . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वे कह रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय देवीलाल जी इस सदन के सदस्य नहीं हैं । अखबार में क्या छपा है या उन्होंने क्या कहा है ? यह बात यहां पर कहना मुनासिब नहीं है । जो मंत्री जी कह रहे हैं, वह उन्होंने नहीं कहा बल्कि उन्होंने यह कहा कि जो आन्दोलन हो रहा है वह उचित है और जब 32 रुपया क्विंटल गन्ने का दाम जमुना के उस पार दे सकते हैं तो वहां पर क्यों नहीं दिया जा सकता है । . . (व्यवधान) । यह सरकार किसान विरोधी है ।

श्री हुकुम सिंह–

श्रीमन्, जो हम लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा, वही मैंने कहा । मैंने कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया । उन्होंने अपने 5 मिनट के भाषण में 5 बार एक ही शब्द का प्रयोग करते रहे । पता नहीं उनको इस शब्द से क्यों इतना बड़ा लगाव है? मुझे लगता है कि जब से उनको हमसे विच्छेद हुआ है तब से वे ऐसे शब्दों को दुहराते जा रहे हैं । अगर वास्तव में आपको किसानों की समस्याओं का ध्यान है . . और चाहते हैं कि गम्भीरता से विचार होना चाहिए तो रचनात्मक सुझाव रखें ताकी उन पर विचार किया जा सके । आज किसान का गन्ना संकट में है उस संकट का एहसास आप नहीं कर पा रहे हैं, कितना गन्ना खेतों में पड़ा है और कितनी मिलों की क्षमता है वह सब गन्ना पिर पायेगा या नहीं इसका एहसास उत्तर प्रदेश की सरकार को, माननीय मुख्य मंत्री जी को है उन्होंने आदेश यह दिये हैं कि मिलें भले ही जून और जुलाई तक चलानी पड़े लेकिन किसान का गन्ना पेरा जाय । यह हिम्मत उत्तर प्रदेश सरकार की की है । इसलिए कोई दम इस कार्य -स्थगन प्रस्ताव में नहीं रह जाता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कार्य-स्थगन प्रस्ताव में जिन मुद्दों को उठाया गया था उसमें हम अपेक्षा करते थे कि उन पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री चर्चा करेंगे ? लेकिन यह केवल लंतड़ानी करते रहे । हम साफ-साफ चाहते हैं कि यह सरकार गन्ने की कीमत क्या बढ़ाने को तैयार है ? दूसरी बिजली के संबंध में जितनी किसानों को बिजली मिलती है उतने ही दाम की नीति को यह सरकार अपनायेगी और इस समय मुखे और ओले के कारण जिस तरह की उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है उसे वापस लेकर लगान माफी की घोषणा सदन में करेंगे ? तो यह तीन मुद्दे हैं बिजली के बारे में, गन्ने के दामों में वृद्धि के बारे में और लगान माफी के बारे में जवाब दे दें ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी गुप्ता जी ने तीन बातें मुझ से पूछी एक तो यह कि क्या गन्ने के दाम बढ़ाने को तैयार हैं या नहीं ? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के दाम पहले से ही बढ़ाये हुये हैं, फिर बिजली के बारे में सवाल किया तो जितना बिजली में खर्च आता है उससे कम उत्तर प्रदेश सरकार किसानों से पहले ही से वसूल कर रही है । इसलिये जो बातें आपने कही हैं वह सब राजनीति से प्रेरित होकर की हैं ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सरकार की इस किसान विरोधी नीति के विरोध में हम अपने दल के साथ सदन त्याग करते हैं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

हम भी अपने दल के साथ सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन सदन त्याग कर चले गये)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सरकार के इस रवैये पर हम अपने दल के साथ सदन त्याग करते हैं ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री कौशिक रमा शंकर–

हमारा दल भी, सरकार की किसान विरोधी नीति पर सदन त्याग करता है ।

(श्री कौशिक रमा शंकर भी अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री हृदय नरायन दीक्षित, श्री शारदा प्रताप तथा श्री राज किशोर सिंह आदि अन्य नेता गण सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें । माननीय मंत्री जी ने एक ऐसी बात कही जिसके लिये मुझे स्पष्टीकरण मांगना आवश्यक हो गया है । इसके लिये मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आपको क्या कहना है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गन्ने के दाम पहले ही बढ़ा चुकी है । उन्होंने यह भी कहा कि केवल 30 प्रतिशत गन्ना चीनी मिलों के द्वारा पेरा जाता है । गन्ना मूल्य में वृद्धि से केवल उन्हीं किसानों को फायदा होगा जिनका गन्ना मिलों में जाता है बाकी जो क्शर में देते हैं उनको लाभ नहीं होगा, उन्होंने यह भी कहा कि केवल उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्य मंत्री ही किसानों के पक्षधर हैं । मैं इस पर सिर्फ तीन बातें कहना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष–

इस प्रकार तो फिर बहस छिड़ जायेगी । मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

भारत सरकार की स्टेटुचरी केन प्राइस के आधार पर गन्ने के मूल्य निर्धारित किये जाते हैं और साथ ही भारत सरकार लैवी शकर के दाम बढ़ा सकती है जिसके आधार पर गन्ने के दाम निर्धारित किये जाते हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब यह बहस का मुद्दा नहीं होगा । आप खतम कीजिये ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

हमारा कहना यह है कि सरकार को दाम बढ़ाने में क्या परेशानी है ? जहां तक रिकवरी का सवाल है उत्तर प्रदेश में रिकवरी साढ़े 9 प्रतिशत है, हरियाणा में साढ़े 8 प्रतिशत है, बिहार में साढ़े 9 प्रतिशत है । हमारे अलावा हरियाणा और बिहार में दाम बढ़ाये जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

हम सरकार की इस नीति के विरोध में सदन का त्याग करते हैं ।

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह भी अपने दल लोक दल (अ) के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।]

(व्यवधान के मध्य)

श्री किरन पाल सिंह–

मेरी बात को सुन लें, जिन किसानों को घरों से उठाकर रासुका में बन्द कर रखा है . .

(श्री किरन पाल सिंह के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

किरन पाल जी, आपके दल के लोग चले गये हैं आप मेहरबानी करके जायें । मैं आपकी बात को नहीं सुनूंगा ।

श्री किरन पाल सिंह–

मेरी बात को सुन लें । जिन किसानों को रासुका में बंद कर रखा है उनके छोड़ने के बारे में कुछ कहें ।

(शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप मेहरबानी करके बैठ जायं । बजट का समय है आप किसानों के बारे में रोज कह सकते हैं । (श्री किरन पाल सिंह के फिर भी खड़े रहने पर) आप बैठ जांय वरना मजबूर होकर कार्यवाही करना पड़ेगा । आप कृपया बैठ जायं ।

(श्री किरन पाल सिंह के न बैठने पर तथा घोर व्यवधान होने पर)

किरन पाल जी आप छोड़ें, आप सदन छोड़ें, आप अवश्य सदन छोड़ें ।

राणा जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, श्री किरन पाल जी चाहते हैं कि जो किसान रासुका में बंद किये गये है उनके संबंध में आप मंत्री जी को निर्देश दें कि उनको छोड़े ।

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी बात को सुन लें । मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के महत्वपूर्ण मसलें हैं, इसलिये मैं इसके लिये दो घन्टे की चर्चा स्वीकार करता हूं ।

श्री किरन पाल सिंह–

जिन किसानों को रासुका में उनके घरों से उठाकर बंद किया गया है उनके बारे में कहना चाहता था लेकिन आप सुनते नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जांय ।

नियम 291 (क) के अन्तर्गत श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा सदन में अपना स्पष्टीकरण देने हेतु दी गयी सूचना

श्री अध्यक्ष–

चूंकि नियम 56 की सूची बहुत लम्बी है और देर तक बैठना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले माननीय बरार जी ने नियम 291 (क) के बारे में जो प्रार्थना-पत्र भेजा है कि उनको स्पष्टीकरण्ण करने का मौका दिया जाए, उनको सुन लिया जाए और चूंकि कल कुछ बातें हुई थीं, तो मैं दो बातें माननीय बरार जी से पूछना चाहता हूं। किस बात का वह स्पष्टीकरण देना चाहते हैं? नम्बर एक और क्या आरोप है जिसके बारे में वह स्पष्टीकरण करना चाहते हैं नम्बर दो। दो विषय आपने उस दिन उठाए थे। तो आप संक्षेप में कहें और कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिससे कोई विवाद उत्पन्न हो।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं न किसी पर कोई आरोप लगाना चाहता हूं और न किसी का नाम लेना चाहता हूं। मान्यवर, नियम 291 (क) में स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस किसलिए दिया था, उसकी ग्राह्यता पर ही मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, आप यहां पर की परखों की कार्यवाही देख लें तो इसमें माननीय हुकुम सिंह जी का कथन दर्ज है कि अनुशासनहीनता के कारण तथा दल विरोधी कार्यों के कारण मुझे कांग्रेस विधान मंडल दल की सदस्यता से निकाला गया है । मैं जैसा कि आपको विदित है कि मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं और मेरे लिए अनुशासनहीनता का आरोप किसी बड़े से बड़े अपराध से कम नहीं है। तो इन्होंने जब सदन को अपने दल के प्रचार का मंच बना लिया है और मुझे आरोपित कर दिया तो मुझे स्पष्टीकरण देने का भी अधिकार है । मान्यवर, मैं बिल्कुल किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं। मान्यवर, मैंने तब भी आपसे कहा था, सदन की कार्यवाही में जब किसी पर आरोप लग जाये तो उसे स्पष्टीकरण देने का अधिकार हो जाता है । यही आरोप वह प्रेस में लगा देते अथवा आपके पास पत्र भेज देते, तो मैं कुछ नहीं कह पाता यहां, लेकिन जब यह सदन की कार्यवाही में शामिल हो गया और मुझ पर आरोप लग गया तो मेरा अधिकार हो जाता है कि मैं स्पष्टीकरण दूं। आप कार्यवाही को देखेंगे, नियमों को देखेंगे तो उसमें यह व्यवस्था है, जो संविधान के प्रति हमारा दायित्व है कि उनको

अदा करें। मैंने उस दिन भी कहा था, संविधान के प्रति हम शपथ लेते हैं चुनाव से पहले और बाद में भी, कि हम भारत की एकता और अखण्डता की अक्षुण्ण रखेंगे और संविधान के अन्तर्गत ही यह नियमावली बनती है। तो यहां कोई भी बात उसके बाहर नहीं हो सकती है। अवशिष्ट शक्तियों के अन्तर्गत आप नियम 313 में भी ऐसी अनुमति आप दे सकते हैं । मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं क्योंकि इस मामलों में तो स्पष्टीकरण का मेरा अधिकार वैसे ही स्पष्ट है । आप पीठ पर विराजमान हैं संविधान के प्रति और देश के प्रति शपथ लेते हैं । यदि आप किसी ऐसे दल में हैं, किसी ऐसे दल से चुनकर आ जाएं और उस दल के बारे में आपको ऐसा आभास हो कि उसमें देश भक्ति की कमी है और उसमें देश के प्रति निष्ठा को उतना महत्वपूर्ण वहां पर नहीं माना जाता है जितना कि दल के प्रति निष्ठा को और उसी दल के नेता द्वारा सदन में आपको अनुशासनहीन कहा जाए तो क्या आप उस दल के खिलाफ बगावत करने को संवैधानिक अधिकार नहीं मानेंगे और आप स्पष्टीकरण देने के अधिकारी नहीं होंगे? तो क्या आप इस बात को कहना नहीं चाहेंगे कि इस देश की स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो रहा है इस शपथ के बाद यदि लंदन की ईस्ट इंडिया कम्पनी आज इटली की स्नाम प्रोगति कम्पनी बनकर उस दल की कृपा से इस देश में आ रही हो, तो क्या आप अपने दल से बगावत करके इस सदन में दल विरोधी कहलाने के हकदार हैं अथवा देशभक्त कहलाने के हकदार हैं और स्पष्टीकरण के हकदार हैं या नहीं? आप उस पीठ पर बैठे हैं . . . (व्यवधान) मान्यवर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री नेकचन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, इस तरह की बातों को कार्यवाही से निकाला जाए और इनको बोलने से रोका जाए। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं दोनों पक्ष से अनुरोध करूंगा कि वह शान्ति बनाए रखें । बरार जी, मैंने एक मौका आपको दिया, तो कृपा करके ऐसी बात न उठायें, जिससे कि हमको रोकना पड़े और बहुत संक्षेप में ही अपनी बात कहें । संक्षेप में अपनी बात खत्म कर लें । आप समझदार व्यक्ति हैं और जब मैंने आपको मौका दिया है तो आप अपनी बात कह लें। प्रेस वाले भी बैठे हैं अगर कोई ऐसी बात उठायेंगे तो दोनों तरफ से शोर होता है। व्यवधान होता है।

(शोर)

श्री जगदीप सिंह बरार–

मान्यवर, आप निर्देश दे देंगे कि देशभक्ति विवादस्पद है तो मैं इस विषय पर नहीं कहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आप बहस में न जाएं अपनी बात कहें।

(अत्यधिक शोर)

संसदीय कार्य राज्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय बरार जी को स्पष्टीकरण देने की अनुमति आपने दी। वह एक मारल ग्राउन्ड के ऊपर औचित्य की बात बता रहे हैं। उनको तो इस दल से अलग हो जाना चाहिए था । अगर इस दल में कमी थी तो क्या उनके अन्दर ऐसा साहस हुआ कि वह त्यागपत्र देकर उस दल से बाहर हो जाएं। हमारी मारल्टी गिरी हुई है यह सब समझते हुए भी वह उस दल की सदस्यता को निभाते रहे और विधायक बने रहे।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री व्यवस्था के प्रश्न को इस तरह से उठायेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे ?

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, जिस दल ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि मैं कहना नहीं चाहता हूं वैसे अगर आप अनुमति दे दें तो मैं कह दूं जिस दल ने मान्यवर, मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं वह भी कहता है कि सुरक्षा सौदा के दलालों को पकड़ेंगे परन्तु आचरण कुछ और करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

पांच मिनट मैं आपको दे रहा हूं पांच मिनट में आप अपनी बात कह दें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे दल से चुनकर आ जाएं सदन में जिसका नेतृत्व करने वाला. . .

(घोर व्यवधान)

[x x x]

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप सब बैठें, मैं खड़ा हूं । बरार जी, मैंने आपको स्पष्टीकरण के लिए मौका दिया है अब आप अन्य विषय उठायेंगे तो मुझे समाप्त कर देना पड़ेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर कहना चाहता था। मैंने कोई विषय ऐसा नहीं उठाया (पुनः शोर होने पर) मैं अन्तिम बात कहकर बात खत्म करूंगा, भयंकर सूखा यदि आज पड़ा हो और [xxx]

श्री अध्यक्ष–

जो आपने आरोप लगाया है वह नहीं लिखा जाएगा।

नोट–[xxx] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है।

(अत्यधिक शोर)

श्री पूरन सिंह माहरा–

वह अनुशासनहीनता रखते हैं और आप बोलने दे रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं निर्णय दे चुका हूं, यह कुछ नहीं लिखा जायगा ।

माननीय बरार जी, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मुझे दो मिनट बोलने के लिए मौका दे दीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर लीजिए ।

(श्री जयदीप सिंह बरार के खड़े होने पर)

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, इनका खुला आरोप आपकी भावनाओं पर है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, अगर मेरे शब्दों से किसी सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो मुझे खेद है, लेकिन मुझे खुशी है इन सदस्यों की तिलमिलाहट को देख कर कि अभी भी इधर के कुछ सदस्यों के दिल में देश-भक्ति की भावना मौजूद है। मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता था, ग्राह्यता पर ही बोल रहा था. स्पष्टीकरण का अगर मौका दिया गया होता, तो ज्यादा समय लेता । मान्यवर, यह सब होते देखकर ही मैंने बगावत की है, इसलिए मुझे नियम 291(क) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण का मौका मिलना चाहिए । संविधान और देश की एकता तथा अखण्डता अक्षुण्ण रखने के लिए ली गई शपथ का यही तकाजा है । अगर देश-भक्त होने के कारण मुझे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़े, तो दलीय नैतिकता से ऊपर मानकर मैं सदन छोड़कर जनता के सामने जाने के लिये तैयार हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

सूचना नं0 6, 7 और 8 अब लेते हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बल देने के लिए आपसे कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यहां पर हर मुद्दे पर ठीक से बहस हो, मान्यवर; हमारे पक्ष के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, तो आपको क्रोध आ जाता है। अभी जब

माननीय बरार साहब बोल रहे थे, तो सत्ता पक्ष के लोग उनके बोलने में व्यवधान डाल रहे थे । श्रीमन्, यह सरकार जो इस समय हमारे प्रदेश में चल रही है, यह किसानों के नाम पर कोई भी काम करने में डरती है और इसलिए डरती है कि अगर किसानों के लाभ के लिए काम कर देंगे, तो सरकार का नुकसान हो जायगा । माननीय कृषि मंत्री जी अभी बैठे हुए थे, चले गये । मान्यवर, इनकी नाक के नीचे हरदोई, बाराबंकी, सुल्तानपुर....

(इस समय 12 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

उन्नाव में 14 फरवरी को इतनी भीषण ओला वृष्टि हुई कि सूखे से किसान परेशान तो था ही ओला वृष्टि से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गयी और वह भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। तमाम किसान जिलाधिकारी के यहां अपनी फरियाद लेकर गये । बाराबंकी में भी हमारे जिले में भी लोग ओला लेकर, गेहूं लेकर, चना लेकर गये हैं, सब खत्म हो गया । इस सबको लेकर माननीय भगवती सिंह जो विधायक हैं, ने यहां प्रदर्शन किया लेकिन उनको गिरफ्तार करवा दिया गया । आज इतना बड़ा सूखा पड़ा, ओला वृष्टि हुई लेकिन न राजस्व मंत्री जी की तरफ से न किसी मंत्री की तरफ से, न मुख्य मंत्री की तरफ से कोई राहत का एलान हुआ है। इस ओला वृष्टि से बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है कि आगे के महीनों में कैसे उनकी जीविका चलेगी ? किसान भुखमरी और तबाही की कगार पर है । जिनकी पूरी फसल नष्ट हो गयी है या 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल नष्ट हो गयी है उनको क्या राहत दिये जा रहे हैं। श्रीमन्, तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि किसान बर्बाद हो गया है। श्रीमन्, कल मैं अपने क्षेत्र में गया था यहां कार्यवाही के बाद तो मैंने देखा कि गांवों में कोई भी फसल खड़ी नहीं है । किसान की पूरी लागत उसमें लगी हुई थी किसान के पेट में जो रोटी थी उसको कुदरत ने निकाल दिया है लेकिन सरकार इस मामले में खामोश है। उसको लग रहा है कि अगर वह कोई फायदा कर देंगे तो उनकी सरकार खत्म हो जायेगी । जब उनको कोई राहत देने की बात आती है तो यह चुप हो जाते हैं। यह बहुत दिन चलने वाला नहीं है। किसान पीड़ित है अगर कुछ नहीं हुआ तो हम और भगवती सिंह जी गाय और बैल लाकर आपके दरवाजे पर बांध देंगे । आप मौजमस्ती कर रहे हैं और किसानों के नाम पर लूट रहे हैं और हंस रहे हैं मंत्री जी को शर्म नहीं आती है किसान परेशान है पूरे प्रदेश में और मंत्री जी हंस रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शान्ति बनायें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। अगर इसी तरह से उपेक्षा करते रहे तो यह आपकी कुर्सी नहीं रहेगी । इसलिए अनुरोध है कि तत्काल यह घोषणा करें कि जो बर्बादी हो गयी है सूखे से पहले पीड़ित हैं लोग, उनको राहत देने की

घोषणा की जाय । अगर यह सरकार न करे तो आप अपने अधिकारों से सरकार के निर्देश दीजिए, चर्चा कराइये ।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

बाबू हुकुम सिंह जी के यहां सब जानवर छोड़कर भैंस बांध दीजिए ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, एक पखवारा हुआ प्रदेश के किसानों पर दूसरी बार बज्रपात हुआ। पिछले साल सूखे से तबाह और बर्बाद हुआ किसान अभी संभाल भी नहीं है कि और अब पिछले पखवारे में भयंकर आंधी और तूफान, भारी वर्षा और भीषण ओला वृष्टि हुई उस ओला वृष्टि से पूरे प्रदेश में खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ और बाराबंकी में, सीतापुर में, हरदोई में, रायबरेली और उन्नाव में पूरी तौर पर फसल बर्बाद हो गयी है । आज किसान बर्बादी और तबाही की कगार पर खड़ा है । मान्यवर, पिछले साल जहां उसकी फसल सूखे से चौपट हुई थी तो किसान की सारी आशा इस आने वाली फसल पर थी लेकिन यह ओला वृष्टि से बर्बाद हो गयी । ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से राहत के रूप में सहायता के रूप में कुछ भी नहीं किया गया है इसके कारण किसानों में व्यापक और भीषण असन्तोष है। मुझे दुख है कि ऐसी समस्या के लिए जिस गम्भीरता से इस विषय को सरकार को लेना चाहिए था, सरकार पूरी तरह से उदासीन है और उसने कुछ नहीं किया । मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप इस सवाल पर सदन में चर्चा करावें, ताकि इस सवाल की विभीषिका और भयंकरता का सरकार को अंदाज हो सके और किसानों की राहत और सुविधा के लिए कोई ठोस और प्रभावकारी कदम सरकार द्वारा उठाया जाय ।

श्री भगौती सिंह–

मान्यवर, इस वर्ष में शताब्दी का सबसे बड़ा सूखा पड़ा है, खरीफ की फसल किसानों को नहीं मिली और पूरी तरह से बर्बाद हुई । रबी की फसल में पूरी लागत और परिश्रम से किसानों ने तैयारी की तो 14 फरवरी को जबर्दस्त ओला-वृष्टि हुई। यह ओलावृष्टि लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली जिलों में प्रभावित हुई है। मान्यवर इतना जबर्दस्त ओला, जिसमें किसानों ने अपनी छतों से फावड़े से ओला हटाया, तब उनके घर बचे । वह 14 फरवरी का ओला 16 फरवरी तक नहीं गला । इस स्थिति में किसान की फसल बर्बाद हुई और रबी में कुछ नहीं बचा और आम का बौर समाप्त हो गया । मान्यवर, इतने जबर्दस्त ओले के बावजूद 21 तारीख तक कोई कर्मचारी, लेखपाल से लेकर अधिकारियों में परगनाधिकारी तक कोई गांव में नहीं गया । सब के सब मा0 राजीव गांधी के आने पर स्वागत की तैयारी में लगे रहे । किसान मरता रहा । यहां पर राजधानी में पूरी पलटन बैठी रही, मंत्रियों की । किसी के मुंह से राहत के लिए कोई शब्द नहीं निकला और 23 तारीख को जब मैं किसानों को लेकर मुख्य मंत्री जी को मांग-पत्र देने आ रहा था, राहत के लिये कहने आ रहा था, तो इस

सरकार की पुलिस ने हमको और हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया और ले जाकर आलमबाग थाने में बैठाए रखा और रात में छोड़ दिया । मान्यवर, हमारी गिरफ्तारी की सूचना आज तक इस सदन में नहीं है। यह आपको देखना चाहिए था कि जो सूचना आप देते हैं, उसमें आज तक हमारी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है । मान्यवर, जो क्षति हुई, उसमें रबी की फसल में कुछ भी नहीं बचा । सूखे में सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कहा गया कि सूखे में राहत भेज रहे हैं, राहत भेज दी, लेकिन आज तक यह स्थिति है कि किसी भी किसान को एक पैसे की राहत नहीं मिली है। मान्यवर, ओला का प्रभाव इस सीमा तक हो गया है कि जानवरों का चारा तक खत्म हो गया है। किसानों के घरों में पैसा नहीं, अन्न नहीं और खाने का और कोई साधन नहीं रह गया है। जो गांव के खेतिहर मजदूर हैं, उनके सामने तत्काल संकट आ गया है कि क्या खायें ? जो किसान हैं उनके घरों में 10 दिन के बाद चूल्हे जलने की नौबत नहीं रह जायेगी । सरकार की स्थिति यह है कि सूखे का प्रभाव पहले ही था, ओले की नयी आपदा आ गयी और इनके अमीन गौरी शंकर जी बैठे हैं, इनके अमीन गांव-गांव में वसूली के लिए घूम रहे हैं। मान्यवर, भूमि विकास बैंक की शाखा ने अमृत प्रभात पत्रिका में किसानों की जमीन नीलाम करने की नोटिस निकाली है। बेशर्मी से वह सरकार कह रही है कि किसानों को राहत दी जा रही है। खेद है कि सरकार ने आज तक उनकी लगान माफ किये जाने की, कर्जे माफ किये जाने की, या छात्रों की फीस माफी की घोषणा नहीं की है । न ही यह घोषणा की है कि किसानों के लिये राहत के काम किये जायेंगे । न ही इन्होंने यह घोषणा की कि निराश्रित लोगों को मुफ्त भोजन दिया जायगा । न यह घोषणा की गयी कि आवास विकास और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जिन लोगों की जमीनों को अधिग्रहीत कर लिया है, उन किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जायगा । ताकि किसान राहत पा सकें । प्रभावित किसानों के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप सारी कार्यवाही को रोककर इस लोक महत्व के प्रश्न पर अविलम्ब चर्चा करायें ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय श्री गौरी शंकर भइया जी की भी इस पर सूचना थी, वह इस समय सदन में हैं नहीं । मैं उनकी तरफ से बोलना चाहता हूं।

(श्री हुकुम सिंह द्वारा श्री गौरी शंकर, राज्य मंत्री (राजस्व) की ओर इशारा करते हुए)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय गौरी शंकर जी, सदन में हैं । वे खड़े भी हो गये हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह तो बड़े उताव्ले रहते हैं बोलने के लिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें प्राक्सी वाली तो कोई बात है नहीं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, महत्वपूर्ण विषय है, इसमें एक मिनट लूंगा ।

मान्यवर, यह ओलावृष्टि वाली बात--एक जिले की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है । माननीय गौरीशंकर राजस्व राज्य मंत्री जी तो बड़े उतावले रहते हैं बड़ी जल्दी खड़े होते हैं, बड़ी जल्दी जवाब देने के लिये खड़े हो जाते हैं । मान्यवर, इतना भारी सूखा पड़ा था, जिसके संदर्भ में प्रधान मंत्री से लेकर इनके मुख्य मंत्री और मंत्रिगण ने पूरे देश और विदेश में ढिंढोरा पीटा और भिक्षाटन किया कि पैसा नहीं है । इन्होंने देश विदेश से उसमें राहत पहुंचाने के लिये पैसा मांगा । मान्यवर, सूखा राहत में इन्होंने पूरा पैसा लूट लिया और कहीं कोई काम हुआ नहीं। इस प्रदेश के कम से कम 12–13 जिलों में भयंकर रूप से ओला पड़ा है, स्टेटमेंट देने के लिए तो यह खड़े हो जाते हैं, लेकिन ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में राहत कार्य कुछ किया नहीं गया है। लगान मुल्तवी कर रखा है जहां सूखा पड़ा है, मैं कहना चाहता हूं कि जहां-जहां ओला पड़ा है, वहां लगान माफ कर दिया जाय, प्रभावित क्षेत्रों के बच्चे जो हाईस्कूल, इण्टर और बी0 ए0 में पढ़ रहे हैं उनकी फीस माफ कर दी जाय और कर्ज जो छोटे किसानों के कोआपरेटिव के हैं उनको माफ किया जाय, बिजली के सम्बन्ध में रियायत दी जाय ताकि किसान इसको अदायगी कर सकें । अभी माननीय गौरी शंकर राज्य मंत्री जी अपनी बात कहेंगे, लेकिन जब सरकार ने कोई कार्य किया ही नहीं, तो फिर स्टेटमेंट किस बात का सदन में देंगे ? मैं मांग करूंगा कि आप इस पर चर्चा करायें केवल वक्तव्य दे देने से काम नहीं चलेगा । सरकार जो काम करना चाहती है, वह 7–10 दिन में हो जाय और सदन भी उससे अवगत हो जाय ।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरीशंकर)–

बड़े ही स्नेहपूर्ण संदर्भों में हमारे वरिष्ठ भाई रेवती रमण सिंह जी ने सन्दर्भ दिया है।

श्री भगौती सिंह–

मान्यवर, इस पर चर्चा करायें।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी खड़े हुए हैं, उनका वर्जन आ जाने दीजिये ।

श्री गौरी शंकर–

आप विषय की गम्भीरता के अनुरूप, ओलावृष्टि से बेसहारा योजना तक पहुंच गये । मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अभूतपूर्व योजना घोषित की गयी बेसहारा योजना, जिसका कि कोई सहारा नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 किलो अनाज और 50 रु0 की व्यवस्था ऐसे व्यक्ति के लिए की है, जो भूखों मर रहा है । चलिये कम से कम इस बहाने आपने इस अभूतपूर्व बेसहारा योजना का कहीं जिक्र किया । मान्यवर, ओलावृष्टि का जिक्र आया, मैं कहना चाहता हूं कि शासन पूरी तरह से जागरूक है, जहां-जहां ओलावृष्टि का संदर्भ आया है, उसको गम्भीरता के अनुरूप जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। धनराशि

जनपदों में पहले से ही उपलब्ध है। उनको कह दिया गया है कि किसी प्रकार की राहत की कमी न होने पाये । हर प्रकार की राहत किसानों को पहुंचाई जाय और इस सम्बन्ध में स्टैंडिंग आर्डर्स पहले से ही है। यदि कोई विशेष बात माननीय सदस्य इस संदर्भ में शासन की संज्ञान में लायेंगे, तो वे उसके लिये धन्यवाद के पात्र होंगे । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि इसमें कहीं कोई शिथिलता होगी तो उस शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और किसानों के हित में राहत काम तेजी से बरकरार रखे जायेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उसी सम्बन्ध में मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ओलावृष्टि से कितनी क्षति हुई है और प्रति एकड़ किसानों को क्या क्षति पूर्ति कर रही है?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आप इसे चर्चा के लिए स्वीकार करें । माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, सम्मानित सदस्यगणों का कहना यह है कि ओलावृष्टि से जो किसान प्रभावित हुए हैं, उनके राहत के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसीलिए इस विषय पर यहां काम रोको प्रस्ताव दिया गया है। माननीय राजस्व मंत्री जी जब बयान देने खड़े हुए तो उन्होंने सूखा राहत की बात तो कर दी लेकिन ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को क्या अतिरिक्त राहत दी जा रही है, उसका उल्लेख नहीं किया । गरीबी का माननीय मंत्री जी ने मजाक उड़ाया और कहा कि बेसहारा लोगों को हम 10 किलो व 50 रु0 प्रति महीने दे रहे हैं । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनके मंत्रिमण्डल के लोगों पर प्रतिदिन क्या खर्चा हो रहा है ? क्या 50 रुपये से इस महंगाई के जमाने में एक महीने का खर्चा चल पायेगा ? एक प्रकार से माननीय मंत्री जी ने गरीब का नहीं गरीबी का मजाक उड़ाया है। ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को क्या राहत दी गयी? इसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा कि स्टैन्डिंग आर्डर्स भेज दिये हैं; बिल्कुल सदन को गुमराह किया है । रेवेन्यू का कोई भी अधिकारी अभी किसानों से यह पूछने नहीं गया है कि उन्हें इससे कितना नुकसान हुआ है । कोई भी स्टैन्डिंग आर्डर्स जिलों में नहीं पहुंचे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी की इस गलत बयानी के लिए सदन का त्याग करता हूं।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

*श्री बदन सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं इस आदरणीय सदन में एक ऐसे कालगर्ल रैकेट की चर्चा करने जा रहा हूं जिससे भारत की सभ्यता और संस्कृति नष्ट हो रही है। मान्यवर, 7 फरवरी, 1988 को कु0 नीलम पुत्री श्री खेमचन्द्र, निवासी काला महल, आगरा की एफ0 आई0 आर0 पर न्यू आगरा की पुलिस ने श्रीमती सविता सहजवानी उर्फ स्वीटी, निवासी कमला नगर, आगरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह स्वीटी आगरा नगर की एक बहुत ही मशहूर सरगना की कालगर्ल है। स्वयं अपने विभिन्न हथकण्डों से कई गरीब भोली-भाली लड़कियों को बलात्कार और वेश्यावृत्ति में फंसा दिया है। कुमारी नीलम, पूनम के अतिरिक्त ऐसी सैकड़ों गरीब परिवार की लड़कियां जो इस गन्दे पेशे की शिकार हो गई हैं। अभी तक इस पेशे को आगरा के धनाड्य व्यक्तियों, सफेद पोशों, प्रशासनिक अधिकारियों और राजनैतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। यह पेशा आगरा शहर के कमला नगर के सम्भ्रान्त व्यक्तियों की घनी बस्ती में पनप ही नहीं रहा है, अपितु इसकी जड़ें गहरी जम चुकी हैं, जिसकी वजह से पूरे आगरा के व्यक्ति डरे हुए हैं और भयभीत हैं। मान्यवर, इस रैकेट केस में कुछ आगरा पुलिस अधिकारियों ने हिम्मत करके स्वीटी को जेल तो भेज दिया है लेकिन अभी इस काण्ड में बहुत से अधिकारी व राजनैतिक लोग जुड़े हुए हैं। अभी तक उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है न उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। उनका यह अपराध 302 के अपराध से भी ज्यादा भयंकर है। 302 का अपराध एक व्यक्ति और एक परिवार तक ही प्रभाव डालता है, लेकिन यह सामाजिक अपराध ऐसा है, जो पूरे राष्ट्र और समाज पर प्रभाव डाल रहा है। अभी तक इस केस में बहुत से होटल मालिक, जो सामने आये हैं, वे हैं-महाराजा होटल, अमर होटल, अशोका होटल, शहंशाह होटल। ये होटल मालिक इस केस से जुड़े हुए हैं। यहां पर ये इतने प्रभावशाली हो गये हैं कि इन होटलों में जाकर इस उत्तर प्रदेश के कमिश्नर और मंत्रियों का 16 प्रतिशत और सचिवालय के सचिवों में $37\frac{1}{2}$ प्रतिशत सचिव इस पेशे से जुड़े हुए हैं। आगरा और दिल्ली के प्रवासों में इन होटल मालिकों द्वारा लड़कियों की सप्लाई की जाती है और इसके कारण ही आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने इसको पकड़कर जेल भेजा है और जिन अखबारों ने इसको छापा है, वह डरे हुए हैं। 3 अगस्त, 1986 को इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से की थी। उन्होंने अपने आदेश मुख्य मंत्री को भेजे थे और मुख्य मंत्री ने अपने आदेश आगरा के जिलाधिकारी को भेजे थे, जिलाधिकारी ने उसी ए0 डी0 एम0 को जांच दे दी थी, जो इसमें फंसा हुआ है। जब तक इस केस में शामिल सभी लोगों का पर्दाफाश नहीं हो जाता है और आगरा की फंसी हुई कालगर्ल्स को नारी संरक्षण गृह में नहीं भेजा जाता है इसकी जांच सी0बी0आई0 से नहीं करायी जाती है तब तक इन अपराधों का भांडाफोड़ नहीं हो सकता है। यह एक अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आज की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय और जिन व्यक्तियों ने शिकायत की है और जिन्होंने स्वीटी को पकड़ा है, उनकी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

मान्यवर, इस मामले में बहुत तेजी से कार्यवाही हो रही है । 7 फरवरी को धारा 363, 366 और 376 के अन्तर्गत और इम्मोरल ट्रैफिक एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ । दो अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है । इन व्यक्तियों के विरुद्ध इतनी तेजी से काम किया गया कि इन दो व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र भी न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त जो मुलजिम बचे हैं, 6 अभियुक्तों के नाम हैं इसमें, बाकी अभियुक्तों के खिलाफ भी तेजी से कार्यवाही की जा रही है, कुर्की वारण्ट तत्काल जारी किये जा रहे हैं । मैं इस सम्मानित सदन को और सदस्य, आगरा को आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति या आदमी हो, सामाजिक जीवन या किसी क्षेत्र का व्यक्ति हो, कोई भी प्रभाव शासन या प्रशासन पर काम नहीं करेगा।

(श्री रघुबर दयाल वर्मा के मुस्कराने पर)

फिरोजाबाद के सदस्य श्री रघुबर दयाल वर्मा जी भी प्रसन्न हैं और कह रहे हैं कि पुलिस ने तत्परता से काम किया है। हम यह समझते हैं कि सी0 आई0 डी0 या सी0 बी0 आई0 में देर लगेगी, सही अभियुक्त नहीं पकड़े जा सकेंगे, यह मामला कोल्ड स्टोरेज में चला जायगा, कुछ नहीं हो पायगा । इसलिये मेरा अनुरोध है कि सिविल पुलिस जिस तत्परता से तेजी से काम कर रही है, इसमें चार्जशीट भी दो अभियुक्तों के खिलाफ लगा दी गयी है शेष के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है । अभी जिन महिला का नाम लिया गया उसके खिलाफ भी कुर्की वारन्ट जारी हो गया है । मेरा यही अनुरोध है सदन से और आप सभी माननीय सदस्यों से कि सिविल पुलिस के माध्यम से इसमें तेजी से काम होगा और हो भी रहा है । आगरा में शान्ति व्यवस्था है, आगरा की जनता ने पुलिस द्वारा तत्परता से कार्य किये जाने को सराहा भी है और वहां पुलिस तेजी से काम कर रही है ।

श्री बदन सिंह–

उस होटल के मालिक के विरुद्ध शासन क्या कोई कार्यवाही करेगा ? शासन के लोग वहां दावत खाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

बदन सिंह जी, आप फिर बोल लीजियेगा, वह कह तो रहे हैं कि पुलिस तेजी से काम कर रही है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

इसमें मान्यवर, सी0आई0डी0 या फिर सी0बी0आई0 के द्वारा जांच करायी जानी चाहिये, सिविल पुलिस से नहीं ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मा0 उपाध्यक्ष जी, जो विषय माननीय बदन सिंह जी ने उठाया है यह निहायत गम्भीर विषय है और अभी जो मन्त्री जी कह रहे थे पुलिस के द्वारा कार्यवाही किये जाने की बात, तो मैं कहना चाहता हूं, कि इसमें सी0 आई0 डी0 या सी0 बी0 आई0 से जांच करायी जाय, भले ही उसमें कुछ देरी लगेगी सारे तथ्य प्रकाश में आ जायेंगे । जिस घटना में हमारे समाज के बड़े-बड़े अधिकारी और मंत्री लोग फंसे हों उसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोकल पुलिस कुछ नहीं कर पायेगी, केवल लीपापोती करके मामले को दबा दिया जायेगा । मैं नियम 56 के तहत जो मामला उठाया गया है इस पर बल देता हूं और इसमें सी0 आई0 डी0 या सी0 बी0 आई0 की जांच की मांग करता हूं। इन दोनों में से जिसको जांच को उपयुक्त समझें, उससे करायें, लेकिन इसमें लोकल पुलिस कुछ नहीं कर पायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

ये सी0 बी0 आई0 की जांच नहीं करा सकते हैं क्योंकि वह तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की है। सी0 बी0 आई0 की जांच मंत्री जी कैसे करा देंगे ? यह नहीं करा सकते हैं, इसे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट करायेगी ।

श्री बदन सिंह–

इसमें सी0 वी0 आई0 की जांच होनी चाहिए ।

(श्री दिवाकर विक्रम सिंह के बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

जो बात अपने परव्यू में नहीं है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता । दिवाकर विक्रम जी, जो बात मेरे अधिकार में नहीं है, सी0 आई0 डी0 की बात आप करें तो कुछ हो सकता है।

श्री सत्यपाल सिंह–

अभी सदन चल रहा है और आप उपाध्यक्ष के रूप में इस समय पीठासीन हैं । आप ऐसे साफ मना कर रहे हैं लेकिन हमारा आपसे कहना है कि आप पहले सरकार से पूछिये तो कि सरकार सी0 बी0 आई0 की जांच कराने के लिये तैयार है या नहीं? वह सी0 बी0 आई0 की जांच के लिये संस्तुति कर सकती है। आप उस कुर्सी पर बैठ कर साफ तौर से मना ही किये जा रहे हैं, उस कुर्सी पर बैठ कर हमको संरक्षण देने के बजाए आप कहते हैं कि हम नहीं करा सकते हैं ? आप सी0 आई0 डी0 की जांच के लिये या सी0 बी0 आई0 की जांच के लिये उनसे पूछिये तो ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गृह मंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल ने जो कहा है, क्या आप सी0 बी0 आई0 की जांच करा पायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मेरा नेता विरोधी दल से निवेदन है कि अगर सिविल पुलिस ही इसे कर देती तो रिजल्ट जल्दी आ जाता । यदि माननीय नेता विरोधी दल और सभी सदस्य यही चाहते हैं कि यह जांच सी0 आई0 डी0 से करायी जाय, तो हम करा देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

हो गयी सी0 आई0 डी0 से जांच की बात, झगड़ा समाप्त हुआ ।

(शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

अब झगड़ा क्यों हो रहा है ? अब तो जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने चाहा सी0 आई0 डी0 जांच, वह मान ली गयी, अब कृपया बैठें और काम को आगे चलने दें ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री बदन सिंह–

मैं मान्यवर, साफ-साफ कहना चाहता हूं कि एक होटल का मालिक है, अमर देव, जिसके पीछे 15 मामले पुलिस में संदिग्ध रूप से चल रहे हैं, इसलिए इस मामले में सी0 आई0 डी0 कोई काम नहीं कर सकेगी ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, केवल एक बात मुझे कहनी है, इस सी0 आई0 डी0 जांच के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

यदि माननीय मंत्री जी इस सदन को यह आश्वासन दे दें कि इस प्रकरण में जिन-जिन व्यक्तियों के नाम हैं पुलिस के पास, बिना किसी भेदभाव के उनके नाम चार्जशीट देकर गिरफ्तार करेंगे ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जिनके-जिनके नाम चार्ज शीट में होंगे, सभी के खिलाफ कार्यवाही होगी, यह आश्वासन मैं देता हूं।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, जो प्रकरण माननीय बदन सिंह जी ने उठाया है वह बहुत ही गम्भीर है। ाह स्वीटी नाम की काल-गर्ल उसी कालोनी में रहती है, जहां मैं निवास करता हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि इस मामले को काल गर्ल्स के फैले हुए जाल के मामले को बजाय मजाक के रूप में लेने के गम्भीरता से लिया जाए क्योंकि ऐसे आचरण से ऐसे कार्यों से पूरे प्रदेश के लोग प्रभावित हो रहे हैं। यह समस्या एकाध कालोनी या मुहल्ले या जिले से ही संबंधित नहीं है बल्कि यह सारे प्रदेश में फैली बीमारी है । इसमें बड़े-बड़े लोग व धनाड्य, राजनैतिक लोग, अधिकारीगण आदि सुरा व सुन्दरी के जाल में फंसे हुए हैं और फंसते जा रहे हैं । इस गम्भीर मसले पर उस कालोनी के कुछ समाज सुधारक, नौजवान हैं जिन्होंने पिछले साल इसे कई बार उठाया और यही नहीं ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक की मीटिंग में विधायक श्री अमिताभ लवानिया और मैंने भी इसके प्रति कार्यवाही के लिए कहा तो उसकी जांच हुई और अब यह कार्यवाही हुई । लेकिन यह कुकर्म कमला नगर में एक जगह पर ही नहीं, इसी प्रकार से अनेकों स्थानों पर हो रहा है। आगरा के एस0 पी0, श्री सुलखान सिंह ने प्रेस में बयान दिया है कि सविता सहसवानी जो उस का नाम है और उसने पुलिस को जो तथ्य दिये हैं, जो कुछ बताया है जो नाम बताये हैं उसकी वजह से उसकी जान को खतरा है। उनको छिपाया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे गृह मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करें कि चाहे कोई भी कितना बड़ा

आदमी हो, जो इस प्रकरण में शामिल है, उसको छोड़ा न जाये और किसी दबाव में आकर इस प्रकरण को छिपाया न जाये और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो, उसके प्रभाव में आकर उसको माफ नहीं किया जायेगा और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी की मांग की गयी, उसको सरकार ने मान लिया है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, यह सभी को मालूम है कि यहां पहले एक चीफ सेक्रेटरी थे, जिनका नाम श्री आर0वी0 सक्सेना है, उनको यहां से हटाया गया, वह भी इसी तरह के स्कैंडल में फंस गये थे। उसमें भी सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच हुई थी, उसकी रिपोर्ट आयी थी लेकिन उसको दबा दिया गया । अमर होटल का नाम लिया गया, रानी नाम की काल गर्ल थी उसको पकड़ा गया था लेकिन उसके तथ्य आज भी प्रकाश में नहीं आये हैं । सचिवालय में बैठे बड़े-बड़े सेक्रेटरी इस पूरे काण्ड में संलग्न हैं और यहां तक कि स्थानीय पुलिस है जो कि कुछ कर रही है, उसको भी खतरा पैदा हो गया है कि वह वहां रह पायेगी या नहीं । इसीलिए मान्यवर, बदन सिंह ने इस प्रश्न को उठा कर यह संरक्षण चाहा है कि इस मामले को दबाने के लिये सचिवालय के बड़े स्तर के अधिकारी लगे हुए हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से न हो क्योंकि सी0 आई0 डी0 की जांच से सारा प्रकरण खत्म हो जायगा । इसलिये इसकी जांच सी0 आई0 डी से न करायी जाय और यह सही है कि जैसा नेता विरोधी दल ने कहा था इसकी जांच सी0 बी0 आई0 द्वारा करायी जाय । सी0 बी0 आई0 से जांच कराने के लिये भारत सरकार को लिखा जाता है कि एसा प्रकरण है इसकी जांच सी0 बी0 आई0 द्वारा होनी चाहिए तब उसके द्वारा जांच होती है सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच कराने से स्थानीय पुलिस पर जो दबाव है वह न हो ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मैं अपने इस कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार जो है इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि यह कितनी किसान विरोधी सरकार है। किसानों की बात सुनना पसन्द नहीं करती और दावा करती है कि वह किसानों की बहुत हमदर्द है।

मान्यवर, लखनऊ जनपद के ग्राम शहजादेपुर, परगना व तहसील मोहनलालगंज के दो हरिजन—दयाराम और रामदीन विधान भवन के सामने जहां सरकार बैठी है उसकी आंख के सामने चालीस दिन से लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं। मान्यवर, उनकी स्थिति यह हो गयी है कि उनके शरीर का वजन 13–13 किलो घट गया है। आज पेपर में भी आया है और स्थिति यह है कि उनको पुलिस उठाकर सिविल अस्पताल ले गयी और वहां पर जबरदस्ती गुलूकोज चढ़ाया गया । उसके बाद वह फिर

यहीं विधान भवन के सामने आ जाते हैं। मान्यवर, यही नहीं दो दिन से मतऊरावत और राजाराम कुरील भी आमरण अनशन पर बैठ गये हैं। मान्यवर, रोज 25 से लेकर सौ सवा सौ लोग धरने पर बैठते हैं । पूरे गांव के लोग धरने पर बैठे हैं। मामला यह है कि वहां का जो ग्राम प्रधान है वह बाराबंकी का रहने वाला है और उस गांव में रह रहा है अपनी तिकड़म और तिजारत के माध्यम से सारी ग्राम समाज की जमीन जो पात्र व्यक्तियों का मिलनी चाहिए थी, उन लोगों को न देकर उसने अपने नाम और अपने परिवार वालों के नाम फर्जी पट्टे करके करवा ली है। जबरिया वह उस जमीन को जोत रहा है। उसने पूरी जमीन को मौरूसी जायदाद बना रखी है। यह सब सरकार की नाक के नीचे हो रहा है । सरकार कुछ नहीं कर पा रही है । मान्यवर, 20 तारीख को हुई प्रधान मंत्री की मीटिंग का हवाला देना चाहता हूं। उस दिन मैं समझ गया कि यह सरकार किसानों की कितनी हमदर्द है। मान्यवर, 14 तारीख को यहां पर लखनऊ में ओलावृष्टि हुई लोगों की तमाम फसल नष्ट हो गयी । हमारे क्षेत्र के बेलवा, कठिगरा, टिकरा, काकोरी में आम की जो पूरी फसल थी वह पूरी की पूरी नष्ट हो गई है और इस सरकार ने न मुख्य मंत्री ने और न प्रधान मंत्री ने ही इस ओला-वृष्टि पर कोई टिप्पणी की है बल्कि यह कहा कि किसान पागल है, महेन्द्र सिंह पागल है । साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि हम बिजली का बिल माफ नहीं कर सकते । मैं चाहूंगा कि आज किसान मरने की स्थिति में है, इसकी आप जांच करायें ।

2 फरवरी को मोहनलालगंज के तहसीलदार ने वहां के ग्राम प्रधान के खिलाफ जांच की थी और वह प्रधान निलम्बित कर दिया गया था लेकिन अभी तक उस प्रधान का बस्ता जमा नहीं कराया गया । सत्ता पक्ष के जो एजेन्ट हैं उनके माध्यम से वह यह काम कर रहा है . . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री शारदा प्रताप–

वह फाइल दबी हुई है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप उस प्रधान को निलंबित कर लें और उसका बस्ता जमा करवायें । साथ ही ग्राम समाज की जो जमीन है उसको हरिजनों और पात्र लोगों में आवंटित करवायें । इसके अतिरिक्त जो भ्रष्टाचार और बेइमानी प्रधान ने वहां पर की है उसकी आप जांच करवायें । इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि आज सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करवा दें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

श्रीमन्, जिस प्रधान का संदर्भ दिया गया है उसको निलम्बित कर दिया गया है। आगे की कार्यवाही जो नियमानुसार होनी है वह होगी । उनके कार्य का कोई प्रभाव आगे नहीं पड़ेगा इसका मैं सम्मानित सदस्य को आश्वासन देता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

समय का ध्यान रखें । दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

सदन में भोजनावकाश समाप्त करने का प्रस्ताव

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, लंच आवर समाप्त करने के बारे में मैंने लिखकर दिया था....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कब के लिये, आज के लिये?

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, उपवेशन के दौरान लंच आवर न हो ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिल सके । यह बात आप संसदीय कार्य मंत्री को कृपया निर्देशित करें कि या तो मेरा ही प्रस्ताव मान लें कि लंच के लिये जो हम लोग उठते थे, अब नहीं उठेंगे । था तो आप मेरा ही प्रस्ताव मानलें या संसदीय कार्य मंत्री इस आशय से प्रस्ताव ले आवें ?

श्री उपाध्यक्ष–

जो आपने सवाल उठाया है उसके बारे में आप प्रस्ताव ले आवें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह तो नेताओं की बैठक में आपके समक्ष तय हुआ था ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह तय हुआ था कि प्रस्ताव आयेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने प्रस्ताव किया है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

प्रस्ताव तो कराइये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लंच आवर खत्म कर दिया जाय ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

हम सहमत हैं।

श्री रघुवर दयाल बर्मा–

इसे पास तो कराइये (कोई टिप्पणी न आने पर) मान्यवर, संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने सहमति दे दी है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रस्ताव उन्होंने दे दिया है लेकिन जैसा नियम है उसके अनुसार लिख कर प्रस्ताव आना चाहिये और नियम समिति के सामने जाना चाहिये ।

श्री हुकुम सिंह–

सदन के सम्मुख माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है। उसमें थोड़ी बहुत शिथिलता भी होगी तो वह भी कर दी जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

तो प्रश्न यह है कि लंच आवर समाप्त कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष–

दो-दो मिनट सब को देता हूं जिनको सुनना है।

श्री सरदार सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस दिन महामहिम राज्यपाल इस सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ कर रहे थे यानी 23 तारीख को गोहाटी से दिल्ली जाने वाली ट्रेन 921 अप जो एक सुपरफास्ट ट्रेन है कानपुर और इटावा के बीच में लूटी गयी । यह हिन्दुस्तान की सबसे अच्छी गाड़ी मानी जाती है। बदमाश टी0 टी0 के रूप में कानपुर से डाक के डिब्बे में घुस गये । डाकतार के कर्मचारियों का मुंह बन्द कर दिया और इटावा तक बुरी तरह से लूट लिया उसमें 105 डिब्बे जो थे उनको खोल कर सारा सामान निकाल लिया उसमें 10 इंश्योर्ड पारसल पैकेट थे उसमें भारतीय सेना का सामान जा रहा था । इस प्रकार एक करोड़ से ज्यादा की लूट की । यह रेल इतिहास में सबसे बड़ी डकैती है। आये दिन रेलों और बसों में डकैतियां पड़ रही हैं। ट्रेनों और बसों में चलना खतरे से खाली नहीं है। हम अगर आज बचे हैं तो यह गुण्डों की मेहरबानी है। आम आदमी सुरक्षित नहीं है। इसलिए यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इस पर आज की सदन की शेष कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री सरदार सिंह–

एक करोड़ से ज्यादा की डकैती है, हिन्दुस्तान में रेल इतिहास में सबसे बड़ी डकैती है।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

इसमें मुकदमा कायम हो गया है, जांच हो रही है।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, विधान सभा के सामने श्री सी0 बी0 झा फ्री लांस पत्रकार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी हालत गम्भीर और चिन्ताजनक हो गयी है। उन्होंने आमरण अनशन पर बैठने का फैसला इसलिए लिया कि उनके घर पर इन्दिरानगर में कुछ बदमाश आये उनको धमकी दी । श्री संत प्रसाद सेठ के विरुद्ध वह कुछ गलत समाचार छापने के लिये कह रहे थे जिसको छापने से उन्होंने इन्कार कर दिया

उसके बाद से गुण्डे बदमाश उनके घर पर जाते हैं और उनकी जान से मार डालने की धमकी देते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट 28 जनवरी को गाजीपुर थाने में लिखायी लेकिन वहां का थाना इंचार्ज, श्री अरुण कुमार ने उस पर कोई सुनवाई नहीं की एस0 पी0 (सिटी) श्री एस0 एन0 सिंह के यहां फिर वह पत्रकार गये उन्होंने भी कुछ नहीं सुना । नतीजा है रोज ब रोज गुण्डे बदमाश उनके घर जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा काम करो नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा । मान्यवर, इस पत्रकार ने वाराणसी से एक जनवार्ता दैनिक समाचार पत्र निकाला है जिसमें इन्होंने महानगर कालोनी के बढ़ते हुए अपराध और अपराधियों के प्रति पुलिस की साजिश के खिलाफ एक राइट-अप (खबर) छापी थी जिससे लखनऊ की पुलिस भी इनसे नाराज थी । इसलिए जो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई उस पर आज तक कोई कार्यवाही पुलिस ने नहीं की है । अब वह तीन मांगों के लिए आमरण अनशन पर बैठ गये हैं कि एक तो उनकी जिन्दगी की रक्षा की जाये, दूसरे अरुण कुमार, इंचार्ज को गाजीपुर से हटाया जाये और तीसरे गुण्डे बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये । इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा करा दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, तेजी से इस पर कार्यवाही करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित पत्रकार की जिन्दगी को कोई खतरा न हो । इसके अलावा और कोई बात हो तो अलग से मिलकर बता दें ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, मंत्री जी यहां सदन में तो कहते हैं कि कार्यवाही करेंगे लेकिन जितनी होनी चाहिए वह हो नहीं पाती । मैं जानना चाहता हूं कि जो पत्रकार पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं उसको समाप्त कराने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा की जायेगी कि नहीं, यह बता दें ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, हमसे जो बन पड़ेगा वह करेंगे, लेकिन आप भी उनकी राजी खुशी लेने नहीं गये हैं। सरकार उनकी सुरक्षा निश्चित रूप से करेगी । यह कहना कि सरकार कुछ नहीं करती है तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अभी आगरा कांड के संबंध में आपने सी0 आई0 डी0 जांच की मांग की तो आर्डर हो गये हैं और कार्यवाही होगी ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, पत्रकारों पर गुण्डों ने बराबर हमले किये हैं और कहा है कि सुरक्षा की जायेगी लेकिन आज तक वह दिखायी नहीं देती है कि क्या कार्यवाही हुई है? अनेकानेक इस तरह की शिकायतें आती रही हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी आप उन पत्रकार की जो आमरण अनशन पर हैं उनका अनशन समाप्त करायेंगे कि नहीं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

इसका उत्तर तो दे चुके हैं कि जो बन पड़ेगा करेंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा काम रोको प्रस्ताव शीतगृह मालिकों द्वारा आलू का भंडारण पूरे प्रदेश में शुरू नहीं हुआ है जिससे किसानों के सामने समस्या पैदा हो गयी है, के बारे में है। इस पर हम तीन लोगों ने नोटिस दिया है। पूरे प्रदेश का सवाल है, हम जानना चाहते हैं कि तीनों लोगों को मौका देंगे या एक को ही सुनेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

ग्राह्यता पर बोलेंगे तो एक को सुन लेंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

ग्राह्यता पर तीनों की तरफ से श्री हर्षवर्धन जी को सुन लें ।

*श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर, प्रदेश में जो आलू का उत्पादन हुआ है उसके भंडारण की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गयी है । सरकार का किसानों के प्रति जो रुख है उसी का यह परिचायक है कि आज किसान को आलू खोदने के बाद उसको रखने का स्थान नहीं मिल रहा है। शीतगृहों के बड़े-बड़े मालिकों ने आलू के भंडारण का रेट घोषित न होने के अभाव में जो पहले आयेगा उसका आलू पहले रखा जायेगा, वर्तमान नियमानुसार यह होना चाहिए, लेकिन शीतगृह के मालिक आरक्षित कर रहे हैं आलू रखने के लिये और 7-10 रुपये बोरी के हिसाब से प्रत्येक किसान से बिना रसीद दिये पैसे ले रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि यह पैसा हमको सरकार को देना है मुख्य मंत्री महोदय को देना है। इस तरह की एक विषम परिस्थिति आज सारे देश में फैली हुयी है। सरकार ने आलू का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है और न भंडारण का मूल्य घोषित किया है। ऐसा न करके सरकार ने एक मौका दे दिया है शीतगृह के मालिकों को और वह किसानों से चंदा वसूल रहे हैं। वह यह भी कहते हैं कि उन्हें यह धन वीर बहादुर की सरकार और वीर बहादुर सिंह को देना है । यह स्थिति सारे प्रदेश भर में फैली है जिसके चलते आज किसान बहुत परेशान है और आलू के रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। आलू के भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि आज सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय।

*श्री रामगोविन्द चौधरी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बजट पेश करने के पहले कृषि मंत्री जी ने उस दिन कहा था कि अगैती आलू के लिये वह किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार भी आलू की खेती को बढ़ाने के लिये सब्सिडी देने की घोषणा करती है। जब आलू की पैदावार अधिक होती है तो उसके रखने के लिये सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती है। हमारे यहां बलिया में 15-30 रुपये एडवांस में लिया जा रहा है और कोल्डस्टोरेज वाले कह रहे हैं कि आप हमको पहले पैसा दीजिये तब हम सुनिश्चित करेंगे कि आलू रखेंगे या नहीं। इस तरह से कई करोड़ रुपया ब्लेक मनी के रूप में शीतगृहों के मालिक वसूल रहे हैं। इसका एक कारण समझ

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

में आता है, कोल्ड स्टोरेज के मूल्य घोषित न करने के पीछे एक मंशा हो सकती है कि सरकार की नीतियों से जनता बिल्कुल अप्रसन्न है और इनको भी पता है कि सरकार हमारे हाथ से जाने वाली है इसलिये यह चाहते हैं कि जब तक विरोधी पक्ष एक हों मध्यावधि चुनाव करा दें। मध्यावधि चुनाव कराने के लिये कोल्डस्टोरेज के मालिकों से पैसा वसूला जा रहा है इसलिए रेट तय नहीं किये गये है। कोल्ड स्टोरेज के मालिक कहते हैं कि प्रदेश के मुख्य मंत्री की तरफ से यह निर्देश हैं कि आप हमको पहले एडवांस में पैसा दें, मध्यावधि चुनाव कराने हैं। इसलिये किसान का आलू नहीं रखा जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इस पर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा करायें और सरकार से जवाब दिलवायें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय, यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। कृषि विभाग से संबंधित कामरोको प्रस्ताव था और कृषि मंत्री जी उठकर चले गये हैं आप ध्यान किसका आकृष्ट करेंगे । मैं निवेदन करूंगा कि इस पर वक्तव्य दिलवायें।

एक सदस्य–

सरकार सो रही है।

श्री उपाध्यक्ष–

सरकार चिंतन कर रही है।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

माननीय, इस पर वक्तव्य करा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर वक्तव्य करा देंगे?

श्री फजलुल बारी–

वक्तव्य से काम नहीं चलेगा इस पर चर्चा करायें। चर्चा से समस्या का समाधान निकल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने वक्तव्य देने के लिए कह दिया हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आप ने तो कह दिया है लेकिन सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए पांच-छः लोग बोले सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

सरकार स्पष्टीकरण देना चाहती है तो दे दे नहीं दे रही है तो वक्तव्य तो आयेगा ही।

*श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मैंने नियम 56 के अंतर्गत 2 सूचनायें दी हैं एक तो आज के लिये है और एक कल के लिये थी। जो आज के लिये सूचना है उसके बारे में मुझे यह कहना है कि उन्नाव जमपद में 700 क्विंटल गेहूं जो मजदूरों के लिये दिया गया था सूखा राहत के नाम पर उसको अधिकारियों ने बेच लिया है। करन, सरोसी और बिछिया ब्लाक में जो गेहूं दिया जाना चाहिए था मजदूरों को वह नहीं दिया गया है। उन्नाव के मजदूर आज जिलाधीश के यहां और हर जगह घूम रहे हैं उनको एक किलो गेहूं भी नहीं दिया गया है। सूखा राहत के नाम पर 700 क्विंटल गेहूं का बेचा जाना एक बहुत अहम मामला है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मुख्य मंत्री कहते हैं कि पूरे प्रदेश में मजदूरों के लिये गेहूं दिया है लेकिन गेहूं मजदूरों को नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि 700 क्विंटल गेहूं जो अधिकारियों ने बेच लिया है उस संबंध में सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा कराई जाय। कल की जो मेरी सूचना थी उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

आज उस पर नहीं।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, उन्नाव में भयंकर प्रदूषण फैल रहा है। कानपुर में अरबों रुपया गंगा की सफाई के नाम पर खर्च किया जा रहा है और उन्नाव में केमिकल फैक्टरियों, इण्डस्ट्रियल एरिया का सारा गंदा पानी गांवों में फैल रहा है जिससे बीमारियां फैल रही हैं और स्थिति गंभीर होती जा रही है। उन्नाव के 20 गांव इससे प्रभावित हैं। इस संबंध में सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराये जाने की मैं मांग करता हूं।

*श्री शारदानंद अंचल–

मान्यवर, बलिया जनपद में वहां के जिलाधिकारी और जिले के दूसरे अधिकारी इनाम के लालच में एन0 एस0 सी0 और नसबंदी में फसे हुये हैं। नसबंदी का यह हाल है कि अविवाहित लड़के, बुड्ढों विधवाओं और अपात्र व्यक्तियों की नसबंदी करायी जा रही है। जो लोग नसबंदी के कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। चूंकि मारुति कार इनाम में मिल रही है इसलिए एन0एस0सी0 और नसबन्दी के लिए सारे का सारा निर्माण कार्य ठप है। चाहे सड़क निर्माण की फाइल हो या दूसरे कार्य से सम्बन्धित फाइल हो सब फाइलें जिलाधिकारी की मेज पर पड़ी हुयी हैं। स्थिति यह हो गयी है कि किसी की सिफारिश के लिये जाते हैं, लाइसेंस के लिए लोग जाते हैं या दूसरे काम के लिये जाते हैं या गन्ने की पर्ची के लिये जायं, इंदिरा आवास वहां बन रहे हैं अगर गरीब उसके लिये जायं तो सारी जगहों पर नसबंदी करके वहां के कलेक्टर ने पूरे का पूरा जनहित का और विकास का कार्य ठप्प कर दिया है। इससे जिले में झगदड़ मच गयी है। जिले को बहुत क्षति पहुंच रही है। रामगोविन्द चौधरी आपके बीच में हैं यह भी उस पर बताएं। सत्तापक्ष के विधायक हरदेव ने भी मुख्य मंत्री को लिखकर दिया है और वह भी बताएंगे। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री क्या

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करेंगे? जब भारी पैसा लेकर आप जिलाधीश की नियुक्ति करेंगे। वह साफ कहते हैं कि हम पैसा देकर यहां आए हुए हैं, हमें कौन यहां से हटा सकता है ? कौन हमारा कुछ कर सकता है। पूरे का पूरा धन वहां लूटा जा रहा है। प्राथमिक शिक्षकों का 40 लाख रुपया प्राविडेन्ट फण्ड का जबरदस्ती एन0 एस0 सी0 में जमा करा दिया गया। अन्य सारे विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों का भी धन सारे कार्यों को रोक कर उसमें जमा किया जा रहा है। ऐसी दशा में बलिया की जनता में घोर रोष व्याप्त है। इस मामले में आप सदन की कार्यवाही रोक कर सदन में अब चर्चा कराने की कृपा करें जिससे जनता की भीषण समस्या का समाधान हो सके।

श्री उपाध्यक्ष–

जिन दो पर वक्तव्य स्वीकार किये गये हैं, उसके अलावा सबको मैं अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

हमारे इलाहाबाद में 50-50 मकान बुलडोजरों से गिरा दिये गये हैं। हमारे मामले को आप देखें, वह मामला बहुत महत्वपूर्ण, तात्कालिक और अविलम्ब है। उसकी ग्राह्यता पर मैं आपको बताना चाहता हूं . . .

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

उस दिन आपके कहने पर उनको मना कर दिया था, आज आप इनको मौका दे दें। इनको अपनी बात कह लेने दीजिए, वह बड़े महत्व का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष–

उस दिन ये खड़े नहीं हुए थे, मेरी दृष्टि गयी होती तो मैंने मौका दिया होता। अब अभिभाषण पर चर्चा होनी है। उसमें यह कह लें। जब बोलेंगे, वह अभिभाषण पर भी उसमें बोल सकते हैं। अब निर्णय मैंने ले लिया है। उनको मौका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शारदा नन्द अंचल–

मेरे विषय पर आपने क्या व्यवस्था दी–

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

आपने सदन में कहा था कि सबका सुना जाएगा। 2/3 सूचनायें और हैं आप सबकी सुन लें । जहां भारत सरकार बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबों निम्न और मध्यम आय वालों के आवासीय सहायता देने और बसाने की बात करती है, किन्तु दूसरी तरफ आनन्द भवन के सामने जहां पर स्व0 जवाहर लाल नेहरू जी का आलीशान आनन्द भवन है 50 गरीब लोगों को बुलडोजर चलाकर उजाड़ दिया गया है। क्योंकि आनन्द भवन की खूबसूरती के चार चांद में यह धब्बे से प्रतीत हो रहे थे । इलाहाबाद नगर महापालिका की आंख में यह किरकिरी की तरह खटक रहे थे । नेहरू जन्म शताब्दी में उनके झोपड़ी दुकान मकान सब गिरा दिए गये हैं और उनको बेसहारा इस सरकार द्वारा कर दिया गया है । इलाहाबाद में इन लोगों को जानबूझकर यह सरकार गृह विहीन कर रही है, ताकि फासिस्टी तरीके से बाद में चुनाव में इसको निपटा सकें । पूरा इलाहाबाद आतंकित है । वहां के लोग उजाड़े जा रहे हैं, यह बहुत गम्भीर सवाल है । ऐसे उजड़े लोगों को पुन, बसाया जाये। नेहरू जन्म शताब्दी के नाम पर जब करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है. गरीबों को उन्ही के घर के सामने बसे लोगों को बेदर्दी पूर्ण ढंग से उजाड़ा जा रहा है । जिसके लिए जनता आन्दोलनरत है । धरना और अनशन करने जा रही है । अतः आपसे मेरा निवेदन है कि ऐसे उजड़े लोगों को बसाने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराये जाने की मैं मांग करता हूं ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

मैं केवल ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष–

ध्यान आकर्षित करवाय देता हूं ।

(शोर)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, घर उजाड़े गये हैं उसमें वक्तव्य दिला दें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

मान्यवर, शासन की नीतियों के खिलाफ काम हो रहा है उसमें ध्यान आकर्षण कराने से काम नहीं चलेगा।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मेरे मामले का क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष–

उसमें भी ध्यान आकर्षण करा दिया है।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, पहाड़ों की रानी मंसूरी आदमखोर शेरों के घेरे में आ गई है। मंसूरी के चारो तरफ के गांव और मंसूरी शहर में लगभग 25 शेर घूम रहे हैं। पहले तो देहाती क्षेत्र में लोगों को मारकर उन्होंने खाया। अब मान्यवर, 18 फरवरी को एक

आदमखोर शेर मंसूरी शहर के अन्दर से दो बच्चों को उठाकर ले गया। जिसके कारण पूरे मंसूरी शहर में आतंक फैला हुआ है। पर्यटकों ने आना बन्द कर दिया है। सारे होटल खाली पड़े हैं। यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। मैं चाहता हूं कि इस गम्भीर विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 27 फरवरी, 1988 की बैठक में सदन के वर्तमान सत्र के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–रविवार दिनांक 13 मार्च, 1988 को भी सदन की बैठक की जाय और उस दिन नियम 56 और 300 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायें।

2–उत्तर प्रदेश विधान सभा का दिनांक 29 फरवरी 1988 से 13 मार्च, 1988 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय:–

फरवरी, 1988		
29 सोमवार	..	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन)।
मार्च, 1988		
1 मंगलवार	..	वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा
2 बुधवार		(पहला व दूसरा दिन)।
3 गुरूवार	..	(होली का अवकाश)
4 शुक्रवार		बैठक नहीं होगी।
5 शनिवार		
6 रविवार		
7 सोमवार	..	वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (तीसरा दिन)।
8 मंगलवार	..	वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (चौथा दिन)।
9 बुधवार	..	1–वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (अन्तिम दिन)।
		2–वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
10 गुरूवार	..	वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों
11 शुक्रवार		पर विचार एवं मतदान।
12 शनिवार		
13 रविवार		

3–दिनांक 14 मार्च से 29 मार्च, 1988 तक का कार्यक्रम उसी रूप मे रखा जाय जैसा कि वह दिनांक 23 फरवरी, 1988 को सदन द्वारा अनुमोदित किया गया है।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति ने जो सिफारिश की हैं और जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय सदन में दी गई है, से यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*श्री काशी सिंह एरी–

मान्यवर, मैंने गम्भीर मामले की सूचना दी थी मेरी सूचना यह थी कि 23 फरवरी, 1988 को बुन्देलखंड में . . . .

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री काशी सिंह एरी–

मान्यवर, वहां के जिला प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं होने दिया । तरह-तरह से आतंकित किया . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जाएं। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

(श्री लाल प्रताप सिंह के पुकारे जाने पर)

श्री काशी सिंह एरी–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायगा ।

श्री काशी सिंह एरी–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायगा ।

श्री काशी सिंह एरी–

[x x x]

*श्री लाल प्रताप सिंह–

महामहिम राज्यपाल जी का भाषण बहुत ही उत्साहवर्द्धक और प्रेरणादायक था । उस भाषण में हमारे विकास के इतिहास की एक झलक है । यह कोई सम्भव नहीं है कि इस छोटी सी किताब में सारी बातों का समावेश हो, सारी बातें उसमें रखी जायं । लेकिन उसमें एक झलक मौजूद है कि हम किस तरह विकास करना चाहते हैं और किस तरह से इस समाज में ट्रान्सफरमेशन लाना चाहते हैं । महामहिम राज्यपाल ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[xxx] यह अंश माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अपने भाषण में अपनी किताब में पेज 9 पर प्राविधिक शिक्षा का उल्लेख किया है । मैं भी उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् से चन्द महीनों से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं उल्लेख करना चाहता हूं, किस तरीके से तकनीकी शिक्षा के माध्यम से जीवन-स्तर बेहतर बनाना चाहते हैं, भारतवर्ष को और अपने प्रदेश को, नवीनतम बनाना चाहते हैं, यह मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि सारी दुनियां में एक नया विचार पैदा हो सकता है, नई विचार-धारा पैदा हो सकती है, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से और यही नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह समझने की बात है कि तकनीकी शिक्षा और टेक्नालाजी हमारी वर्तमान सभ्यता से जुड़ी हुई है । यदि हम इसमें प्रगति नहीं कर सकते हैं, तो हम 21 वीं शताब्दी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं । इसलिए इस पर जोर दिया गया है । यह भी आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूं । हर हिस्टारिकल परिप्रेक्ष्य में मैं इस बात को कहना चाहता हूं 19वीं शताब्दी में पाश्चम के देशों ने टेक्नालाजी और साइंस के माध्यम से मिलिट्री ताकत और आर्थिक ताकत हासिल की और दुनिया में अपना रिकार्ड जमाया और इसी ताकत से यूरोप और अमेरिका और दूसरे देशों ने अफ्रीका और एशिया पर अपना प्रभाव जमाया ।

(इस समय 1 बजकर 43 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बनी प्रसाद वर्मा पीठासीन हुए)

श्री लाल प्रताप सिंह–

यही नहीं उनको कालोनाइज भी किया । हमारे रहनुमाओं को भी यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि जब देश में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तो इसका भी उद्देश्य इन्होंने सामने रखा पहला उद्देश्य था स्वतंत्रता हासिल हो दूसरा साइन्स और टेक्नोलाजी पर मास्टरी हासिल हो और तीसरा समाज को ट्रान्सफार्म किया जाय समाज को हम नया बनायें, नये बैंक बनायें और नई दिशा में प्रवेश करें । पंचवर्षीय योजना की नीति जो स्वतंत्रता प्राप्ति को निर्धारित की गयी थी उसमें साइन्स और टेक्नोलोजी के माध्यम से प्रगति का निश्चय किया गया था कि अपने देश को उस जगह पहुंचाना है जहां यूरोप के लोग पहुंच गये हैं। जब हम पश्चिम के देशों के काटेक्ट में आये तो 1904 में जटवापुर इंजीनियरिंग कालेज खोला जो आज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हो गया है। तथा जब जमशेदपुर टाटा के माध्यम से आल इण्डिया इंस्टीट्यूट साइन्स एण्ड टेक्नोलाजी खोला गया 1909 में ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इनसे कहिये कि यह विषय पर बोलें ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने खुद ही निवेदन किया....

श्री अधिष्ठाता–

मान्नीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि राज्यपाल का जो अभिभाषण है, उस पर ही बोलें ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, आप पेज 9 देखें उसमें है सामान्य शिक्षा के साथ-साथ मेरी सरकार राज्य के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए प्राविधिक शिक्षा के प्रसार और गुणात्मक सुधार लाने के लिए कृत संकल्प है।

तो मैं यह बात कह रहा हूं कि इस पर एतराज किस बात पर है मैं तो कह रहा हूं कि टेक्नोलाजी पर खास तौर से तरक्की हुई है, इसमें क्या गलत कह रहा हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, लाल प्रताप सिंह जी सरकारी गवाह हैं।

श्री लाल प्रताप सिंह–

सरकारी गवाह की भी इज्जत कीजिएगा या नहीं कीजिएगा,

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था जो विषय है वही बोल रहा हूं तकनीकी शिक्षा पर। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस वक्त 9 ऐसी संस्थाएं हैं, हमारे इंजीनियरिंग कालेज हैं जिनको डिग्री कालेज का स्तर प्राप्त है। फिर भी झांसी में एक इंजीनियरिंग कालेज खुलने जा रहा है और एक पहाड़ पर खुलने जा रहा है। इसके अतिरिक्त सारे जनपद में एक पालीटेक्निक खुला हुआ है और हम उसकी शिक्षा की बढ़ोत्तरी के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 1947 के बाद हमको क्या मिला और क्या खोया क्या हमारा प्लस प्वाइन्ट है और क्या माइनस प्वाइन्ट है? एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि वह चीज खोयी है सबका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं जिसे कहते हैं—शिक्षा क्लास टीचिंग खो दिया और वह बिना गुरू के इस संसार में कोई कहे मैं सीख रहा हूं, वह सीख नहीं सकता है। गुरू कुछ ऐसे तथ्य रखता है जिसे हम खुद समझ नहीं सकते हैं।

श्री राम शरण दास–

आपका समय हो गया।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मुझे मौका तो दें। इस वक्त ऐसा समय आ गया है...

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चल रही चर्चा के समय राज्यपाल दीर्घा में अधिकारियों के अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण पर हम लोग धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं और सरकार का कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। इतनी गैरजिम्मेदार सरकार हो सकती है जिसका एक भी बड़ा अधिकारी यहां न हो। यहां पर इस मौके पर बड़े अधिकारी रहने चाहिए। यह बात मैं जानना चाहता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, विभागों के विभागाध्यक्षों को गवर्नर दीर्घा में बुलायें ताकि जो माननीय सदस्य कहें, उनको नोट करें आप सरकार को निदश दीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

इस पीठ से पूर्व भी व्यवस्था है कि जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही हो तो वरिष्ठ अधिकारियों को यहां उपस्थित रहना चाहिए, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

क्या हम लोगों को दीर्घाएं देखते रहना चाहिए ?

श्री अधिष्ठाता–

वह मुनासिब नहीं, फिर भी इस पीठ से पूर्व में यह व्यवस्था रही है कि सामान्य बजट और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय सम्बन्धित अधिकारियों को यहां पर उपस्थित रहना चाहिये। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री लाल प्रताप सिंह–

एक अजीब मसला उपस्थित हो गया है कि जो क्लास टीचिंग का महत्व था, वह समाप्त हो गया है। भारत वर्ष की आजादी के बाद, सन् 47 के बाद कुछ क्षेत्रों में बहुत तरक्की की गयी, लेकिन मैं एक माइनस प्वाइन्ट की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कितने ही टीचर हुए है, राणाजी टीचिंग से कनेक्टेड हैं । इन टीचर्स ने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन अब वह सब खत्म होता जा रहा है। मैं इलाहाबाद यूनीवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूं । डा0 एस0 सी0 देव, मेहरोत्रा, डा0 दस्तूर ये ऐसे टीचर थे, जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया और सारी व्यवस्थाएं कीं, लेकिन अब क्या हो गया है । प्राइमरी स्टेज से लेकर पूरी यूनीवर्सिटी स्टेज तक जो व्यवस्था हमको मिलनी चाहिये, जिस इन्ट्रेस्ट से शिक्षा मिलनी चाहिये, नहीं मिल रही है और सारा का सारा, कम नहीं तो ज्यादा, अधिकांश टीचर पालिटिकलाइज हो गया है, उसका राजनीतिकरण हो गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस दिशा में हमको देखना चाहिये और समझने की कोशिश करनी चाहिये और इस पर अंकुश लगाने की कोशिश करनी चाहिये । मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरा बहुत सा समय लोगों के इन्टरप्ट करने में समाप्त हो गया।

श्री अधिष्ठाता–

आप दो मिनट का समय और ले लीजिये ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

पांच मिनट का समय और दे दीजिये । मैं आपके सामने यह रखना चाहता था कि सभी टीचर्स के लिये आफिस आफ प्राफिट घोषित किया जाय । उनका टान्सफर किया जाय, उनको जो सुविधाएं दी जानी चाहिये, हर किस्म की सुविधा दी जाय, लेकिन उन पर अंकुश लगाया जाय ताकि क्लास टीचिंग बेसिस पर शिक्षा की व्यवस्था हो सके और टीचर्स में सुधार हो सके। नहीं तो हम 21वीं सदी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बल्कि और ट्राइबल स्टेज में पहुंच जाएंगे 15-16वीं सदी की स्टेज में, जहां से हम आए हैं । द टीचर, हू टीचेज विद फुल माइन्ड एण्ड हार्ट यानी वह टीचर जो पूरे दिलो दिमाग से ध्यान देकर पढ़ाता है, वह अच्छा टीचर है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मुझे बहुत कम समय मिला। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि प्राविधिक शिक्षा को मजबूत करने के लिये सरकार कृतसंकल्प है। चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रानिक्स या टेली कम्यूनिकेशन या और जो दूसरे विज्ञान के क्षेत्र हैं, सबको हम तरक्की दिलाना चाहते हैं । अन्त में मैं केन्द्र सरकार के प्रधान मंत्री को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भूमि से भूमि तक मार करने वाले मिसाइल का टेस्ट किया और दिखा दिया कि हमारी इंजीनियरिंग कितनी अच्छी है। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री राम शरण दास–

माननीय अधिष्ठाता महोदय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है, उसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं क्या कहूं इस सरकार के लिये । माननीय वीर बहादुर की जो सरकार है, यह रिकार्ड तोड़ सरकार है । इसने अगले पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिये । जब से यह विराजमान हुए, कुम्भ-अयोध्या-चित्रकूट जैसी घटनायें इनके राज्य काल में हुई । धार्मिक स्थानों पर इससे पहले इतनी बड़ी घटनायें कभी नहीं हुई । उसमें भी इस सरकार ने रिकार्ड तोड़ा है । दूसरे, साम्प्रदायिक दंगे इनके राज्य में जितने हुए, जितने लम्बे दिनों तक हुए, उसमें भी इन्होंने पिछले सारे रिकार्ड तोड़ दिये । मेरठ के दंगे लोग आज तक भूले नहीं हैं । श्रीमन्, कर्मचारियों की हड़ताल इतनी लम्बी हुई इनके समय में, उसमें भी इन्होंने रिकार्ड तोड़ा । इससे पूर्व इतने लम्बे दिनों तक राज्य कर्मचारियों की हड़ताल नहीं हुई । शिक्षकों की हड़ताल इनके राज्य में सबसे लम्बी हुई, उसमें भी इन्होंने रिकार्ड तोड़ा है । इसके अलावा, माननीय मनोहर लाल जी ने मुझे अभी याद दिलाया, उ0 प्र0 के सिनेमाघरों में जो पिछले दिनों अभूतपूर्व हड़ताल हुई और लम्बे समय तक चली, उसमें भी इन्होंने रिकार्ड तोड़ दिया । इससे पूर्व सिनेमाघरों की ऐसी हड़ताल कभी नहीं हुई । इनके राज्य में वकीलों की बहुत लम्बी हड़ताल हुई और वह तो चलती रहती है, उसमें भी इन्होंने रिकार्ड तोड़ा है । मान्यवर, सूखा जो पड़ा है, बलदेव सिंह आर्य जी सामने बैठे हुए हैं मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, पंत जी के समय में भी यह मंत्री रहे, इनसे पूछिये, पिछली सरकारों के समय कभी ऐसा भयंकर सूखा नहीं पड़ा । सूखा पड़ने में भी इनकी सरकार के जमाने में एक रिकार्ड टूटा है । किसानों का इतना बड़ा धरना जो मेरठ में हुआ, हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा धरना कभी नहीं हुआ, वह भी इनके राज्य काल में हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा धरना कभी नहीं हुआ, वह भी इनके राज्य काल में हुआ । मान्यवर, मेरठ में 5-7 लाख किसान 25 दिन लगातार, भयंकर ठंड में भी शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करते रहे, जिसमें 10-12 लोगों की जाने भी गयीं, बड़ा शांतिपूर्वक किसानों का आंदोलन था, यहां तक कि खुद किसानों ने वहां ट्रैफिक का कंट्रोल किया । इनके टाईम में यह भी एक रिकार्ड टूटा है । आज तक इतना

बड़ा किसानों का धरना कभी नहीं हुआ । असेम्बली चलाने में भी इस सरकार ने पिछले सारे रिकार्ड तोड़ दिये । पिछले साल 28-29 दिन असेम्बली चली । माननीय बल्देव सिंह आर्य जी बैठे हैं बता दें कि इससे पहले क्या हुआ कि असेम्बली इतने कम दिन चली । श्रीमन्, कोई मुख्य मंत्री किसी किसान लीडर को पटाने के लिये उनके घर पर नहीं गया । लेकिन, यह मुख्य मंत्री वहां गये और उनसे कहा कि आप हमारे साथ आ जाइये । लेकिन, वहां के किसान लीडर ने इस मुख्य मंत्री को मकान की छत पर धूप में नंगे सिर खड़ा किया । इसमें खड़े होने में भी इन्होंने रिकार्ड तोड़ दिया। उन्हें एक गिलास पानी नहीं दिया, खुद चुल्लू से पानी पड़ा । गये थे पटाने आ गये पिटकर।

शनिवार इतवार को कभी असेम्बली नहीं चलती, लेकिन इन मुख्य मंत्री ने शनिवार और इतवार को भी असेम्बली बुलाकर पिछले सारे रिकार्ड तोड़ डाले । इनके बहुत सारे मंत्री पीछे बैठते हैं, इतने ज्यादा महकमे उन्होंने अपने पास रखे हैं 56 विभाग, 56 छुरी बनने के लिए । इसमें भी इन्होंने रिकार्ड तोड़ा है । माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं, लेकिन कैबिनेट का विस्तार करेंगे, एसेम्बली के बाद विस्तार करेंगे, यह कहते रहते हैं, लेकिन कैबिनेट का विस्तार यह नहीं करेंगे, इसमें भी इन्होंने रिकार्ड तोड़ा है । यह रिकार्ड तोड़ सरकार है । इस सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे । जितनी बुराईयां, और जितनी गलत घटनायें हुई हैं, जैसा कि नेता श्री राजनारायण जी कहते थे, सब इनके राज्य में हुई हैं, ऐसा किसी के राज्य में नहीं हुआ है । माननीय श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी बता रहे हैं, माननीय श्री बल्देव सिंह जी जो आपके पीछे ये कैनाल हैं, टेल हैं, इन्हें मैं पूछ मंत्री कहता हूं, ये जवाब नहीं दे पाते हैं । हर महकमे से यही जवाब आता है कि सूचना एकत्र की जा रही है, इसमें भी इन्होंने रिकार्ड तोड़ा है । माननीय सदस्य श्री सूर्य प्रताप शाही जी का एक क्वेश्चन यहां पर आया, माननीय मंत्री श्री राम आसरे दीक्षित जी ने उत्तर दिया, सूचना एकत्र की जा रही है, जबकि जवाब माननीय सदस्य के पास आ गया था, हो सकता है कि उन्होंने भूलचूक में दूसरे प्रश्न का उत्तर पढ़ दिया हो । आपके मंत्री तैयार होकर नहीं आते हैं इसमें भी आपने रिकार्ड तोड़ा है । मान्यवर, स्वीटी जैसा कांण्ड, हाय गजब हो गया, यह भी इनके जमाने में हुआ है, इसमें भी इन्होंने रिकार्ड तोड़ा है ।

श्री मर्दुज्जमा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, माननीय सदस्य नम्बर-दो पार्टी के हैं और ये नम्बर-2 की बात भी कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, इनकी व्यवस्था आप क्यों दे रहे हैं, इनकी व्यवस्था तो मैं दे दूंगा । इनसे पूछिये कि ये कौन सी पार्टी के हैं । जब जनता पार्टी सरकार में होगी तो ये जनता में आ जायेंगे और जब कांग्रेस की पार्टी होगी तो कांग्रेस में चले जायेंगे । मान्यवर, मैं सूखे के राहत के संबंध में कहना चाहता हूं । ये रोज ढिंढोरा पीटते हैं कि

हमने ये-ये सूखा राहत दिये हैं । माननीय मंत्री जी सूखा राहत किसे कहते हैं ? सूखा राहत उसे कहते हैं, जिसमें जनता को यह एहसास हो कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है । लेकिन जनता को कोई एहसास नहीं हो रहा है । आप भले ही खुश हों । आज राहत के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है । आपने खाद पर क्या छूट दी है ? मेरा और श्री हुकुम सिंह जी का क्षेत्र दूसरे प्रदेश हरियाणा से मिला हुआ है। वहां पर (हरियाणा में) 25 रुपये सैकड़ा खाद पर छूट है। बीज पर छूट है अन्य चीजों पर छूट है, किसान को सीधी राहत मिलती है, किसान को एहसास है। ये क्या करेंगे? मिनी किट बटवायेंगे। मिनी नेता और मिनि मिनिस्टर मिलकर खा जायेंगे और बी0डी0ओ0 और ए0डी0ओ0 खा जायेंगे। कागज में है, रुपया आ गया है रुपया जायगा, लेकिन अधिकारियों के घर में चला जायेगा, किसानों के पास नहीं जायेगा। अगर देनी है किसानों को तो 50 प्रतिशत छूट दी जाय, इसके अलावा गन्ने का दाम बढ़ाइए । गन्ने में, बाबू हुकुम सिंह जी, ईमानदारी से कह दो, जितनी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैं, फिगर्स मंगा लीजिये, एक क्विंटल गन्ना पैदा करने पर कितना पैसा खर्च हुआ है, आप देखेंगे कि 35 रु0 से ज्यादा ही खर्च होता है । अगर किसानों ने 35 रु0 अपनी लागत मांगी थी तो आप कहते हैं कि हमारी फैक्टरियां बैठ जायेंगी, उन्हें बन्द करना पड़ेगा । करा दो बन्द, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर ठेके पर दे दो हरियाणा के मुख्य मंत्री देवी लाल को, जोकि यह कहते हैं कि 35 रु0 का भाव देंगे, 35 करोड़ रुपया सरकार को देंगे और किसी अधिकारी की छंटनी भी नहीं करेंगे । मिल मालिकों से पैसा लेकर जेबों में डाल रहे हो, इसके बजाय दूसरी सरकार को ठेके पर दे दो ।

एक बात कहकर समाप्त करता हूं । लां एण्ड आर्डर पर बोलना चाहता हूं । लाइसेंस देना आपने बन्द कर रखा है । मेरा और आपका जिला (श्री हुकुम सिंह की ओर संकेत करते हुए) दूर नहीं है । ऐसे-ऐसे हथियार हैं बदमाशों के पास, पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती, सारे थानों को एक-एक रात में फूंक सकते हैं । बदमाशों के पास हथियार हैं, हमारे यहां लाइसेंस बन्द कर रखे हैं, कारतूस ब्लैक में बिक रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि लाइसेंसों को खोल दें । इसी के साथ ही मैं धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं और विरोध पक्ष के प्रस्ताव की ताईद करता हूं ।

*श्री अमिताभ अनिल दुबे–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि श्री खान गुफरान जाहिदी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, उसके समर्थन के लिये आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

मैं कई दिनों से इस चर्चा को बड़ी गम्भीरता से सुन रहा हूं । मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार की नीतियों, सरकार के कार्यक्रम की भावी रूपरेखा है । इसमें विस्तृत रूप से वर्णन है । मा0 विरोध पक्ष के सदस्यों ने, जो हम लोग उम्मीद करते हैं विधान सभा में जो नये सदस्य चुनकर आये हैं, जिस प्रकार की परिपाटी इधर विगत कई वर्षों से जब भी राज्यपाल महोदय भाषण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देने आते हैं, जिस प्रकार से संसदीय परम्परायें टूट रही हैं और मर्यादायें जो कायम रहनी चाहिये, नहीं रह पा रही हैं, आज इस बात का दुख है कि विरोध पक्ष के साथी इसकी उपेक्षा कर रहे हैं ।

आज मुझे इस बात का दुख है कि हमारे विरोध पक्ष के साथी इसकी उपेक्षा करते हैं जिसकी मैं निन्दा करता हूं । उनके आगमन पर काले झंडे दिखाना, उनके आगमन पर कागज फाड़ कर फेंकना, यह सब बातें साबित करती हैं कि आप उनको सुनना नहीं चाहते हैं । ऐसी परम्परायें नहीं पड़नी चाहिये और सदन की मर्यादायें नहीं टूटनी चाहिये ।

इसके साथ ही साथ मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि अबकी प्रदेश में इस शताब्दी का सबसे बड़ा सूखा पड़ा जिसमें बनारस और गाजीपुर में भयंकर सूखा के साथ ही साथ अति वृष्टि के कारण बाढ़ का भी प्रकोप रहा और दोनों जनपदों का पूरा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहा और हमारी सरकार ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और तमाम रोजगार परख योजनाओं को चला करके किसी भी व्यक्ति को अनाज की कमी के कारण मरने नहीं दिया । प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा । आज बेरोजगार के लिये तमाम तरह से रोजगार लगाये गये हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिये बधाई देना चाहता हूं कि इससे पहले प्रदेश को कभी भी इतना अधिक पैसा सहायता के रूप में नहीं मिल सका था जितना कि उन्होंने लिया है ।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में हमारी सरकार की नीतियों की ओर इंगित किया गया है कि प्रदेश में चतुर्दिश में विकास हुआ है चाहे वह हरिजनों का मामला हो, चाहे कमजोर और दबे हुए लोगों के लिये आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में चतुर्दिश विकास के लिये प्रयास किया गया है और प्रयास हो रहा है । खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए आज पूरे प्रदेश में 28 जिलों में स्टेडियम बन कर तैयार हो गये हैं और जो 25 जिले शेष रह गये हैं उनमें भी स्टेडियम बनाये जा रहे हैं ।

इसके साथ ही कुछ सुझाव मैं गाजीपुर जनपद के बारे में भी देना चाहता हूं । आजादी की लड़ाई में गाजीपुर आगे रहा लेकिन विकास के मामले में वह सबसे पीछे है । मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें कि गाजीपुर जनपद उद्योग के जनपद में नहीं रह गया है । वहां जो अफीम का कारखाना है उसकी आमदनी गाजीपुर को नहीं मिलती है, प्लान में भी कटौती हो जाती है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अमिताभ अनिल दुबे–

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो रसूलपुर और अलवपुर में पुल बन रहा है उसे शीघ्र ही बना कर पूरा किया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

श्री रघुबर दयाल शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, राज्यपाल के अभिभाषण पर जैसी कि अपेक्षा थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार आने वाले वर्ष में भीषण सूखे से जूझने, खाद के बढ़ते दामों को और कीटनाशक दवाओं की उपलब्धि की दिक्कतों को जो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है इस पर, उद्योग-धन्धों को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाय, जिन्हें आजतक काम नहीं मिला है, उनकी क्रय शक्ति कैसे बढ़े जिनकी आमदनी गरीबी की रेखा से नीचे है, जिनके पास कोई मकान नहीं है, इन सब बातों को कैसे सुधारा जाय, इन सब बातों पर भाषण होना चाहिये था, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते हुए प्रस्तावक महोदय ने जितनी बातें कहीं उनको सुनने के बाद मुझे ऐसा आभास हुआ कि प्रस्तावक महोदय अपनी पार्टी के विघटन को लेकर काफी परेशान थे और उसे बचाने के प्रयास में बोल रहे थे उसके बाद समर्थक महोदय भी वह गाना गाते रहे जो कि रोजाना हम लोग अखबारों में देखते रहते हैं । नियमावली के अनुसार, अभिभाषण संविधान के अनुसार एक दिग्दर्शन होता है, जिस पर पक्ष व प्रतिपक्ष दोनों मिलकर विचार करते हैं और उन संशोधनों के द्वारा जो इस प्रदेश की स्थिति वास्तविक रूप में होनी चाहिए पर, प्रदान करते हैं, इसी सिलसिले में अपने संशोधन को मैं भी प्रस्तुत करते हुए आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अभिभाषण की प्रति है उसके पृष्ठ 11 के पैरा दो में श्रीमान् देखें जिसमें दिया हुआ है कि 14 वर्ष की आयु के बालकों को जो भिन्न-भिन्न उद्योगों में काम करते हैं, उनके उत्थान के लिए कल्याण-कारी योजनाएं चलाई जा रही हैं । मैं श्रीमन् इस संबंध में चुनौती के रूप में यह सवाल उठाना चाहता हूं कि फिरोजाबाद के इन चूड़ी व कांच मजदूरों, भदोही के कालीन मजदूरों तथा इसी प्रकार से आगरा बनारस के कालीन मजदूरों, जो 14 वर्ष के हैं, पर उनमें से किसी को भी इन योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि यह सरकार इस बात की बार-बार घोषणा कर रही है कि यह योजनाएं हम चला रहे हैं । श्रीमन् हमारे पास भारत सरकार के मंत्री का एक पत्र आया है कि भारत सरकार द्वारा आपके प्रदेश के लिए इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अंशदान दे दिया गया है कि तुम यह कल्याणकारी योजना चलाओ, लेकिन मान्यवर प्रैक्टिकली चाहे वह फिरोजाबाद हो या भदोही, आगरा बनारस कहीं भी यह योजना चालू नहीं की गयी है । दूसरी बात श्रीमन् इस सरकार की ओर से यह घोषणा हुई कि खेतों में काम करने वाले जितने सूखे के कारण बेसहारा हो गये हैं, उनकी सुरक्षा के लिए रु0 4 करोड़ की व्यवस्था की गयी है और जिन लोगों के पास वस्त्र नहीं है, उनके लिए भी व्यवस्था सुरक्षित की जा रही है, परन्तु मान्यवर मैं इस संबंध में भी चुनौती के साथ कह रहा हूं कि यदि कोई भी माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, यह कह दे कि इस प्रकार की कोई सूची उनके क्षेत्र में बनी या अभी तक कोई वहां पर खाद्यान्न या वस्त्र आवंटित हुआ है । इस प्रकार की प्रदेश के अन्दर अनेक योजनायें चल रही हैं जो मात्र कागजों में हैं, उनमें कोई वास्तविकता नहीं है, और मान्यवर, लोगों के भाग्य कुछ करने से ही बदलेंगे मात्र कागजों पर योजनाएं चलाने से नहीं बदलेंगे, कर्म आवश्यक है । साथ ही मान्यवर सूखे के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा कि इसकी जो भयंकर स्थिति हमारे सामने प्रकट हुई है, इस पर इसी सदन के अन्दर घोषणा हुई थी कि किसानों की ऋण वसूली के संबंध में न

उत्पीड़न कार्यवाही होगी और गिरफ्तारी नहीं होगी, परन्तु मान्यवर वहां पर हो क्या रहा है जो एक हजार रु0 का ऋण आई0 आर0 डी0 का और भैंस हेतु जो बैंक से 3500/- लिए गये थे, जिन लोगों द्वारा, उन सबों की गिरफ्तारी हुयी है, उदाहरण स्वरूप हमारे क्षेत्र में श्री जनक सिंह व श्री अली मोहम्मद की हुयी है और यही नहीं आई0 आर0 डी0 में कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे, जिनकी गिरफ्तारियां हुयी हैं। इसलिए मान्यवर मैं इस पर सरकार की भर्तसना और निन्दा करता हूं। दूसरी बात श्रीमन् 62 गांवों में पानी का अकाल पड़ा, इस पर कहा गया कि 15 हैण्ड-पम्प देंगे, अभी तक वहां पर एक भी नहीं लगे, विद्युतीकरण के लिए 7,764 गांवों की सूची दी गयी थी, और कहा यह गया था कि वर्ष 1986-87 और 87-88 में जो गांव बीस सूत्रीय कार्य-क्रम में स्वीकृत हुए हैं, सब में बिजली दे देंगे, परन्तु मान्यवर स्थिति वास्तविक क्या है कि वहां पर आज तक एक भी खम्भा बिजली का नहीं लग सका है, इस प्रकार मान्यवर इनके सारे आंकड़े झूठे हैं और सारी योजनाएं कागज पर हैं। इस प्रकार यह कुछ दिनों के लिए ख्याति तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता सामने आने से स्थिति स्वयं ही स्पष्ट हो जायेगी। फिर भी यह बार-बार किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं की घोषणा व हो-हल्ला करने से बाज नहीं आते हैं, जरा भी नैतिकता नाम की कोई चीज इनके पास नहीं रह गयी है, प्रदेश का कृषि विश्व-विद्यालय और चन्द्र शेखर विश्वविद्यालय द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित हुयी है। जिसमें फसलों की उपज पर जो लागत मूल्य आता है, का विवरण है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गेहूं के बारे में, गन्ना के बारे में, मक्का और जौ के बारे में जो वहां से कास्ट आफ प्रोडक्शन तय होकर आयी है, क्या उस लागत मूल्य को स्थायी मान कर किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे? क्या सरकार इस नीति से प्रतिबद्ध होगी? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ने का मूल्य 36 रुपया और गेहूं का मूल्य 295 रुपया प्रति कुन्तल किसानों को दिया जाना चाहिए जो उसका लागत मूल्य है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि झूठे आंकड़ों को छोड़कर वास्तविकता पर ध्यान दें और प्रदेश की स्थिति को मजबूत बनायें। इसके लिये जो काम करने थे, उनका महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए मैं उसका विरोध करता हूं और जो उस पर संशोधन रखे गये हैं उनका समर्थन करता हूं।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपके माध्यम से अपने सभी विपक्षी साथियों से अनुरोध करूंगा कि वह विधान सभा की मर्यादा को बनाये रखें और प्रदेश को गति-शीलता प्रदान करें तथा इसके साथ ही साथ शासन को सहयोग करें। प्रदेश को निर्माण-कारी तरीके से आगे बढ़ायें। आये दिन विरोधी पक्ष के लोग हड़तालें करवाते हैं और सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हैं। उनके पास कोई नीति नहीं है और इनके खोखलेपन को हर कोई जानता है लेकिन यह सत्ता पक्ष को परेशान करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारे प्रदेश में बीस सूत्री कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है मान्यवर यह बहुत बड़ी उपलब्धियां है और हमारे मुख्य मंत्री श्री बीर बहादुर जी बधाई के पात्र हैं। यह हालत मान्यवर उस समय है जब कि प्रदेश में भयंकर सूखे की स्थिति रही। सरकार ने सूखे की स्थिति में काफी दृढ़ता से उसका सामना किया है। विरोधी पक्ष द्वारा परेशान और हरडिल्स के बाद भी यह स्थिति आई है कि हमारा प्रदेश बीस सूत्री कार्यक्रम में प्रथम आया है। किसानों को सारी सुविधायें उपलब्ध की गयी हैं नलकूपों को चलाने के लिए पैसा दिया गया है, और आने जाने के लिए सड़कों का जाल गांव-गांव में बिछा दिया गया है लेकिन विपक्षी चिल्लाते हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ है, इनको समझाने की जरूरत है। कम से कम यह आपसी झगड़े में हमारी सरकार को बदनाम न करें।

मान्यवर, जहां तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है उसमें सुधार हुआ है और बहुत सारे कदम उठाये गये हैं। 39 थाने और 6 रिपोर्टिंग चौकियों की स्थापना की गयी है। हमारी जो पी0 ए0 सी0 है उसने शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने में बहुत योगदान दिया है। भयंकर सूखे के बाद भी खरीफ में 110 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था और अब तक 82 लाख मैट्रिक टन लक्ष्य की पूर्ति होना सम्भव हो गयी है। मान्यवर जहां तक लोक अदालतों का प्रश्न है उनके द्वारा तमाम मुकदमों का निपटारा किया गया है और गरीब जनता को राहत दी गयी है। मैं कहना चाहूंगा कि औद्योगिक नीति के अन्तर्गत हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है और नये-नये कारखाने खोले गये हैं, अल्कोहल बेस कारखाने खोले जा रहे हैं और इस क्षेत्र में बड़ी प्रगति हो रही है। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र मथुरा वृन्दावन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मथुरा-वृन्दावन में पेयजल की बड़ी समस्या है। इसको ध्यान रखते हुए गोकुल बैराज की योजना स्वीकार की गयी है। जिसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। वृन्दावन में यमुना नदी पर पुल की मांग यहां पर बराबर होती रही है, इसका निर्माण शीघ्र कराया जाय और इसके लिए पैसा उपलब्ध कराया जाय मान्यवर मथुरा वृन्दावन को पर्यटक स्थल घोषित किया जाय और यहां जो समस्या हैं उनका समाधान शीघ्र किया जाय और जनता को राहत दी जाय। अन्त में मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और कहना चाहता हूं कि आप इस बिखरे हुए विपक्ष को सम्हालने की व्यवस्था करें जिससे वह विधान सभा के इस बहुमूल्य समय को बरबाद न किया करें।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया उस पर मैंने संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है। उसी के पक्ष में मैं निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, यह आशा की गई थी कि महामहिम राज्यपाल महोदय प्रदेश की अहम समस्याओं के ऊपर अपने विचार व्यक्त करेंगे लेकिन उन्होंने इसकी उपेक्षा की है और इसी नाते यह संशोधन पेश किया गया है। प्रदेश में इस समय सबसे अधिक कठिन परिस्थितियों में बुनकर है । उनका सूत महंगा है, उन्हें वह उपलब्ध भी नहीं हो रहा है। जो सामान बुनकर तैयार करते हैं वह खरीदा नहीं जा रहा है। मेरे क्षेत्र में मिटिया, ढडौरा, कम्हरिया अतरी, बेलहा आदि दर्जनों ग्राम ऐसे हैं जहां पिछले

5/6 महीनों से उन्हें एक पैसे का भी भुगतान नहीं हुआ है। यह आशा की गई थी कि बुनकरों का भुगतान की घोषणा की जायेगी और सूत की कीमतों में 50 प्रतिशत की छूट का एलान किया जाएगा। लेकिन राज्यपाल महोदय ने बुनकरों के हितों की चिन्ता नहीं किया है जब कि उन्हें सूत के मूल्य में 50 प्रतिशत छूट का एलान करना चाहिए था।

मान्यवर, सूखा राहत कार्य के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें आयी हैं। यह अपेक्षा की गई थी कि राज्यपाल महोदय कम से कम उन शिकायतों पर ध्यान देंगे और इस बात की घोषणा करेंगे कि सूखा राहत कार्य में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी। परन्तु मान्यवर, उन्होंने सूखा राहत कार्य के लिए पैसा देने की बात तो कही लेकिन उसके अन्दर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसकी जांच का एलान नहीं किया। मान्यवर, मैं बस्ती जिले के बांसी क्षेत्र से चुनकर आया हूं। उसके तहसील मुख्यालय पर न तो माध्यमिक बालिका विद्यालय है और न जिला जज का न्यायालय ही है। बांसी तहसील की 7 लाख की आबादी है। यह 7 लाख की आबादी वाला क्षेत्र उपेक्षित पड़ा हुआ है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात की अपेक्षा की गई थी कि 7 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र के मुख्यालय पर एक माध्यमिक बालिका विद्यालय और एक जिला जज का न्यायालय की स्थापना की घोषणा वह करते ।

मान्यवर, राम जन्म भूमि का मामला विवादास्पद बना दिया गया है। राज्यपाल महोदय को इसके बारे में एलान करना चाहिए था। जिस प्रकार सोमनाथ के मंदिर का सरकार ने निर्माण करवाकर हिन्दुओं के हाथ में सौंप दिया उसी प्रकार राम जन्म भूमि के मंदिर का भी निर्माण करवाकर हिन्दुओं को सौंप देना चाहिए तो सारा विवाद ही समाप्त हो जायेगा। अन्यथा सरकार साम्प्रदायिक तत्वों के हाथों में खेल रही है, यही समझा जायेगा । इसी कारण राम जन्म भूमि के बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण किसी प्रकार के विचार व्यक्त नहीं किए । मैं चाहूंगा कि किसानों में आज जो बेचैनी है, असन्तोष है और वह अपने खेत में जो भी सामान लगाता है उसके दाम में 10 साल में पांच से सात गुने तक वृद्धि हुई है जबकि उसके धान, गेहूं गन्ना आदि में दुगुने की ही वृद्धि हुई है । मंहगा सामान वह अपने खेतों में डालता है और अपने उत्पादन को मिट्टी के भाव बेचने के लिए मजबूर रहता है। इस तरह से आज किसानों के अन्दर असन्तोष फैला हुआ है । महामहिम राज्यपाल को घोषणा करनी चाहिए थी कि किसान अपने खेत में जो सामान लगाता है उस पर उनको 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी और किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जायेगा। लेकिन इसका एलान नहीं किया। बड़ी शिकायतें की गई कि नहर और गूल आवारा पड़े हैं, ट्यूबवेल आवारा पड़े हैं। मनमाना पानी बहता रहता है और आपके कर्मचारी लोग सिंचाई और बिजली आदि का मनमाना बिल बनाते हैं और लगान के एरियर के समान उसको वसूल किया जा रहा है। वे अभिभाषण में कह सकते थे कि इन सब चीजों को नियंत्रित किया जायेगा और जो सिंचित क्षेत्र में आते हैं उनको सीचवही दी जायेगी । लेकिन इस सब के बारे में कुछ नहीं कहा गया। प्रदेश में हजारों विकलांग, विधवायें और

वृद्ध हैं। बहुत थोड़ा पैसा उनको पेंशन के रूप में दिया जाता है। बस्ती जिले में 40 हजार निराश्रित विधवायें, विकलांग और वृद्ध हैं लेकिन उनको बहुत थोड़ा पैसा दिया जाता है। 60 रुपये महीने पेंशन उन्हें ही जाती है।

मान्यवर, इस अहम मामलों पर राज्यपाल महोदय, एलान कर सकते थे । जब विधायकों की तनखाह बढ़ाई जा सकती है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन बढ़ाई जा सकती है तो वृद्ध, विकलांग और निराश्रितों को जो मात्र 60 रु0 मासिक पेंशन पाते हैं उसको भी बढ़ाया जा सकता है । यह एलान राज्यपाल महोदय ने नहीं किया, करना चाहिए था।

राज्यपाल यहोदय, ने अपनी सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की बात कही है। वह खाक रक्षा करेंगे। जितना सामान जाता है वह ब्लैक में चला जाता है। राशन कार्ड के अभाव में राशन सीधे गोदाम से निकल कर ब्लैक में चला जाता है गावों में जिन कुछ प्रधानों से लालच देकर दो किलो चीनी का वितरण हुआ, के लिए दस्तखत करा लिए जाते हैं या जाली दस्तखत कर दिये जाते हैं । उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा जब तक राशन कार्ड नहीं होंगे नहीं होगी। राज्यपाल महोदय कह सकते थे कि ग्रामों में प्रत्येक व्यक्ति को राशन कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि सही रूप में सामान लोगों को मिल सके।

एक और निवेदन करना चाहता हूं। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जल जमाव के कारण न खरीफ की फसल होती है और न रबी की बुआई के समय जमीन खुल पाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में बहुत से तालाब हैं या नीचे की जमीन है जहां पर जल जमाव रहता है। मेरे क्षेत्र में ही कौवा, चंदर, छतवा ढहवा, मेचुका रौना बड़े-बड़े ताल हैं जिनसे ढाई सौ गांवों की हजारों एकड़ जमीन खरीफ के समय जल से ढकी रहती है और रबी के समय वह खुल नहीं पाती है। पूरा इलाका तबाह हो रहा है । यह समस्या सिंचाई विभाग के गले की हड्डी बनी हुई है। विगत 3 वर्षों से 55 लाख रु0 बस्ती जिसके ड्रेनेज तृतीय खण्ड का ठेकेदारों का विभाग पर बकाया पड़ा हुआ है सारा काम नहीं हो रहा है । वहां पर जल निकासी का कोई काम नहीं हो रहा है । ड्रेनेज तृतीय खण्ड में सिंचाई विभाग का कोई काम नहीं हो रहा है । तो इन सब चीजों पर राज्यपाल महोदय को ध्यान देना चाहिए था जो नहीं दिया गया है । इसलिए मैंने धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्ताव पेश किया है मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं । सरकार समझती है कि निराशा से हताशा होती है । तो मैं कहना चाहता हूं कि निराशा से हताशा और हताशा से हिंसा तथा उपद्रव होते हैं और निरकुंशता बढ़ती है । इसलिए मेरे संशोधनों को स्वीकार किया जाना चाहिए ।

श्री सईदुज्जमा–

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं इसके लिये धन्यवाद देता हूं। हकीकत में विपक्ष के लोग असलियत पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार ने सूखे से निपटने के लिये जो काम किये है वह सराहनीय है। इसके लिये सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। हकीकत में इस भयंकर सूखे से निपटने के लिये हमारी सरकार ने मुस्तैदी से

काम किया है। इससे निपटने के लिये पानी और बिजली देकर राहत पहुंचाई। सरकार ने पूरी शक्ति के साथ, आत्मविश्वास के साथ उसका सामना किया और किसानों तथा मजदूरों को राहत मिली है किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची है।

अभी माननीय राम शरण दास जी ने कहा कि इतनी हड़तालें हुई। तो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने समाज में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश को ऊंचा ले जाने के लिये, उसकी तरक्की के लिये ऐसी शक्तियों का जो विकास के कामों में बाधा डालना चाहती थी उनका मुकाबला किया जिसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं . .

मैं इस संबंध में एक शेर कहना चाहता हूं—
अज्म मोहकम हो तो होती हैं बलायें पस्पा,
कि तने तूफान पलट देता है साहिल तनहा ।

तो उसी हिम्मत के साथ जो हमारी कठिनाईयां थीं, जो किसानों की कठिनाईयां और समस्यायें थीं उससे हमारी सरकार ने निपटा है । मैं मंत्रि मंडल और सरकार को दाद दूंगा कि उन्होंने एक मुस्तकिल इरादे के साथ उन कठिनाईयों का सामना किया है और जो ऐसी शिकायतें थीं उनको हल किया है। मान्यवर, सरकार ने शांति और कानून व्यवस्था को अच्छी बनाने के लिये नये थाने खोले हैं । सिंचाई और पानी की अच्छी व्यवस्था किया है । नये स्कूल खुलवायें हैं एवं स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी की है।

मान्यवर, जो आंकड़े दिये गये हैं मैं उनमें नही जाना चाहता हूं लेकिन हकीकत में देखेंगे कि जो महामहिम राज्यपाल महोदय का भाषण है वह मुकम्मल है और नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक सभी की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है और उसमें जो शमा राहत की जलाई गयी है वह नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक पहुंची है। मान्यवर, इस सरकार के जमाने में अनेक राहत के कार्य किये गये हैं जैसे समाज कल्याण के काम, बेरोजगारी दूर करने के काम, सिंचाई की व्यवस्था आदि अनेक कार्य किये गये हैं ।

मान्यवर, विरोध पक्ष के नेता ने कहा है कि इस भाषण में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के स्बंध में कोई जिक्र नहीं है, हमने स्वयं पढ़ा है और बताना चाहता हूं कि इसमें खासतौर से सरकार भ्रष्टाचार पर कड़ाई से नजर रखे है और सोचती है कि विकास के कार्यों में बेईमानी न होने पाये और भ्रष्टाचार पर सरकार का नियंत्रण रहे। इस संबंध में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ 19 पर दिया है जिसको मैं पढ़ रहा हूं—
"भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिये संवेदनशील विभागों में शासन स्तर पर मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है तथा 6 विभागों में नियुक्तियां की जा चुकी हैं।" तो मान्यवर, ऐसे कार्य किये गये हैं जिससे भ्रष्टाचार कम हो और सुख सुविधायें 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से गरीब समाज के लोगों तक पहुंच सकें। जिनका हम विकास करना चाहते हैं और गरीब मजदूरों को ऊपर उठा सकें उनके विकास के लिये हमारा सरकार कटिबद्ध है। मान्यवर, हमारी पार्टी के नेता श्री राजीव गांधी जी चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको ऊपर उठाया जाये ताकि उनको आर्थिक उत्थान हो और वह समाज के काम आ सकें ।

मान्यवर, अन्त में मैं अपने जनपद मुजफ्फरनगर के क्षेत्र मोरना में गोबर्धन इलाका है, जहां हर साल बाढ़ आती है जिससे 85 गांव प्रभावित होते हैं और सरकार को माल-गुजारी और लगान माफ करना पड़ता है, इसलिये मैं चाहता हूं कि गोबर्धन इलाके में एक बांध बनाने की व्यवस्था की जाये ताकि किसानों की जो 40 हजार की आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है उसकी रोकथाम हो सके । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

अधिष्ठाता महोदय, मेरे लायक दोस्त श्री खान गुफरान जाहिदी साहब ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, अपने ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी और अपनी योग्यता के हिसाब से अपनी बात कही । हमारे लायक दोस्त हैं, योग्य हैं, इसलिये उनके प्रस्ताव के विरोध में मैं नही खड़ा हुआ हूं किन्तु उनके प्रस्ताव में कुछ और इजाफा करने के लिये मैं खडा हुआ हूं । मान्यवर, उसमें कुछ बातें और जोड़ दें तो उनके प्रस्ताव का मैं समर्थक हो सकता हूं । मान्यवर, पिछले 50 वर्षों से लगभग 45 या 47 ऐसे अभिभाषण हमारे इस सदन में आये हैं लेकिन पिछले जो भी अभिभाषण आये हैं उनको यदि उठाकर देखें और इस अभिभाषण को देखें तो इससे खराब अभिभाषण आज तक नहीं हुआ है । जिसमें मान्यवर, वर्तमान का न तो ज्ञान है और न भविष्य की कोई योजना है । यह अभिभाषण राज्यपाल का अभिभाषण नहीं है, हमारी जो सरकार है, उस सरकार की एक वर्ष के कार्य की क्या योजना है, उसका दस्तावेज है। इसमें वर्तमान की पूरी स्थिति नहीं है और जो थोड़ी बहुत दर्शाने की भी कोशिश की गई है वह पूरा झूठ का पुलिन्दा है। मसलन राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है कि हमने 82 लाख मी0 टन खरीफ की फसल पैदा कर दी है, जो लक्ष्य का 71 फीसदी है। मान्यवर, यह बिलकुल गलत है, सत्य से परे है। इस बारे में मैं इन्हीं के आंकड़े से बताता हूं कि यह कैसे गलत है। जो खरीफ की फसल हमारे यहां बोई जाती है वह 102 लाख हेक्टर क्षेत्रफल में बोई जाती है, जिसमें से इस साल 44 लाख हेक्टर में तो बोई ही नहीं जा सकी, क्योंकि भीषण सूखा पड़ा हुआ था। इस प्रकार 55 लाख हेक्टर में खरीफ की खेती हुई, इसमें से 25 से लेकर शत प्रतिशत तक फसल नष्ट हो गयी। तो ऐसी हालत में 82 लाख मी0 टन खरीफ में फसल होना बिलकुल असम्भव है यह झूठ दिखाया गया है। तो मान्यवर, इस झूठ से क्या फायदा है, आप सही वस्तुस्थिति सामने रखें। हमारे आंकड़े सही हों और आप कुछ करना चाहते हैं तो करें । यदि आपको समाज को बनाना है, तो निश्चित रूप से 3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए । एक इच्छा दूसरे इच्छा शक्ति तथा तीन जो फैसले लेते हैं, वह कैसे लिए गए हैं । नीयत के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। कैसा समाज बनाना चाहते हैं– समाजवादी समाज बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं । इच्छा शक्ति भी इनके पास कुछ नहीं है । जहां तक इनके फैसले हैं, उसको देखें तो जो यह चाहते हैं वह हो भी नहीं सकता है । अभी मुजफ्फरनगर वाले साथी कह रहे थे कि सरकार ने भ्रष्टाचार की बात रखी है कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे । लेकिन आपकी ही सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो कैदी जेलों में बन्द हैं, जो 8-8, 10-10 साल से बन्द हैं, उनको पैरोल देना है यह आप देते हैं, हम लोगों की सिफारिश पर देते हैं, उसकी मांग पर देते हैं, किन्तु उसके लिए अब इस सरकार

ने यह नियम बनाया है कि जिसकी पैरोल होनी होगी, उसके सम्बन्धित थाने से जांच कराई जाएगी । अब आप देखें कि यह कितनी गलत बात है और भ्रष्टाचार का जन्म देने वाली बात है। 8-10 साल से वह थाने में नहीं रह रहा है, क्षेत्र में नहीं रहा है, जेल में रह रहा है तथा उसने जो समाज विरोधी कार्य किया है, उसी के लिए वह जेल में सजा भुगत रहा है, अब थाने वाले उसके बारे में क्या रिपोर्ट देंगे? जब वह उस थाने में रह ही नहीं रहा तो उसकी थाने वाले क्या रिपोर्ट देंगे? परिणाम यह है कि ऐसे मामलों में थानों में पूरा भ्रष्टाचार होता है। इसी प्रकार आप बन्दूकों के लाइसेंस के नवीनीकरण की भी बात देखें। वह भी भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला है। आप भ्रष्टाचार को राज्य में बढ़ाते जा रहे हैं। उसी तरह क्रेशर हमारा एक छोटा उद्योग है, जिससे पश्चिम के लोगों को काम मिलता है और लाभ भी होता है, लेकिन एक एक क्रेशर पर आपने 36–36 इंस्पेक्टर लगा रखे हैं कोई स्वास्थ्य का इंस्पेक्टर है तो कोई सैनेटरी का और कोई गन्ना का है कोई चीनी का है। तो यह तो भ्रष्टाचार की कई गुना, तक बढ़ाने वाली बात हुई। मान लीजिए आपकी थोड़ी बहुत इच्छा है भी, जो मैं मानता हूं आपमें नहीं है, लेकिन अगर एक बार मान भी लूं कि आप चाहते हैं कि आपके यहां स्वच्छ प्रशासन हो, तो यह फैसला आपको उस सीमा तक पहुंचा नहीं सकता है। आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते चले जाएंगे।

मान्यवर, कृषि के साथ-साथ मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं। अभिभाषण में प्रधान मंत्री जी की बड़ी प्रशंसा की गई है । जब यह प्रधान मंत्री की प्रशंसा करते हैं तो, यह क्यों चाहते हैं कि हम प्रधान मंत्री की आलोचना न करें। अब आप देखें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से सूखा राहत के लिए अगस्त के महीने में 1264 करोड़ के लगभग रुपयों की मांग की थी। सितम्बर के महीने में मान्यवर, 1314 करोड़ की मांग की और मिला इनको बहुत कम कुल 141 करोड़, फिर भी मान्यवर, यह कहते हैं कि प्रधान मंत्री ने सेवा की, उत्तर प्रदेश को उठाया और अभिभाषण में इस बात को कहते हैं कि कम धन दिया, तो या तो यह कहें कि उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी नकारा है कि सूखे राहत के लिए केन्द्र सरकार की सूखे की व्यापकता को समझा नहीं सकी । या फिर यह कहें कि हमारी मांगें जायज थीं प्रधान मंत्री ने हमको नम्बर दो का मानकर कम धन दिया है आप कहते हैं कि हम किसानों को सस्ता बीज देंगे। मान्यवर, सीड कारपोरेशन चाहे नेशनल सीड कारपोरेशन हो और कोई हो सीधे बीज की एजेन्सी लेते थे, इसमें अब इन्होंने यह कर दिया है कि तराई विकास निगम सब लोगों को बीज सप्लाई करेगा, इससे मान्यवर, 100 रुपये कुन्टल का फर्क बीज में हो जाएगा आप कहते हैं कि किसानों को अधिक से अधिक सुविधा हम देना चाहते हैं । आप इस तरह के फैसले लेकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। महंगाई को बढ़ावा देते हैं । मान्यवर, कृषि के बारे में कहना चाहूंगा । आलू के लिए कृषि मंत्री जी ने बताया कि आलू का बहुत उत्पादन हुआ है। आलू का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। जब कोई अच्छा काम होता है तो यह क्रेडिट अपने ऊपर ले लेते हैं और जब सूखे की बात आती है तो यह कहते हैं कि हम क्या करें । किसान ने मेहनत की और लागत लगाई तो उसका क्रेडिट आपने ले लिया । आलू जो हुआ उसके लिए आपकी तरफ से सब्सिडी दी गई सितम्बर के महीने में. . . .

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

किसानों को सब्सिडी दस अक्टूबर तक दी गयी।

श्री कौशिक रमाशंकर–

धन्यवाद, आपने सुधार दिया दस अक्टूबर मान्यवर, किसानों को सब्सिडी तो मिली या नहीं, लेकिन उनका जो बीज था वह सब नष्ट हो गया । विद्युतीकरण के बारे में कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि इन्होंने 70 हजार 72 हजार ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया है इनकी विद्युतीकरण की जो परिभाषा है वह मैं बताना चाहता हूं । अगर किसी रेवेन्यू गांव के एरिया में कोई खम्भा लगा दिया चाहे वह किसी ट्यूबवेल के लिए गया हो पर यह सरकार उस गांव को विद्युतीकरण किया हुआ मान लेती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह अभिभाषण झूठ का पुलिंदा है । अगर किसी गांव में खम्भा लग गया है बिजली है या नहीं, कुमकुमें जलते हैं या नहीं उस गांव का यह विद्युतीकरण हुआ माना लेते हैं । यह इनकी परिभाषा है और यह इनके काम करने का ढंग है। मान्यवर, वृक्षारोपण की बहुत बातें की जा रही हैं। वृक्षारोपण और वृक्षों की हिफाजत के लिये करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं लेकिन जिस तरह से वृक्षारोपण हो रहा है वह भविष्य के लिए गलत हो रहा है। वृक्षारोपण का कोटा फिक्स किया जाता है तो इनके अधिकारी यूकिलिप्टस खड़ा कर देते हैं। यद्यपि विशेषज्ञों की राय यूकिलिप्टस के बारे में दूसरी है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि ठीक है आपने यूकिलिप्टस लगा दिया लेकिन जब तक वह पर्यावरण का सुधार करने के लायक होता है, 3 साल के बाद उनको काट लिया जाता है। 3 साल के बाद उसको न किसान अपने खेत में रखता है न सरकार रखती है इसलिए उससे पर्यावरण को कोई फायदा नहीं पहुंचता । जब वह कोई फायदा पहुंचाने के लायक होता है काट लिया जाता है । दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जबसे आपने पुलिस को अधिकार दिया है पेड़ों की कटाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। आम, शीशम चाहे जिस चीज का बाग काट लीजिये आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है केवल पुलिस का दरोगा और सिपाही पूरी बाग कटवा सकता है तो आपके वृक्षारोपण की यह हालत है। हरे पेड़ कटते जा रहे हैं । इसी तरह पर्वतीय विकास का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है कि वहां पर इलेक्ट्रोनिक्स के कारखाने लगाने जा रहे हैं। पहाड़ों पर इसके लिए एक निगम बनाया गया है लेकिन उस निगम के चेयरमैन कौन हैं, चेयरमैन कौन, वही हैं जो अपट्रान के हैं। जो सरकार की योजनायें हैं वह हिल वाले इलेक्ट्रोनिक कारपोरेशन में नहीं जाती हैं बल्कि अपट्रान में चली जाती हैं। सब जानते हैं कि अपट्रान का जो टी0 वी0 है सप्रसे घटिया टी0 वी0 है और वह घाटे में चल रहा है । सवाल है कि यदि आप पर्वतीय विकास के लिए कोई निगम बनाते हैं तो उसका चेयरमैन कम से कम अलग होना चाहिए । अपट्रान के चेयरमैन कोई जोशी साहब हैं जो आई0 जी0 वायरलेस थे उनको इलेक्ट्रानिक्स का ज्ञान नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि अगर पहाड़ की तरक्की की बात सोचते हैं और उसके लिये निगम बनाते हैं तो निश्चित

रूप से उसको दूसरी जिम्मेदारी देनी चाहिए । मान्यवर, इसी तरह गन्ना खरीद की बात है। बार-बार सरकार कहती है कि वह फैक्टरियों को तब तक चलायेगी जब तक गन्ना किसान का खेत में रहेगा । लेकिन जब आप कहते हैं कि कोई अच्छा काम करेंगे तो उसको करें, लेकिन जब ठीक फैसला नहीं करेंगे तो अच्छा कैसे होगा? आप इसके लिए एडीशनल कोटे का एलान करें। लेकिन एडीशनल कोटे का एलान नहीं किया है। किसान अपने गन्ने को खेत में कब तक खड़ा रखेगा । जब देर होगी तो वह अपने गन्ने को कोल्हू आदि को 10-15 रुपए में दे देगा । अगर आप एडीशनल कोटे का एलान कर देते हैं तो छोटा काश्तकार भी अपने गन्ने को रोकने की कोशिश करेगा । उसको यह भरोसा होगा कि उसका गन्ना मिल ले लेगी । आपको सेंट परसेंट एडीशनल कोटे का एलान करना चाहिए नहीं तो गन्ने के बारे में किसानों को राहत देने के कोई माने नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और मा0 खान गुफरान जाहिदी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करते हुए उसमें यह बातें जोड़ने को कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री त्रिभुवन प्रसाद–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, अभिभाषण के पृष्ठ नं0 2 को देखने से ज्ञात होता है कि प्रदेश की सरकार शांति और व्यवस्था बनाने में दिलचस्पी रखती है परन्तु मान्यवर, 1987 में मेरठ में एक महीने में दो बार साम्प्रदायिक दंगे हुए । यह हमारे प्रदेश की सरकार की असफलता का प्रतीक है। यदि महामहिम राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में इस बात को व्यवस्था रखते कि प्रदेश में लगातार साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं जिसके लिये एक कमेटी गठित की जायेगी जिसके माध्यम से दंगों के बारे में पता लगाया जायगा कि दंगों की वजह क्या है और कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करती तो प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था नहीं है । जहां तक सरकार ने हरिजनों, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की व्यवस्था नहीं है । जहां तक सरकार ने हरिजनों, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की बात कही है तो सरकार का यह दावा खोखला है। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद बहराइच में थाना इकौना के गांव बभनाय में इकौना थाने के एस0 ओ0 ने हरिजन का घर उजड़वा दिया तो यह सरकार किस आधार पर दावा करती है कि वह हरिजनों की रक्षा करेगी? इन्होंने दावा किया है कि हरिजनों के उत्थान के लिए सरकार कटिबद्ध है । मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अंतर्गत जो ऋण दिये जाते हैं और जो वस्तुएं उनको दी जाती हैं उनका मूल्य बहुत अधिक होता है और लाभ के बजाय हरिजनों को हानि होती है और वह गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि यदि किसी हरिजन को एक इंजन दिया जाता है तो उसकी कीमत मार्केट में 6 हजार रुपए होती है लेकिन इस योजना में उसको 8-साढ़े 8 हजार का दिया जाता है जिससे हरिजनों को क्षति होती है और वह गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं। इसलिये सरकार का हरिजनों को ऊपर उठाने का दावा बिल्कुल गलत है। मान्यवर, जहां प्रदेश की सरकार यह कहती है कि उसने काश्तकारों को फर्टी-

लाइजर पर सब्सिडी दी है तो उस तरफ भी मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन्होंने एक हेक्टेयर में (इस समय 2 बजकर 54 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुए) 40 रुपये की छूट दी है। अगर देखा जाय तो एक बीघे पर यह ढाई रुपये आती है तो यह दावा बिल्कुल गलत है और यह सहायता ऊंट के मुंह में जीरा की तरह से है। इससे क्या भला हो सकता है। जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यास है और उसको दो बूंद पानी दिया जाय तो उसका क्या भला हो सकता है। यह सरकार अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए यह बातें कह रही है वास्तव में यह कुछ नहीं कर रही है और जनता को धोखा दे रही है। मान्यवर, इन्होंने दिखाया है कि बोरिंग की जा रही है। मान्यवर, ए0 डी0 ओ0 के माध्यम से ऐसी जगहों पर बोरिंग करायी जाती है जहां पर खर्च कम आता है और उसकी यह बढ़ाचढ़ा कर दिखा देते हैं और जनता का धन कमीशन के रूप में ले रहे हैं इन शब्दों के साथ मैं यह चाहूंगा कि सरकार को आप निर्देशित करें कि हरिजनों, अल्पसंख्यकों और किसानों की रक्षा करे, किसान आन्दोलन को दबाने के लिये पुलिस और पी0 ए0 सी0 का प्रयोग न करें। इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

(श्री बाबूलाल को पुकारे जाने पर।)

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, एक सत्ता पक्ष से और एक विपक्ष से बोलना चाहिये। पूर्व वक्ता का जो भाषण था वह पूरी तरह से विपक्ष का भाषण हुआ है इसलिये अब सत्ता पक्ष को अवसर देना चाहिये।

एक सदस्य–

वह सच्चाई बोल रहे थे।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जो हमारे साथी अभी बोल रहे थे, वह प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहे थे कि विरोध में बोल रहे थे?

श्री अधिष्ठाता–

जो आप समझ लें।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, इस पर आप व्यवस्था दे दें।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, परम्परा यह रही है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर और सामान्य बजट की चर्चा पर एक सदस्य पक्ष का और एक सदस्य विपक्ष का बोले। मान्यवर, अभी सत्ता पक्ष से माननीय त्रिभुवन प्रसाद जी बोले हैं, वह सत्ता पक्ष से निष्कासित तो हैं नहीं, तो अब विपक्ष के माननीय सदस्य को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष के सचिवालय में जो सदस्यों की सूची है, उस सूची में माननीय सदस्य का नाम कांग्रेस दल की सूची में है। अध्यक्ष पीठ से किसी माननीय सदस्य का नाम लिया गया, उन्होंने विरोध किया हो या समर्थन

किया हो, वह रिकार्ड में है। वैसे, रिकार्ड के अनुसार उन्होंने विरोध किया है।

(व्यवधान)

*श्री भगवानदीन कुशवाहा–

मान्यवर, गांधी जी के बताये हुए मार्ग पर राजीव गांधी जी नहीं चल रहे हैं। मान्यवर, गांधी जी के नाम पर वह कलंक हैं। गांधी जी के नाम को राजीव गांधी बदनाम कर रहे हैं, इसलिए आज से राजीव गांधी नहीं लिखा जायेगा। उनका नाम आज से राजीव नेहरू लिखा जायगा। अगर आज से उनका नाम राजीव गांधी लिखा जायगा, तो पूरा विपक्ष आन्दोलन करने पर विचार करेगा। यह कांग्रेस सरकार और वीर बहादुर और राजीव गांधी की सरकार हरिजन विरोधी है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। इस देश का संविधान डा0 भीमराव अम्बेदकर ने बनाया, लेकिन 14 तारीख की गजटेड छुट्टी आज तक नहीं की गयी, इनको शर्म में आकर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मान्यवर, 14 तारीख को डा0 भीम राव अम्बेदकर ने देश का संविधान बनाया, लेकिन उस दिन गजटेड छुट्टी नहीं घोषित की गयी। तो मान्यवर, ये हरिजन विरोधी हैं और [xxx] मान्यवर, मुख्य मंत्री वीर बहादुर सबसे ज्यादा इस सरकार में रहे हैं और बीर बहादुर की सरकार में सबसे ज्यादा नरसंहार हुए हैं, सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आरोप लगाने के बारे में हमारे नियमों में एक व्यवस्था दी गयी है, मैं उसको दिखवा लूंगा, अगर आरोप संसदीय परम्परा के खिलाफ होगा, तो उसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

वीर बहादुर जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा नरसंहार हुए हैं, सबसे ज्यादा साम्प्रदायिक दंगे हुए, सबसे ज्यादा कत्ल हुए, सबसे ज्यादा लूट, डकैती, जघन्य अपराध और सबसे ज्यादा बलात्कार हुए। ये उनको रोक नहीं पा रहे हैं। इनका नैतिक कर्तव्य है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए लेकिन यह राजीव के पहले ले जायेंगे और अपना बाद में हटेगें, यह प्रण कर चुके हैं कि राजीव नेहरू को पहले ले जायेंगे अपना बाद में हटेगें और जाहिदी जैसे सलाहकार [xxx] मान्यवर, अगर मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की जाती तो पूरा विपक्ष आन्दोलन करने पर विचार करेगा। अगर इसको नहीं मानते हैं तो मैं इनको चुनौती देता हूं कि यह शिक्षा नीति एक सी कर दें गरीब और अमीर का बेटा एक स्कूल में पढ़े और कम्पटीशन में बैठें, यह आरक्षण खत्म कर दें। शिक्षा नीति एक सी लागू कर दी जायेगी यह घोषणा करें। जो कम्पटीशन में आये वह चुनकर जाय लेकिन राजीव नेहरू का बेटा दून में पढ़ेगा अमीर का बेटा दून में पढ़ेगा।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:– [xxx] यह अंस श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कोई आदमी यहां शराब पीकर नहीं आ सकता है और न बोल सकता है। [xxx]

(घोर व्यवधान)

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, स्वरूप कुमारी बख्शी बैठी हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

विषय पर आयें ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, सीता जी के साथ जब रावण ने अन्याय किया तो राम का जन्म हुआ और राम रावण में युद्ध हुआ और इस युद्ध में रावण का विभीषण रामदल में मिल गया और रावण मारा गया । तो मान्यवर, आज भी अन्याय हो रहा है ऐसे समय में वी0 पी0 सिंह रूपी राम पैदा हो गये हैं और चौधरी अजीत सिंह रूपी लक्ष्मण पैदा हो गये हैं । राजीव नेहरू के परिवार से अरुण नेहरू अलग होकर राम रूपी वी0पी0 सिंह के चरणों में जाकर गिरे अब राम और लक्ष्मण मिलकर राजीव नेहरू का सफाया कर देंगें । (व्यवधान) मान्यवर, सूखा राहत इस पूरे प्रदेश में नहीं मिली है । सारे नलकूप बंद पड़े हैं, नहरों में पानी नहीं है और इनकी सारी व्यवस्था फेल है क्योंकि मुख्य मंत्री अपनी कोठी पर बैठकर गोरखपुर के अन्य लोगों को पैसा बांटते हैं । जिसको पैसा दिया जाता है जिसको 500 देते हैं तो हजार लिखते हैं जिसको 200 देते हैं तो 400 लिखते हैं । यह इनके यहां के अधिकारी रहते हैं मुख्य मंत्री की कोठी पर वह लूट कर रहे हैं । जब मुख्य मंत्री की कोठी पर लूट हो रही है तो पूरे प्रदेश को क्या स्थिति होगी ? मैं गुफरान जाहिदी से जो मुख्यमंत्री जी के खास चमचे हैं वह ध्यान पूर्वक सुन लें पूरे प्रदेश में कांग्रेस आई के नेता कांग्रेस आई के पदाधिकारी (व्यवधान) . . .

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, चाहे सीमेंट का कोटा हो, डीजल का कोटा हो या मिट्टी के तेल का कोटा हो, सारा कोटा परमिट का काम इनके पदाधिकारियों के पास है । ये कांग्रेस का झंडा लेकर मिट्टी का तेल ब्लैक कर रहे हैं । आधा भ्रष्टाचार तो समाप्त हो सकता है जब मा0 मुख्य मंत्री जी ईमानदारी से इसकी जांच करा दें और अपनी पार्टी के लोगों से कोटा परमिट का काम हटाकर गरीब व हरिजन लोगों को दे दें । वे ईमानदारी से चीजें बेचेंगे तभी भ्रष्टाचार समाप्त होगा । लेकिन यहां मुख्य मंत्री प्राइवेट लिमिटेड फर्म हैं . .

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपा करके बैठें ।

(व्यवधान के मध्य डा0 रजनीकांत दत्त का नाम पुकारे जाने पर)

नोट:– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

(व्यवधान के मध्य) राजीव नेहरू अपने देश को ठीक चला नहीं पा रहे हैं और लंका में युद्ध कर रहे हैं। मान्यवर, राजीव नेहरू जो यह कर रहे हैं तो देश कहां जायेगा?

श्री अधिष्ठाता–

मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है । आप कृपया बैठें ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मैं एक शब्द कहकर समाप्त करता हूं..(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपा करके बैठें । आप का समय समाप्त हो चुका है ।

*श्री खान गुफरान जाहिदी–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे विपक्ष के मा0 सदस्य ने किसी भी हालात में जो उल्टे सीधे या गलत सलत आरोप लगाये हैं, और उनमें जो आरोप जाती तौर पर हमारे साथियों पर लगाये गये हैं, मैं उनका कन्ट्राडिक्शन करता हूं । विपक्ष के मा0 सदस्यों पर जो आरोप लगाये गये हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा अनुरोध है कि अभी मा0 सदस्य ने "बुढ़ा" या और ऐसे जो अनुचित शब्द कहे हैं, उनको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने पहले भी कहा था कि देख लिया जायेगा, लेकिन आपने सारी बात रिकार्ड करा दी अब बात समाप्त हो गयी ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चल रही चर्चा के समय राज्यपाल दीर्घा में अधिकारियों के अनुपस्थित होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी मा0 राम सरन जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा हो रही हो तो यहां पर प्रदेश के समस्त संबंधित अधिकारियों को यहां पर उपस्थित रहना चाहिए हम लोगों को दीर्घाओं की ओर नहीं देखना चाहिए, लेकिन कभी दृष्टि पड़ ही जाती है , जो स्वाभाविक है । इस संबंध में मैं आप का ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा की अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संदर्भित संहत संकलन , जो मार्च 1969 से 30 दिसम्बर, 1978 तक का है, के पेज 104 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि जिस समय राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर सामान्य चर्चा हो , उस समय सभी विभागों के सचिव और मुख्य सचिव को उपस्थित रहना चाहिए । यह निर्देश आपकी पीठ से हुआ है । इसमें स्पष्ट रूलिंग है, लेकिन यह सरकार इतनी उदासीन है कि यहां पर पूरे प्रदेश की बढ़ती हुई समस्याओं को कौन नोट कर रहा है? कौन इसका नोटिस लेगा? क्या यहां पर बिना मतलब की चर्चा कराकर सदन का समय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बर्बाद करना चाहते हैं ? आप सरकार को स्पष्ट निर्देश दें कि जो परम्परा है, पहले से जो रूलिंग है, उनका पालन होना चाहिए ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय वर्मा जी ने कहा कि दीर्घा की तरफ नहीं देखना चाहिये, बिना देखे ही व्यवस्था का प्रश्न उठाया, अगर देखा होता, तो वहां अधिकारी बैठे हुए हैं और वे माननीय सदस्यों की बात नोट कर रहे हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

संसदीय कार्य मंत्री जी ने मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर अपनी बात कही, वह देख लें कि क्या इस रूलिंग के हिसाब से सभी विभागों के सचिव और मुख्य सचिव राज्यपाल दीर्घा में बैठे हुए हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने परम्पराओं का उल्लेख किया । यह नहीं कहा कि कौन-कौन अधिकारी बैठे हुए हैं ? जिनको माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्देशित किया है, वे नोट करने के लिये वहां बैठे हुए हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

बड़ा अफसोस है कि ऐसी बातें यहां पर उठाने का मौका दिया जा रहा है । माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री तो मालूम पड़ रहे हैं इन सरकारी अधिकारियों के ही ज्यादा सेवक हैं। आपकी सरकार की इसमें क्या बदनामी हो जायेगी, अगर आप कह देते हैं कि अधिकारियों को उपस्थित रहना चाहिये और अगर नहीं हैं, तो उन्हें अभी बुलवाया जाता है। आपकी इसमें कौन सी साख गिर जायेगी? हर चीज की सफाई देने के लिये खड़े होने से क्या इसमें आपका कोई सम्मान बढ़ जाता है ? आपको कहना चाहिये कि हम देखते हैं कि अधिकारी क्यों नहीं हैं ? यह ध्यान रखा जायेगा कि ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा के समय अधिकारी हर समय उपस्थित रहेंगे । आप ही बतायें कहां है दीर्घा में आपके मुख्य सचिव, आपके गृह सचिव ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आप बोले लेकिन नाराज होकर नहीं बोलें । आप तो मुस्करा कर बोलते हुए ही अच्छे लगते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया हमें सम्बोधित करके कोई बात कहें आपस में वार्ता न करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप इसे छोटी बात न समझें । अगर अधिकारियों को बुला लेंगे, तो उसमें आपकी कोई बदनामी नहीं हो जायेगी । बल्कि आपको मदद मिलेगी सरकार चलाने में । आपको कहना चाहिये कि मुख्य सचिव को अभी बुलाता हूं अन्य अधिकारियों को अभी बुलाता हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी ने जो अभी कहा उसी पर बल देता हूं । आज कोई अधिकारी वहां है या नहीं यह इतना बड़ा प्रश्न नहीं है । लेकिन जिस तरह से हम बनी हुई मान्यताओं से नीचे जाते हैं फिर उन्हें रिस्टोर नहीं कर पाते हैं । यह आम बात है । यह कहा जाता है कि उपवेशन शनिवार को न लिया जाय, शुक्रवार के असरकारी दिन को न लिया जाय, लेकिन बदकिस्मती होती है, किसी बाध्यता में अगर हम सहमति दे देते हैं, तो आगे के लिये वह उदाहरण बन जाता है, उसी पर परम्परा स्थापित की जाती है । कार्य मंत्रणा समिति ने 13 तारीख के रविवार को भी ले लिया है, अब अगर आगे कोई बात होगी, तो संसदीय कार्य मंत्री कहेंगे कि यह परम्परा है, आपकी सहमति इस पर ली जा चुकी है, यह कोई पहली बार नहीं है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पीठ से निर्देश दें शासन को और शासन पीठ के निर्देश का पालन करे । अगर नहीं परिपालन करेगा, तो दो ही स्थिति होगी, राज्यसभा में सभापति ने जो किया या तो आप कहें कि आसन छोड़ता हूं आप अपने आदमी को यहां पर बुला लें और फिर जिस तरह से मर्जी हो, सदन चलायें । मैं मान्यवर, वचन देता हूं आपके आसन की गरिमा की रक्षा में, उधर का तो जिम्मा नहीं लेता हूं, लेकिन विपक्ष का एक-एक सदस्य उसके पीछे होगा। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपने बल और शक्ति का प्रयोग करके, उस आसन से सरकार को एक सुनिश्चित निर्देश दें । मान्यवर, इससे पूर्व जो निर्देश दिये गये हैं, जो व्यवस्थायें दी गयी हैं, उसको परिपालन करने के लिये यह सरकार बाध्य है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह जो विषय अभी उठा कि अधिकारियों की गैलरी में अधिकारीगण नहीं हैं। अच्छा होता कि यह बात नहीं उठती । गैलरी में कौन लोग हैं ? उनका संकेत नहीं लेते हैं, लेकिन जब यह मामला उठ गया, तो इसमें विचार करने की आवश्यकता हो गयी है । संसदीय परम्परा में, जो सदन का गठन है, उसमें इस बात का प्राविधान है कि आम जनता हमारी सुनने आयेगी, चर्चा कोई गोपनीय नहीं है हमने व्यवस्था दी है और पत्रकारों के लिये भी व्यवस्था के समय विधि निषेध हैं कि वह किस तरह से इन खबरों को छापें । उसी तरह से अधिकारियों के लिये भी दीर्घा का निर्माण कर दिया गया है, जब उसकी आवश्यकता समझी गई होगी, तभी ऐसा किया गया होगा । जिस समय बजट पर चर्चा हो रही है, उस समय हम सरकार को सम्बोधन करते हैं और सरकार को सम्बोधन के साथ-साथ यह आवश्यक है कि हमारी बात उन अधिकारियों तक भी पहुंचे इसलिये यहां पर अधिकारियों का उपस्थित रहना आवश्यक है । लेकिन जब बात उठी है तो मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह अपेक्षा करूंगा कि आगे जो अभी कुछ और चर्चा होनी है तो व्यवस्था में प्राविधान है और उसके तहत यहां सभी अधिकारी उपस्थित रहने चाहिये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपका आदेश शिरोधार्य है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (ग्रामागत)

डाक्टर रजनी कान्त दत्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 1987-88 घटनाओं भरा वर्ष रहा है और इसमें से कुछ घटनायें दैविक थी और कुछ मनुष्य जनित थीं । दैविक घटना जैसे सूखा था और पूर्वांचल में सूखा के साथ बाढ़ भी थी । लेकिन कुछ लोग इतने दिशा विहीन हैं, कुछ लोग इतने गुमराह हैं कि प्रान्त की प्रगति या प्रान्त के विकास से उनको कोई सरोकार नहीं है । उनका एक मात्र लक्ष्य है, लोगों को गुमराह करना। इस माननीय सदन की एक मिनट की कार्यवाही पर आज 4400 रुपये का खर्च आता है, वह इस सदन को एक ऐसा स्थान बना देना चाहते हैं, जिससे प्रान्त की जनता का कुछ भी सुना न जा सके । मान्यवर, जो माननीय सदस्य पुलिस द्वारा मुझे प्रताड़ित होने के आरोप लगा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि मैं कभी शराब पीते नहीं पकड़ा गया और न ही कभी किसी और गलत काम में पकड़ा गया । मैं जनता की सेवा करते हुए प्रताड़ित हुआ और जनता की सेवा के लिये मैं हमेशा तत्पर रहूंगा । मान्यवर, श्री वीर बहादुर सिंह जी की सरकार ने आज एक ऐसा वर्क कल्चर दिया है . . .

श्री भगवानदीन कुशवाहा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है इन दत्ता साहब को जो चोट लगी हुई है, उसके इलाज की व्यवस्था करा दें ।

डा0 रजनी कान्त दत्त–

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि आज वीर बहादुर सिंह की सरकार ने एक ऐसा वर्क कल्चर दिया है जिसके तहत संसाधनों एवं आवश्यकताओं पर आधारित विकेन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के कारण प्रगति हुई है। मान्यवर, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उसके नतीजे आज हमारे सामने आये हैं और वर्ष 84-85 में 20 सूत्री कार्यक्रम में जहां उत्तर प्रदेश का छठवां स्थान था, उसी 20 सूत्री कार्यक्रम में वर्ष 1985-86 और 1986-87 में हमारे उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहा है। इसी प्रकार मान्यवर, छठी पंचवर्षीय योजना में जहां आर्थिक विकास की दर 5.3 प्रतिशत थी, वह आज बढ़कर वर्ष 86-87 में 8.1 प्रतिशत हो गई है।

इसी तरह से उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो वर्ष 1985-86 में केवल 598 रुपये थी, वह आज बढ़कर वर्ष 1986-87 में 607 रुपये हो गई है । इस प्रकार से उसमें 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मान्यवर, यह सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, यह इस बात से साबित हो जाता है कि ऊर्जा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आज कितनी प्रगति हुई है। आज खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। मान्यवर, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ऊर्जा के क्षेत्र में 1977 में अधिष्ठापित क्षमता 3062 मेगावाट थी, आज वर्ष 1987 में ऊर्जा की क्षमता 4700 मेगावाट हो गई है । इसी तरह से विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या जो वर्ष 1977 में 19.24 लाख थी, वह आज बढ़कर वर्ष 1985 में 29 लाख से अधिक हो गई है। इस वर्ष 29 हजार 226 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हुआ है।

इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के किसानों को आज केवल 12 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली दी जा रही है, जिस बिजली पर सरकार को 83 पैसे प्रति यूनिट का खर्चा आता है और इस तरह से हमारी सरकार इनके लिये 250 करोड़ रुपये का घाटा प्रति वर्ष उठा रही है। कृषि के क्षेत्र में कुल उत्पादन 85-86 में 313.95 लाख टन हुआ जो पूरे देश में सबसे अधिक था और यह एक कीर्तिमान है। इसी तरह से गन्ना किसानों को उनकी बकाया कीमतों का 97 प्रतिशत रकम भुगतान किया जा चुका है और आज पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की फसल के लिये फसल बीमा योजना लागू की गई है। मान्यवर, मार्च, 1987 तक 77 हजार गांवों को पक्की सड़कों द्वारा सम्पर्क मार्गों से जोड़ा गया। आजादी के समय में जहां 11 हजार 118 कि0मी0 सड़कें थीं आज हमारे प्रदेश में वह बढ़कर 62 हजार कि0 मी0 हो गयी हैं। मान्यवर, यह कहते हैं कि परिवार नियोजन को गलत ढंग से लागू किया गया, जो सरासर गलत है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि अगर इस दिशा में इतना काम न किया गया होता और जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही, तो सरकार के सारे विकास कार्यक्रमों का, नीतियों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। मान्यवर, जिस तरह से देश का मनोबल गिराने के लिए कुछ लोगों ने छोटी-छोटी बातें कहीं, इसी तरह से सेना का मनोबल गिराने के लिए कुछ लोगों ने झूठी बातें कहीं। उसी तरह से आज यह भी बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अगर इस तरह का एक भी प्रमाण उपस्थित कर सकते हैं कि सूखे के कारण प्रदेश में किसी भी व्यक्ति की मौत हुई है? यह चाहते नहीं हैं कि जो एक पापुलेशन है, पापुलेशन एक्सप्लोजन है, उस पापुलेशन एक्सप्लोजन को चेक किया जाय। जनसंख्या बढ़ने की अगर यही रफ्तार रही, तो सरकार के सारे विकास के कार्यक्रम समाप्त हो जायेंगे। मान्यवर, मैं यह देखता हूं कि सूखे पर जब चर्चा हो रही थी तो उस समय कोई भी विपक्षी दल का नेता अपनी जगह पर मौजूद नहीं था यह बड़े मजदूरों के हमदर्द हैं और किसानों के हमदर्द बनते हैं। इन्हें अपने क्षेत्र के लोगों की बातों को कहना चाहिए था, लेकिन यह उसको न कहकर के सदन के समय का दुरुपयोग करते हैं। पिछली बार जब उन्होंने सदन का बहिष्कार किया तो उस समय बजट पर चर्चा हो रही थी और जिसे महीने-डेढ़ महीने चलना चाहिए था। यह किसी तरह भी यह नहीं चाहते कि सदन चले। जिससे 37 दिन सदन चला है, मैं यह देख भी रहा हूं कि इनकी मंशा यही है कि सदन न चले। मैं जानना चाहता हूं कि यह छोटे-छोटे राजनीतिक दल जब अपने मतभेदों को ही दूर नहीं कर सकते, अपने विचारों से एक नहीं हो सकते, केवल यह तरह-तरह की बातें करते हैं। यह देश में कांग्रेस का विकल्प ही नहीं दे सकते हैं, तो इनको बोलने का अधिकार क्या है? यह एक होकर आयें और एक निश्चित नीति लेकर आयें, हमें विश्वास है कि जनता इनको जरूर सुनेगी। अन्त में मैं राज्यपाल महोदय के भाषण पर अपना धन्यवाद देता हूं।

श्री राज किशोर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को मैंने बड़ी बारीकी से पढ़ा और शुरू से लेकर अन्त तक उसमें जो मुझे देखने को को मिला, उससे

मुझे यही आभास हुआ कि राज्यपाल महोदय को उत्तर प्रदेश की हालत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद भी आज राज्यपाल महोदय छुईमुई की तरह से उस आलीशान महल में सिर्फ खाने, सोने और वीर बहादुर सिंह जो कहें, उस पर दस्तखत करने के लिये हैं, उसके सिवा वह और कुछ करते ही नहीं हैं। इसलिए वह क्या लिखें या न लिखें जो कुछ बतायें, उनके अधिकारी, सचिव लोग चाहे वे आंख मुंह लिख दें, चाहे सांप लिख दें, चाहे जो लिख दें, हमारे श्री गुफरान साहब बड़ी लफ्फाजी के साथ यहां पर भाषण करेंगे। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। इन लोगों को आज पता ही नहीं है कि हमारे प्रदेश की जनता कितनी त्रस्त है, किसान कितना परेशान है, मजदूर कितना परेशान है। प्रदेश का बहुमत आज इनके खिलाफ है। तब भी ये डींग हांके जाते हैं कि हमारी हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है। इतनी बद्तर हुकूमत तो आज तक इस प्रदेश में कभी चली ही नहीं। इसीलिए आज हमारे प्रदेश में आन्दोलन चल रहे हैं। राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में लिखते हैं कि हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गयी है क्योंकि हमने पुलिस वालों को 100 रुपये पौष्टिक आहार दे दिया है, 39 थाने खोल दिये हैं 6 रिपोर्टिंग चौकियां खोल दी हैं। यह जो पौष्टिक आहार दिया गया है, इसका मतलब सिर्फ यह है कि सब जगह डंडा भांजो, किसान आन्दोलन में डंडा भांजो, वकीलों के ऊपर कचहरियों में डंडा भांजो। पुलिस मेरठ में जाकर अत्याचार कर रही है और लूट-पाट कर रही है और निर्दोष लोगों को गोली से उड़ा देती है। आज वास्तविकता यह है कि इस प्रदेश में पुलिस राज्य चल रहा है। आज दरोगा अपने को राज्यपाल से ऊंचा समझता है, यहां तक कि राष्ट्रपति से ऊंचा समझता है। अभी हमारे डा0 रजनी कान्त साहब बोल रहे थे। यही सबसे पहले बनारस में पुलिस के शिकार हुए। हमारे सामने आये तो पुलिस पहला हमारा हाथ पड़ेगा। ये वहां से मार खा के आ गये, लेकिन यहां पर तारीफ कर रहे हैं। आज प्रदेश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। सूखे की बात कही गई। बड़े तीस मारखां बनते हैं और कहते हैं कि हमने ऐसा मुकाबला किया, इसकी कोई इन्तिहा नहीं। सूखे के नाम पर आप ने कछ सम्पर्क मार्गों के निर्माण का काम शुरू किया। आपके जो चेले-चपाटे थे, जो गुण्डे व बदमाश थे और जो ठेकेदार हैं, उनको ठेका देकर, जिन्होंने सड़क भी नहीं बनाई, मिट्टी भी नहीं डाली, उन्हें पैसा देकर कांग्रेस की संख्या में गुणानुपात में वृद्धि करके एक एलटन खड़ी कर दी, जो इलेक्शन में पोलिंग बूथों पर कब्जा करेंगे। यह 145 करोड़ रुपए इसीलिए खर्च किया गया है। गवर्निंग बाडी में हमने यह बार-बार उठाया कि मानव दिवस सृजित किये जायं। हमारे मंत्री महोदय यह जानते ही नहीं हैं कि मानव दिवस सृजित करने में ठेकेदार नहीं आना चाहिए। लेकिन हर जगह पर ठेकेदारी पर काम हो रहा है। यह आपकी नीति है। आज राहत के नाम पर इस तरह से पैसा बहाया जा रहा है। न किसानों की लगान माफ हुई, न कीटनाशक व उर्वरकों के दाम घटे। श्री नरेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि हमने 21 लाख और कुछ रुपये लघु व सीमान्त कृषकों में बांट दिये। यह सारा रुपया जो चालाक लोग हैं और भू-स्वामी हैं, उन्होंने खा डाले हैं। सही रूप में लघु व सीमान्त कृषकों को उनका पता नहीं चला

उद्यान अधिकारी जो हैं जिले का, उसने सारे सर्कुलर जब रुपया बंट गया तब भेजें ।

सिंचाई के क्षेत्र में, जितनी नहरें हैं, सबमें पानी चू रहा है, ट्यूबवेल सारे खराब हैं। हमारे जिले में एक डिवीजन के अन्दर 60 ट्यूबवेल अभी भी खराब पड़े हुए हैं। सारी नालियां खराब हैं। इंजीनियर से कहा जाता है तो वह कहता है कि मैण्टीनेन्स के लिये केवल एक हजार रुपया मिलता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। सारे ट्रांसफार्मर गायब हैं। बनारस में ज्ञानपुर पम्प कैनाल है, वर्षों से पड़ी हुई है, पानी नहीं मिला किसानों से जमीन ली गयी, मुआवजा नहीं दिया गया । इसके अतिरिक्त बनारस जिले में, इसमें कहा गया है कि सड़क और पुल का निर्माण किया, वहां वरुणा नदी बहती है, उस पर एक पुल के निर्माण के लिये बहुत दिनों से मांग की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि इस पर पुल का निर्माण कर दीजिये ताकि देहाती अंचल का विकास जो हो जाय , लेकिन वह निर्माण अभी तक नहीं हो सका है ।

शिक्षा के क्षेत्र में, आज आजादी के 40 वर्षों के बाद भी 27 प्रतिशत से ज्यादा शिक्षित नहीं हैं । ग्रामीण अंचल के जो विद्यालय हैं, न वहां पर भवन हैं, न बच्चों के पढ़ने के लिये टाट-पट्टी है।

जो आपने बताया स्वास्थ्य के बारे में मंत्री जी मौजूद हैं, स्वास्थ्य विभाग तो इतना गया गुजरा है, इतना भ्रष्टाचार वहां पर है कि न तो वहां दवायें हैं, न गरीबों के लिये शैय्या वहां पर हैं। जो उच्चीकृत होने चाहिये थे, वह भी अभी तक नहीं हो पाये।

सदन में शिष्टाचार हेतु व्यवस्था का प्रश्न

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आये दिन इस सदन में देखा जा रहा है कि भाषण चलता रहता है, सत्ता पक्ष के तमाम सदस्य, मंत्री महोदय लोगों से अपना काम कराने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि अध्यक्ष पीठ की ओर अपनी पीठ नहीं करनी चाहिये। अभी खड़े थे, कुछ कहने के बाद बैठ गये, लेकिन बैठने की स्थिति देख ली जाय कि क्या है ? सत्ता पक्ष से कहें कि अपने सदस्यों को कुछ तो शिष्टाचार सिखायें। कहीं कोई तबला बजा रहा है, कहीं कुर्सी की तरफ पीठ किये हैं, भाषण चलता रहता है, 4-6 लोग गपशप करते रहते हैं । यहां तक कि अभी पिछले दिनों सदन में शोक प्रस्ताव हो रहा था और "हां" लांबी में ठहाके लग रहे थे। सत्ता पक्ष को सदन की परम्पराओं का कुछ तो ज्ञान होना चाहिये ।

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, यह सामान्य परम्परा है कि सदन से चलते समय और आते समय आपको पीठ को नमन करके जाना चाहिए और आना चाहिए। अभी लोकपति त्रिपाठी जी गये और हुकुम सिंह जी आये, लोकपति जी वैसे ही चले गये और हुकुम सिंह जी ने भी बैठने से पूर्व अध्यक्ष पीठ का नमन नहीं किया।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मैं कभी भी ऐसे आचरण का आदी नहीं हूं । इस प्रकार की हल्की-फुल्की बात आपको नहीं करनी चाहिए। मैं जब अपनी सीट पर आया था तो सर झुकाने के बाद तब बैठा था।

श्री अधिष्ठाता–

अभी जिन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया । यह बात सही है कि मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता लेकिन अब हम में से कोई सदस्य, नया सदस्य नहीं है। जो नये आये हैं, उनको भी कई वर्ष बीत गये हैं। यहां पर शिष्टाचार क्या है, यहां के नियम क्या हैं, क्या व्यवस्थायें हैं क्या परम्पराएं हैं, उसकी जानकारी हम सबको है। हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन यह अध्यक्ष की पीठ है इस पर नियाज हसन साहेब बैठे हैं या कोई और व्यक्ति बैठा है, इसका प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्य माननीय मंत्रियों के पास काम के लिये पहुंच सकते हैं, लेकिन वे शिष्टाचार का पालन करें और दूसरी बात यह कि वे अध्यक्ष पीठ की ओर अपनी पीठ न करें। यह ध्यान रखें कि जो बोल रहा है उसके और अध्यक्ष पीठ के बीच में स्वतः न आ जायं। साथ ही यह भी कहना है कि थोड़ी बहुत टीका टिप्पणी तो होती रहती है लेकिन किसी माननीय सदस्य के बोलते समय यदि कोई सदस्य बोलना चाहते हैं तो अपने स्थान पर खड़े हों और बोलने वाला सदस्य यदि ईल्ड नहीं करता है तो फिर आप अपने स्थान पर बैठ जायं क्योंकि किसी के बोलने के बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। एक कार्यवाही शुरू होने और उसके खत्म होने के बीच में व्यवस्था उठाने की बात पैदा होगी । यदि आप बीच में खड़े होते हैं, आपके इन्टरप्शन को यदि बोलने वाला वक्ता स्वीकार करेगा तो बैठ जायेगा अन्यथा यदि वह ईल्ड नहीं करेंगे तो आपको बैठ जाना चाहिए।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राज किशोर जी आपका भाषण का समय अब समाप्त हो गया।

श्री राज किशोर सिंह–

मेरा भाषण अभी अधूरा रह गया है।

श्री अधिष्ठाता–

आप एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करिये।

श्री राज किशोर सिंह–

उद्योग के बारे में मेरा कहना था कि हमारे प्रदेश में हजार से अधिक उद्योग बन्द पड़े हैं राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में गलत आंकड़े दिये हैं। जौनपुर की चीनी मिल बन्द है उसको अधिग्रहण न करके उसके कर्मचारियों को तनख्वाह न देकर उनके साथ अन्याय हो रहा है । इसी तरह से आटो ट्रैक्टर प्रतापगढ़ में तीन महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी गयी है। वहां पर टेक्निकल गड़बड़ी थी, उसे ठीक किया गया है लेकिन उसकी हालत अब तो और भी खराब है। इसलिये मेरा कहना है कि यह जो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं।

*श्री प्रेम पाल सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो माननीय सदस्य ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैं पिछले तीन वर्षों से देख रहा हूं कि हमारे विरोधी दल के लोग हमारी सरकार को किसान विरोधी, हरिजन विरोधी होने की सदन में बराबर चर्चा करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि इस सदन में सैकड़ों बार ''वाकआउट'' करके वे ही बाहर जाते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस मुल्क की जनता, हरिजन, आदिवासी सब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मान्यता दिये हुए थे क्योंकि वे हरिजनों और किसानों के मसीहा थे। जिस प्रकार महात्मा गांधी को हमारे देश की जनता ने मान्यता दी उसी प्रकार से राष्ट्रनायक पं0 जवाहर लाल नेहरू को उसने मान्यता दी। इसी तरह से श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रियदर्शिनी को उसने मान्यता, दी, इसी प्रकार से हमारे प्रधान मंत्री को इस देश की जनता ने मसीहा कहा है।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में चहुमुखी विकास के लिये हमारे मुख्य मंत्री, श्री वीर बहादुर सिंह ने बहुत प्रयास किया है और प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 1977-78 में जो संविद सरकार थी उसने प्रदेश को गर्त में डाल दिया था और सोने को बेच कर कमी को पूरा किया था हमारे मुख्य मंत्री जी ने सूखे की स्थिति को बड़े साहस के साथ सम्भाला है चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़कें हों, आवास हों, चाहे हैण्ड पम्प लगाने की बात हों, बड़ी बहादुरी का उन्होंने हर क्षेत्र में परिचय दिया है। मुझे पता है कि जब देश आजाद हुआ था और उस समय बरतानिया सरकार के खिलाफ जिन लोगों ने कुरबानी दी, लेकिन आज इन विरोधियों को यह भी पता नहीं कि इस हाउस की जब स्थापना हुयी थी तो उस समय किस तरह चलता था, यह सन् 52 की बात है, मेरा जन्म तो सन् 56 में हुआ है, परन्तु मैं यह जानकारी देता हूं कि उस समय के मेम्बर्स के भाषण और विचार तो हुआ करते थे, उनको सुनने के लिए बुद्धजीवी लोग प्रोफेसर आदि आया करते थे, लेकिन आज इन विरोधियों की बातें सुनने के लिए कोई भी नहीं आता है। और हम सब के मसीहा राजीव गांधी जी, बीर बहादुर सिंह जी की सरकार के विकास के लिए बहुत योगदान दे रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसी रैली अभी कांग्रेस की हुयी थी, यदि एक भी ऐसी रैली आज से 10 साल बाद भी कर यह दें तो मैं समझूंगा कि यह देश के किसान के लिए, जनता के लिए कुछ भी हित के कार्य यह विरोधी कर सकते हैं, जयहिन्द।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

माननवर, मेरे नाम की चर्चा यहां पर अभी हुयी, दुर्भाग्य से मैं सदन के बाहर था, मैंने उस बात को सुना कि माननीय गौरी भइया ने अपने चरित्र को हमारे ऊपर थोपा है, श्रीमन् यह काम मैं कभी कर ही नहीं सकता हूं, मैं जब सदन के अन्दर आता हूं या वापस जाता हूं, दोनों वक्तों में आपको पीठ का और सम्मानित सदस्यों दोनों का अभिनन्दन करता हूं, तभी बैठता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती विजय लक्ष्मी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में मैं संशोधन करने के लिए खड़ी हुयी हूं और आपने जो मौका दिया है, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हूं । और माननीय नेता विरोधी दल ने इस अभिभाषण में जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं यह कहना चाहती हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उ0 प्र0 के पिछड़े और पूर्वांचल जिलों का नाम-मात्र का भी जिक्र नहीं किया है, मैं पूर्वांचल के एक पिछड़े हुए जिला बलिया से आती हूं, वहां के विकास के संबंध में कुछ बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं और मान्यवर उत्तर प्रदेश में लगभग आधी जन संख्या महिलाओं की है, और इनकी निरक्षरता का जो प्रतिशत है, वह आप लोगों को मालूम ही है, फिर भी वहां महिलाओं के लिए शिक्षा का कोई प्रयोजन इस अभिभाषण में नहीं किया गया है और न ही उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र या किसी भी छोटे-मोटे उद्योग को स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए मान्यवर मैं आपके माध्यम से बलिया में एक रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की मांग करती हूं । साथ ही हमारे क्षेत्र बांसडीह में सिंचाई का एक सुरहा पम्प कैनाल है, जो बिजली के अभाव में अधिकतर बन्द ही रहता है, जिससे सिंचाई की सुविधा वहां पर नहीं के बराबर है, इसलिए मैं 100 राजकीय नलकूपों की मांग करती हूं। दूसरे मान्यवर हमारे यहां की घाघरा नदी के कटाव के कारण सैकड़ों गांवों में जन धन का नुकसान हो जाता है और वहां पर अब तक कोई इससे बचाव की या राहत कार्य की योजना चालू नहीं की गई है, इसलिए इस संबंध में आपके माध्यम से वहां के कटान को रोकने के लिए एक मास्टर प्लान योजना की अपेक्षा करती हूं । मान्यवर एक और भी संशोधन है कि वहां पर बालू और मक्का पर्याप्त मात्रा में होता है वहां पर कोई स्टार्च उद्योग लगाने का निवेदन करती हूं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि विधवा और विकलांग बच्चों के लिए सरकार ने जो पेंशन देने का प्रावधान किया है, उसमें बड़ी परेशानी होती है। उसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाय और इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए । मान्यवर, दो सालों से कितनी पेंशन की फाइलें हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में पड़ी हुई हैं । इनको निबटाने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए । मान्यवर, बांसडीह क्षेत्र में 3 टाउन एरिया हैं । उनके विकास के लिए मैं 25 हजार रुपये की मांग भी करती हूं । मान्यवर, बांसडीह टाउन एरिया है, तहसील है और विधान सभा का निर्वाचन क्षेत्र भी है । इसके विकास की मैं मांग करती हूं । इन शब्दों के साथ माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं ।

*श्री महमूदल हसन अंसारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, हमारी सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है । राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसमें उन्होंने हर तपके का ख्याल रखा है। कोई तपके ऐसा नहीं रह जाता है जिसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ख्याल न रखा गया हो। लेबर, किसान, महाजन सभी के लिए हर शख्स के लिए ख्याल रखा गया है, सभी फूलों और फलों, लेकिन विरोधी दल के लोग हमारी आलोचना करते रहते हैं । मान्यवर, इनको 77-78 का साल याद होना चाहिए जब इन्होंने गन्ने को सड़ा डाला था और हमारी सरकार 27 रुपया गन्ने का मूल्य दे रही है । हमारी सरकार ने बराबर इस बात का ख्याल रखा है कि हरिजन वर्ग, बुनकर, लेबर सभी को सुविधायें दी जायें और उनका ध्यान रखते हुए कारोबार चलाये जायें । चूंकि सूत महंगा हो गया है, इसलिए बुनकरों को तकलीफ है और उनको परेशानी और बेचैनी है, लेकिन सरकार इस ओर सजग है और तवज्जह दे रही है और सरकार कोशिश कर रही है कि बाहर से कपास मंगायी जाये और सस्ते रेट पर सूत बुनकरों को उपलब्ध हो और मिलों को सब्सीडी देकर सूत सस्ते दाम पर देने का प्रयास किया जा रहा है । इस संबंध में सरकार ने बुनकरों की एक हाई पावर कमेटी बनायी है, जिसकी मीटिंग होने वाली है और उसमें इसी प्रश्न को हल किया जायेगा । बुनकरों को किस प्रकार से फायदा पहुंचाया जाये । सूखे के कारण किसान और बुनकर परेशान हैं तो सरकार किसानों की हमदर्दी कर रही है और बुनकरों की हमदर्दी कर रही है । अब मैं मान्यवर, अपने जिले बिजनौर की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । बिजनौर जिले में एक चीनी की मिल कायम करने की बात कही गयी है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं । इससे वहां के लोगों को काम मिलेगा । इसके साथ ही साथ मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि बिजनौर जिले को पिछड़ा जिला घोषित किया जाये जिससे आसानी से बाहर के लोग यहां पर उद्योग लगा सकें। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने विचार रखने का अवसर दिया । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण निश्चित ही प्रशंसनीय होता यदि उसमें प्रदेश के चतुर्मुखी विकास, प्रदेश की 13 करोड़ जनता के दुख-दर्द को दूर करने के लिये कोई ठोस योजना, कोई महत्वपूर्ण निर्णय जो विश्वसनीय होता उसकी बात की गई होती । लेकिन ऐसा न होकर यह हुआ है कि हर मोर्चे पर हर क्षेत्र में इस सरकार की पूरी तरह से विफलता, अकुशलता, अक्षमता छिपाकर उसको सफलता का जामा पहनाने की नाकाम कोशिश की गई है। मान्यवर, आज हमारे प्रदेश में कोई भी वर्ग हो, चाहे वह मजदूर हो, किसान हो, राज्य कर्मचारी शिक्षक हो, छात्र हो, बेरोजगार हो, सब आन्दोलित और उद्वेलित हैं उत्तेजित हैं और वे संघर्ष के लिए सड़कों पर आने को मजबूर हो रहे हैं । उसका कारण यह है कि सरकार इस खाम ख्याली की शिकार है कि हम विकास के कार्य कर रहे हैं ।

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सूखे की चर्चा की है और यह कहा है कि हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता ली है और साढ़े चार अरब रुपया किसानों को राहत कार्य के लिए दिया है। इसका कोई पता नहीं चला कि वह पैसा कहां गया। आज किसी भी गांव में किसान से जाकर पूछ लें, कोई यह नहीं कहता कि राहत के नाम पर उसके लिये कुछ किया गया है न खाद बीज में, न बिजली सिंचाई में । इस बारे में राज्यपाल महोदय ने कुछ नहीं कहा हमें खुशी होती यदि उनकी सरकार एक श्वेत पत्र

प्रकाशित करती जिसमें यह कहा गया हो कि हर जिले में कितना-कितना रुपया किसानों को राहत के लिए किस-किस मद में खर्च किया गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया है । केवल कागजी और झूठे आंकड़ों के आधार पर यह सरकार काम कर रही है ।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, उसके सम्बन्ध में दो पंक्तियां इसमें लिखी गई हैं । मेरा कहना यह है कि आज हमारे प्रदेश का पूरा विकास प्रदेश की सारी योजनायें भ्रष्टाचार रूपी काला नाग खाये जा रहा है । संतरी से लेकर मंत्री और कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक और नेता से अभिनेता तक सभी धन की लूट में लगे हैं । कोई पता नहीं है । करोड़ों रुपया हम केन्द्र से कर्जा लेते हैं और राहत के नाम पर, योजनाओं के नाम पर यह सारा पैसा बरबाद हो रहा है, बड़े-बड़े अधिकारियों और नेताओं की जेबों में यह पैसा जा रहा है । भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये सरकार कोई काम नहीं करती है । भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार न मानकर यह सरकार उसे सदाचार मानती है। राज्यपाल ने प्रदेश की गरीब जनता के लिये जिनके पास नम्बर दो का पैसा नहीं है, जो वास्तव में गरीब है, मजदूर है, नौकरी पेशे वाला है उनको महंगाई से बचाने के लिये किसी प्रकार राहत की बात नही कही है । चन्द पूंजीपतियों को छोड़कर जिनके पास पाप की, कुकर्मों की, भ्रष्टाचार की कमाई है उन्हें छोड़कर जो गरीब हैं उनको आज अपने बच्चों के लिए दो वक्त की रोटी की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है । उनके लिए घी, दूध, तेल या अच्छे जीवन की बात सोचना भी असम्भव कल्पना हो गई है राज्यपाल महोदय ने महंगाई को दूर करने के लिए अपने अभिभाषण में कुछ नहीं कहा है । बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या हमारे प्रदेश में है । हजारों नहीं लाखों नहीं, करोड़ों बेरोजगार नौजवान आज इसलिये सड़कों पर घूम रहे हैं कि उनके लिये आप कोई व्यवस्था नहीं कर पाये हैं, उनके लिये कोई रोजगार नही है । उद्योग नहीं है, कोई योजना नहीं है न बेकारी का भत्ता है । इसलिये आज का यहां का नौजवान या तो आत्महत्या के लिये प्रेरित हो रहा है, अपराध के रास्ते पर चल रहा है । यह सरकार उनकी बहबूदी और तरक्की की बात के लिए जो ढोंग रचती है उससे काम चलने वाला नहीं है ।

प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत बहुत बदतर है । राज नेताओं, अपराधियों और पुलिस का त्रिगुट आज राज्य कर रहा है । अपराध बढ़ रहे हैं । एक बात और कहना चाहूंगा । गृह राज्य मंत्री बैठे हुये हैं । हमारे जिले में एक घटना हुई "महादेवी हत्याकाण्ड" पिछले महीने 21 जनवरी की शाम किरावली में । भरतपुर से एक नौजवान अपनी 20 वर्षीय नव-विवाहिता पत्नी को लेकर आगरा जिले में किरावली में अपने किसी रिश्तेदार के यहां शादी में जा रहा था । रास्ते में पांच लोगों ने उनको आगे रास्ता बताया जिनमें दो पुलिस वर्दी में थे और उन पांच लोगों ने आगे आकर उस युवती के साथ बलात्कार करने की कोशिश की और उसके बाद बहादुर युवती ने, उस वीरांगना ने इस देश की उस बहादुर बेटी ने संघर्ष करते हुए अपने सतीत्व की रक्षा में अपनी जान दे दी । और वहां की पुलिस ने क्या किया ? थाने चौकी पर आराम से बैठे रहे । उनकी भूमिका संदिग्ध रही। बाद में उन पर क्या कार्यवाही हुई अपराधी भाग निकले। लेकिन अब सवा महीने के बाद भी उन अपराधियों में से केवल एक ही आदमी को पकड़ पाये हैं बाकी का कोई पता नहीं है । इसमें पुलिस और असरदार लोगों का इस्तेमाल

हो रहा है । ऐसे एक नहीं हजारों किस्से हैं । यह सरकार ढिंढोरा पीटती है कानून व्यवस्था अच्छी बनाने का।

मैं दो बातें और कहूंगा। सरकार ने एक निर्णय लिया था जिसके आधार पर जसवंत सिंह आयोग का गठन हुआ था हाईकोर्ट की बैंच स्थापित करने के लिये । उसने अपना निर्णय दे दिया लेकिन इस सरकार की रीढ़ की हड्डी कमजोर है उनके फैसले को यह लागू नहीं कर पाये हैं और राजनीतिक जंगलों में उसे लटकाये हुए हैं । अगर सरकार में दम होता तो उस फैसले को चाहे वह जो भी हो बेन्च स्थापित करनी चाहिये थी ताकि जनता को न्याय प्राप्त करने में आसानी रहती । आज हाईकोर्ट में हजारों लाखों मामले लटके पड़े हैं और इधर यह हाईकोर्ट की बेन्च का मामला भी लटका पड़ा है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री सत्य प्रकाश मिकल–

मान्यवर, प्रदेश की तरक्की के लिये जहां खेती जरूरी है वहीं उद्योग और व्यापार भी जरूरी है। लेकिन बार-बार कहने के बावजूद भी सेल्स टैक्स के अहम मसले को जिसकी बेतहाशा बढ़ी दरों के कारण हमारे प्रदेश के व्यापारी दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं । हमारे यहां सेल्स टैक्स की दरें दूसरे प्रदेशों से दुगनी और तिगुनी हैं । इस सेल्स टैक्स को हटा कर राजस्व की वैकल्पिक व्यवस्था करने की राज्यपाल महोदय ने कोई घोषणा नहीं की ।

स्थानीय निकायों के चुनाव लम्बे अर्से से नहीं हुए हैं जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया है उसके लिए भी राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट रूप से घोषणा नहीं की और न ही कोई कारण बताये । इन निकायों के चुनाव न होने के कारण नगरों का जीवन नारकीय हो गया है। इन शब्दों की साथ मैं इस सरकार की असफलताओं के बारे में जिक्र करते हुए अपने संशोधनों पर बल देता हूं और नेता विरोधी दल ने जो बातें कहीं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । श्रीमन्, जिस दिन महामहिम राज्यपाल महोदय का इस आदरणीय सदन में आगमन हुआ उस समय हमारे विपक्ष के सदस्यों का जो आचरण रहा जो उनके कृत्य रहे उसको अन्दर बैठे और बाहर बैठे हजारों लोगों ने देखा और अखबारों के माध्यम से जाना जो संसदीय परम्परा का सम्मान करने वाले लोग हैं उन्होंने विपक्षियों को इसके लिये कोसा है और निन्दा किया है और जो उन्होंने भावना व्यक्त की है उसको मैं एक शेर के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहता हूं । उन्होंने कहा—

आइने ने किसी की सूरत को अपनाना नहीं सीखा,
उसकी यही अकड़ उसे चकनाचूर करती है ।

ती मान्यवर, इनका भी यही हस्र है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने हमारे सामने मौजूदा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा जो रखी उससे प्रदेश की जनता को, जरूरतमंद जनता को यह अहसास हुआ कि उनको राहत मिल रही है। इस शताब्दी के भयंकरतम सूखे का सामना विभिन्न विकास योजनायें चलाकर राहत कार्यक्रम चलाकर और एन0 आर0 ई0 पी0, आर0 एल0 जी0 पी0 आदि के माध्यम से गरीबों को राहत पहुंचायी है इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री और उनके सहयोगी मंत्री बधाई के पात्र हैं।

श्रीमन्, यहां पर हरिजनों पर अत्याचार की बातें कही गई हैं उन पर अत्याचार बढ़ने का प्रचार कर हरिजनों को गुमराह करने की बात की जाती है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं और पांच प्रदेशों की स्थिति आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसमें वहां हरिजनों की जनसंख्या और अत्याचार की संख्या प्रतिशत में बतायी गयी है। गुजरात में हरिजनों की जनसंख्या 3.3 प्रतिशत है उन पर अत्याचार 4 प्रतिशत है, राजस्थान जहां हरिजनों की आबादी 5.15 प्रतिशत है वहां पर अत्याचार आदि 12 प्रतिशत है, बिहार जहां की जनसंख्या 10 प्रतिशत है वहां अपराधों की संख्या 13 प्रतिशत है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या 7 प्रतिशत है वहां अपराध 36 प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश जहां की संख्या 23.5 प्रतिशत है वहां अपराध 6 प्रतिशत से भी कम है। तो इसका कारण हमारी सरकार की प्रशासनिक कुशलता है। जिसके कारण उत्तर प्रदेश के हरिजनों पर अन्य प्रान्तों के मुकाबले अपराध कम हुए हैं। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री और उनके सहयोगियों को बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश के तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं।

श्रीमन्, सिंचाई के लिए इंडो नीदर लैंड के सहयोग से 750 नलकूप लगाने पर हमारी सरकार अग्रसर है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इन नलकूपों को उन इलाकों में लगाया जाये जहां सिंचाई के दूसरे साधन प्रभावकारी नहीं है। जैसे जहां लिफ्ट सिंचाई की योजना कार्यरत नहीं है और जो है भी अगर वह बिजली की कमी के कारण या तकनीकी या मशीन के खराब होने से पूरी क्षमता से नहीं चल पाती है वहां सिंचाई के लिए इनका उपयोग किया जाये। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के छियान्नबे विकास खण्ड जहां के किसान सिंचाई की मौजूदा सुविधा से त्रस्त हैं वहां मैं चाहता हूं कि 25 अतिरिक्त नलकूप लगाये जायं।

मान्यवर, सरकार ने हरिजनों के उत्थान और विकास के लिए प्रदेश की उच्च नौकरियों में स्थान दिलाने हेतु पूरे प्रदेश में पांच और पी0 सी0 एस0 प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है। इससे पढ़े लिखे हरिजनों को ऊपर के पदों में जाने का मौका मिलेगा। मान्यवर, आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं कि सरकार ने हमारी समस्याओं के समाधान हेतु गंभीरता से विचार किया है। इसी संबंध में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हरिजनों के मामले में, प्रोन्नति के मामले में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, मेरे जनपद मिर्जापुर में जिला परिषद्, नगरपालिका, कलेक्ट्रेट, तहसील आर0 ई0 एग0 और पी0 डब्लू0 डी0 में हरिजनों, पिछड़े वर्ग और विकलांगों

का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है । यही नहीं सरकार बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन बीच में कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जिससे व्यवधान पैदा हो जाता है श्रीमन् वर्षों से मिर्जापुर में भूमि आवंटन एवं कब्जा दिलाने का अभियान तेजी से नहीं हो रहा है और उसमें प्रगति नहीं हो पा रही है ।

मान्यवर, हमारे यहां वन विभाग की तरफ से उदासीनता बरती जा रही है । वहां नील गायों का आतंक तेजी के साथ फैल रहा है जिससे किसानों की फसल नष्ट हो रही है । इसलिये उसको दूर करने के लिये वन विभाग ध्यान दें ।

मान्यवर, मेरा एक यह भी सुझाव है कि सरकार न्यूनतम कार्य के मुताबिक जो संपर्क मार्ग बनवा रही है लेकिन जो आधार तय किया है वह 1971 की जनगणना का माना है जबकि 1981 की जनगणना का आधार मानकर गांवों को संपर्क मार्गों से जोड़ना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रिछपाल सिंह बंसल–

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, इस पार्टी की सरकार में जितना भ्रष्टाचार, अत्याचार, डकैती, अनाचार और दुराचार बढ़ा है उसकी मिसाल नहीं। मान्यवर, सूखे के नाम पर जो ढोंग रचा गया है दैनिक मजदूरी बढ़ाया है या नहीं लेकिन सूखा राहत कार्यों में दैनिक मजदूरी जरूर बढ़ा दी गयी है और फर्जी मस्टर रोल भरकर वह पैसा अधिकारियों और कांग्रेस के कार्य-कर्ताओं के जेबों में जा रहा है । मान्यवर, एन0 आर0 इ0 पी0 का पैसा और जिला योजना का पैसा काटकर सूखा राहत के नाम पर बरबाद किया जा रहा है । हमारे जनपद मेरठ में जिला योजना का 88 लाख रुपया काट दिया गया है और इसी तरह से सूखा राहत में, प्राइमरी स्कूलों के टाट-पट्टी का पैसा, भवनों का पैसा, अस्पतालों में दवाइयों का पैसा, डाक्टर अस्पतालों में नहीं है उनका पैसा राहत के नाम पर, बरबाद किया जा रहा है । मान्यवर, मेरठ में किसानों का धरना हुआ, उनका आन्दोलन हुआ किन्तु उनकी सरकार नहीं सुनेगी और उनपर लाठियों एवं गोलियों को चलवायेगी यह तरक्की सरकार कर रही है । इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद में नहर जमन पूर्वी में दो महीने से पानी नहीं आया है लेकिन हमारे साथी विधायक कहते हैं कि मुजफ्फरनगर में पानी आ रहा है । मेरठ में 6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दी जा रही है । जो खाद में छूट दे रहे हैं, उसमें यदि आंकड़े मगा लिए जाएं, उसकी जांच करा दी जाए तो 10 प्रतिशत किसानों को भी वास्तव में खाद पर छूट नहीं दी गई है, केवल कागज पर छूट देकर पैसा इनके अधिकारियों की जेब में जा रहा है । नसबन्दी के नाम पर जो मनमाना अन्धेर हो रहा है, उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, विकास खण्ड लोनी जनपद गाजियाबाद में, जो दिल्ली की सीमा पर है, वहां के लोगों को लालच देकर गलत ढंग से नसबन्दी कराई गई है । नसबन्दी वालों की अधिकृत एक नसबन्दी कालोनी ही वहां पर बसा दी गई है । इस तरह से इनके आंकड़े पूरे किये जा रहे हैं । गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने जनपद गाजियाबाद के एक गांव हसनपुर भोवापुर में बुलडोजर चलवाकर एक पुरानी आबादी

को धराशायी कर दिया है और उनको उनकी जमीन का रुपया नहीं दिया गया है। साथ ही जो 71 के पहले के मकान थे, गिरा दिये गये हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान उधर ले जाना चाहता हूं।

मान्यवर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये गये, किन्तु उनमें डाक्टर्स और दवाई नहीं है। प्रशिक्षण केन्द्र खोल रहे हैं डिप्लोमा के लिए और बाकी उनके रोजगार की लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। दिन प्रति दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से कोई भी औद्योगिक केन्द्र, कोई भी अस्पताल और कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी पर्यटक केन्द्र इन्होंने नहीं रखा है। पता नहीं क्या द्वेष इनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन पर, जो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर दिया गया है, बल देता हूं।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। मैं अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल का भाषण शुरू से अन्त तक सुनता रहा था। उन्होंने अपने भाषण में डेढ़ घंटे तक केवल सूखा पर ही भाषण किया और सरकार की, सरकार द्वारा राहत न पहुंचाने के लिए निन्दा की। मैं कहना चाहता हूं कि सूखे का ज्ञान पूर्ण रूप से नेता विरोधी दल को नहीं है। सूखा 1936 में बंगाल में पड़ा था। उस समय 35 करोड़ की आबादी पूरे देश में थी, जबकि पाकिस्तान, बंगलादेश और पूरा भारत एक था और उस एक साल के सूखा में केवल बंगाल में करीब 1 करोड़ लोगों की भूख से मृत्यु हो गई थी... (व्यवधान) मैं अपनी सरकार केवल...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

क्या माननीय सदस्य उसकी पुनरावृत्ति चाहते हैं?

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

मैं भारत सरकार और अपनी उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं कि सारे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में सूखा पड़ा हुआ था, देश के कई अन्य प्रदेशों में सूखा करीब 3 वर्षों से पड़ा हुआ है, लेकिन भारतवर्ष के इस सूखे का मुकाबला करते हुए एक भी व्यक्ति को भूख से मरने नहीं दिया गया। मान्यवर, सूखे का असर तात्कालिक है इस समय आप क्षेत्रों में जाकर के देख लें कि कितनी अच्छी रबी की फसल है और रबी की फसल जो इतनी अच्छी हुई है यह शासन की नीतियों की वजह से हुई है। किसान की मेहनत के कारण हुई है इसलिए हमारा शासन और मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, सूखा एक दैविक विपत्ति है। इसमें किसी सरकार को कोसना अच्छा नहीं है। दैवी विपत्ति का सामना सारे लोगों को मिलकर करना चाहिए। हमारे साथियों को हमारी अच्छी चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। हमारे साथियों को जो कहीं जाने-

अनजाने हमसे गलती हो जाती है वही दिखाई दे देती है। यह उसी को लेकर नाचते फिरते हैं। जनता के बीच में उसका ढिंढोरा पीटते हैं। श्रीमन् सूखे का मुकाबला हमने बहुत अच्छी तरह से किया है। और आगे भी हम करते रहेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, आपने कहा कि आगे भी हम सूखे का मुकाबला करते रहेंगे, तो क्या आप मना रहे हैं कि आगे भी सूखा पड़े ?

(हंसी)

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

मान्यवर, बनारस में सूखा पड़ा, गाजीपुर में सूखा पड़ा, लेकिन सरकार के लोगों ने अधिक व किसानों ने परिश्रम करके अच्छी फसल उगाई। हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी फसल हुई थी। सिंचाई विभाग और किसान की मेहनत से बहुत अच्छी फसल हुई थी, लेकिन हमारे दुर्भाग्य से कर्मनाशा नदी में बाढ़ आ गई और हमारा क्षेत्र तबाह हो गया, लेकिन मान्यवर मुझे प्रसन्नता है कि हमारे क्षेत्र में रबी की फसल जो लगी हुई है वह बहुत अच्छी है। यह कृषकों की हिमायत करते हैं और हमें बोलने नहीं दे रहे हैं . . . (शोर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य भाषण जारी रखें।

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, रामनाथ मुंशी जी को देखकर लग रहा है कि सूखा पड़ा है लेकिन इनको देखकर तो यह नहीं लग रहा है कि सूखा पड़ा है इनके तो इतनी मुटाई चढ़ी है।

(हंसी)

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में अनुरोध करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र की एक समस्या है। सौभाग्य से मान्यवर, हमारे क्षेत्र के बीचों-बीच गंगा नदी बहती है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह तो ठीक है लेकिन समस्या क्या है?

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वहां पर एक पीपे का पुल बनाकर इस पार से उस पार को जोड़ने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इनके संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन रखा गया है उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, अभी माननीय सदस्य बड़े जोरों से सरकार की तारीफ कर रहे थे और गाजीपुर के लिए कह रहे थे कि रबी की फसल अच्छी हुई है और सूखे में हैण्ड पाइप की मांग कर रहे

थे और पीपे का पुल मांग रहे थे। जब यह स्वयं ही सारे कार्य कर रहे हैं तो यह मांग किससे कर रहे थे ? मान्यवर, 14 तारीख को ओला पड़ा । उसके बाद राजीव गांधी आए, रैली में राजीव गांधी ने भाषण दिया, किसानों के बारे में उन्होंने कहा लेकिन ओलावृष्टि के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही।

मान्यवर, मैं माननीय सदन और माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं और उनका ध्यान लखनऊ के गांव ग्वारी पुरवा, नबाब पुरवा, कठिंगरा बेलवा, काकोरी और तहसील मलिहाबाद में मलिहाबाद की तरफ ले जाना चाहता हूं, मलिहाबाद जहां का दशहरी आम विदेशों में जाता है, इन गांवों में और मलिहाबाद में भीषण ओलावृष्टि हुयी है जिससे सारी आम की फसल नष्ट हो गयी है। रबी की फसल में गेहूं और सरसों जमीन में बिछ गयी है। 2 महीने बाद किसान के सामने भुखमरी की समस्या खड़ी हो जायगी। मैं कहना चाहता हूं कि आज लखनऊ में बिल्कुल अशान्ति पैदा हो गयी है सारे छात्र आन्दोलित हैं । 17 डिग्री कालेजों जिनमें लड़के-लड़कियां पढ़ते हैं बंद हैं। छात्र जेलों में बंद हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय को आवासीय घोषित किया गया है और लखनऊ के डिग्री कालेजों को अवध विश्वविद्यालय से जोड़ दिया गया । लड़के-लड़कियां अपने कालेजों में काली पट्टी बांध कर जा रहे हैं । रोज प्रदर्शन हो रहे हैं और रोज आंदोलन हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं और राज्य शिक्षा मंत्री जी उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं यहां मौजूद हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली और कानपुर में दो-दो विश्वविद्यालय हैं उसी प्रकार से यह जो 19 डिग्री कालेज हैं इनको मिलाकर एक अलग से विश्वविद्यालय और बनायें। इसको अभिभाषण में शामिल नहीं किया गया है इसको शामिल किया जाय। मान्यवर, सूखा राहत के नाम पर मुख्य मंत्री जी का पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि 75 लाख रुपये पी0 डब्लू0 डी0 को दिये गये हैं लेकिन जब पी0 डब्लू0 डी0 के अधिकारियों से पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि हमको रुपया नहीं मिला है। स्थिति यह है कि जो जिला मुख्य मार्ग हैं उनकी पटरी चौड़ी पक्की करने के नाम पर पैसा खाया जा रहा है और क्षेत्रीय मार्ग अधूरे पड़े हैं उनकी पटरियां नहीं हैं आदमी चल नहीं सकता है। मैं चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देशित करें कि पटरियां बनवायी जायं और जिला मार्गों के अलावा क्षेत्रीय मार्गों को सही ढंग से बनाया जाय ।

सूखे के कारण इस वक्त पानी का जो स्ट्रेटा है वह नीचे चला गया है और लखनऊ जनपद के प्रत्येक गांवों में आबादी का हिसाब लगाकर कम से कम 10 इंडिया मार्क–2 हैंड पाइप लगाये जिससे पेयजल की सुविधा ग्रामीण जनता को मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री जी मौजूद हैं, अमेठी और जगदीशपुर में जो संस्थान लगाये जा रहे हैं उसमें वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान खोला गया है, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला भी था और स्वास्थ्य मंत्री जी ने आदेश भी दिया था परन्तु आज तक स्थानीय लोगों को वहां पर नौकरी नहीं दी जा रही है जबकि उनकी जमीनें ले ली गयी हैं। मैं चाहूंगा कि जिन लोगों की जमीनें पी0 जी0 आई0 में अधिगृहीत की गयी हैं उनको 1700 रुपये 1200 रुपये बीघे के हिसाब से मुआवजा दिया गया है और उनकी रोजी रोटी

का सहारा छीन लिया गया है और उनको नौकरी भी नहीं मिली है। तो उन लोगों को रोजगार दिलवाया जाय और स्थानीय होने के कारण उनको नौकरी में वरीयता दी जाय। मैं इसी संबंध में आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरण की बात कहना चाहता हूं। इनके द्वारा जो किसानों की जमीनें ली जाती हैं उनका मुआवजा बहुत कम दिया जाता है। लखनऊ में किसानों की जमीनों का 5-9-17 पैसे मुआवजा लगाया गया और अभी दिया नहीं गया है जबकि कब्जा लेना शुरू कर दिया है। इसी तरह से औरंगाबाद और बंगला बाजार में 1.40 रु0 1.75 रु0 प्रति फुट के हिसाब से जमीन एक्वायर की गयी है और उसको 350 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बेचकर तिजारत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जिस बाजार भाव से स्टैम्प ड्यूटी ली जाती है उस हिसाब से मुआवजा देना चाहिए परन्तु 5 पैसे 9 पैसे 1.75 रु0 1.40 रु0 के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इनसे मुआवजा बाजार भाव की दर पर दिलाया जाय और साथ ही आज ही घोषणा इस बारे में की जाय, तब उसके बाद पजेशन लिया जाय, वरना किसान आन्दोलित होगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। मैं अपने क्षेत्र की नहरों के संबंध में कहना चाहता हूं। मेरा पूरा क्षेत्र नहरों की टेल पर है, उन टेलों को समाप्त कर विश्व बैंक की योजना से नलकूपों का कलस्टर लगाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री वसन्त सिंह गहलौत–

मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, किसानों के बारे में सदन में बहुत चर्चा होती रहती है। यह सरकार किसानों के हितों के लिए सदैव सचेष्ट रही है और कांग्रेस आरम्भ से किसानों के हितों को लेकर ही चलती रही है। मैंने वह समय देखा है, जब जमींदार किसान से नाराज होता था और रात में ही कहता था कि सुबह घर खाली कर दो, उस समय उसके पास भारत में एक इंच भूमि भी नहीं होती थी। सबसे पहले कांग्रेस का ध्यान इस ओर गया, जमींदारी अबालूशन एक्ट पास हुआ और किसान अपनी जमीन का मालिक बना। यह सबसे बड़ा काम कांग्रेस ने किया। उसके बाद जरूरत इस बात की हुई कि खेती में प्रगति कैसे की जाय, उसके लिए हमने सिंचाई के साधनों का विकास किया, नहरों के माध्यम से, डिग्सि के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से, मैं आंकड़ों को प्रस्तुत करके सदन का समय नहीं बरबाद करना चाहता हूं। इसका केवल एक प्रमाण है कि आप जब लखनऊ से इलाहाबाद की तरफ जाते थे, तो बारिस होने पर भी इस मौसम में फसलें नहीं दिखाई पड़ती थीं, केवल अरहर की फसल दिखाई पड़ती थी। हमें अभी उधर जाने का मौका मिला, और हमने देखा कि फसल लहलहा रही है। मैं पहले जब बिजनौर से चलता था और रास्ते में देखता था, तो ऐसा लगता था कि मानो भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन अब आप किसी भी तरफ निकलिये, आपको लहलहाती हुई फसल दिखाई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देगी। मैंने पूर्वी जनपदों एवं पश्चिमी जनपदों को भी देखा कि चारों तरफ फसलें लहलहा रही हैं। आंकड़ों से और व्यवहारिक रूप से, दोनों प्रकार से यह सिद्ध किया जा सकता है कि हमारी सरकार सिंचाई के लिए प्रयत्नशील है और बराबर आगे बढ़ रही है। अब मैं सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं। आप किसी भी प्रान्त को ले लीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कें आपको कम नहीं मिलेंगी, बल्कि अन्य प्रान्त से उत्तर प्रदेश में सड़कें अधिक मिलेंगी। मान्यवर, बार-बार यह कहा जाता है कि सूखा-राहत के काम नहीं किये गये। यह बात वही लोग कहते हैं, जिनको जानकारी कम है। मान्यवर, हमने सूखा-राहत में ग्रामीण मजदूरों को काम दिया, कच्ची सड़कें बनवाई गयीं, और इतनी सड़कें बनाई गयीं कि लोग आश्चर्य में है कि इतनी सड़कें कैसे बन गयीं। हमने कुओं की मरम्मत का काम किया, तालाबों और नहरों की सफाई का भी काम किया।

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहूंगा कि सदन की गरिमा को कायम रखने के लिए मेरी बात को सुनें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ लोग यह चाहते थे कि कुछ राशि बांट दी जाय, लेकिन हमने वह काम किया जो कि आगे के लिए भी ठीक तरीके से चल सके। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि बिजली की समस्याओं को हम किस तरीके से ले रहे हैं जबकि पानी नहीं है, तब भी हम बराबर बिजली दे रहे हैं। अगर यह सूखा निरन्तर चलता रहा, तो फिर आगे क्या स्थिति होगी। मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो समस्याएं आती हैं वह सरकार की ही कमी नहीं होती है विपक्ष की भी कमी होती है। विपक्ष की कमी केवल अवरोध पैदा करना नहीं है। हम भी देश हित का काम करना चाहते हैं और आप भी देश हित करना चाहते हैं, हम दोनों की यह जिम्मेदारी है। विपक्ष को चाहिए कि सरकार की जो नीतिगत कमियां है उसको बताये लेकिन चूंकि विपक्ष के पास कोई प्रोग्राम नहीं है इसलिए वह एक्जीक्यूशन की कुछ कमियां निकालते रहते हैं। और उसी पर चर्चा करते रहते हैं। उसके लिए सामाजिक परिवेश जिम्मेदार है। विपक्षी दल को चाहिए कि लोकतंत्रीय आचरण को समझे और उसको व्यवहार में लाये। नेता विरोधी दल ने कहा था कि जापान में बड़ी प्रगति हुई है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जापान में हड़ताल नहीं होती, तालाबन्दी नहीं होती। जब वहां हड़ताल होती है तो वह लोग ज्यादा काम करते हैं इतना कामरोको वहां नहीं आता है। क्या आप यह नहीं जानते कि आप जो करते हैं इससे कितना समय सदन का व्यर्थ की बातों में बरबाद होता है। मुझे तब खुशी होती जब नेता विरोधी दल कुछ वास्तविक कमियां निकालते तो हम उन्हें मानते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमें सदन की गरिमा बनाये रखने के लिए लोकतांत्रिक आचरण करना चाहिए। शिक्षा के विषय में नेता विरोधी दल ने चर्चा की थी मैं उन्हें बतलाना चाहूंगा कि बड़े आदमियों के लिए पब्लिक स्कूल होते थे प्रतिभावन छोटे लोगों के बच्चे उसमें नहीं जा सकते थे इसलिए हम उनके लिए जिले जिले में नवोदय विद्यालय खोल रहे हैं।

इस देश की असल समया बढ़ती हुई आबादी है जो पहले 33 करोड़ थी अब 88 करोड़ हो गयी है इसको रोकने के कार्य में विपक्षी दल को भी सहयोग करना

चाहिए। दूसरी समस्या है कामचोरी और बढ़ती हुई उत्तरदायित्वहीनता जिसे हम सबको दूर करना है। हम ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं जिसमें विपक्षी हड़ताल

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

करवाते हैं, रास्ता रोको आन्दोलन चलाते हैं यह सरकार है जो ऐसे वातावरण में भी कुशलतापूर्वक काम कर रही है। इतना सूखा होने के बावजूद भी खेती हरी भरी है और कोई भूखों नहीं मर रहा है। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कृषि के क्षेत्र में यह नहीं कहा कि इस वर्ष भयंकरतम सूखा पड़ा और पानी के अभाव में पूरे प्रदेश की खेती प्रभावित हुई है। वहीं किसानों को अच्छे बीज का न मिलना, अच्छी खाद का न मिलना, कीटनाशक दवाइयों का समय पर न मिलना तथा उनको कृषि उपज का लाभकारी मूल्य न मिलने की बात, माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहीं भी नहीं कही। मान्यवर, पिछले वर्ष हमने जनपद से, जो खाद और बीज का वितरण का पैकेट था, वह जांच हेतु भिजवाया था, क्योंकि उसका अंकुरण ठीक से नहीं हुआ था, फिर भी इस बार वही बीज उपलब्ध कराया गया। मान्यवर, सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं कि नहरों को समय से पानी नहीं मिलता है। इस वर्ष हमारे ललितपुर के सजनम डैम जिनके डूब क्षेत्र के लिए बनाया था, उससे भी अधिक ऐसा डूब क्षेत्र आया कि वहां का किसान अपनी खेती छोड़ने पर मजबूर हो गया। मैंने वहां पर किसानों को मुआवजे न दिये जाने की बात जिलाधिकारी से की थी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों के विरुद्ध रिपोर्ट भी लिखाई किसान के खेत के खेत चले गये लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला।

मान्यवर, ललितपुर जनपद एक ऐसा जनपद है जहां सिर्फ एक राजकीय नलकूप लगा है। मान्यवर, वहां से सर्वेक्षण के बाद 10 नलकूपों के लिए प्रस्ताव आया है किन्तु आज तक उस जनपद में एक भी नलकूप नहीं लगा और सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हो पाए। लघु सिंचाई की बोरिंग के लिए वहां के हजारों किसानों ने पैसा भरा है, लेकिन आज तक किसी भी स्थान पर बोरिंग नहीं हुई। मान्यवर, नदियों के किनारे विद्युत लाइन, जैसे मध्य प्रदेश में नदी के किनारे पर लगी हुई है, लेकिन हमारे यहां नदी के किनारे पर लाइन नहीं है। कई बार मैंने प्रश्नों के माध्यम से इस बात को उठाया, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। जिस प्रकार से वहां की नदियों के पानी का प्रयोग मध्य प्रदेश वाले कर लेते हैं, हमको करने को नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की कोई योजना हमारे जनपद में इस सरकार ने नहीं रखी। मान्यवर, बेरोजगारी के लिए एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अक्टूबर, 86 में कहते हैं कि मजदूरी के मानव दिवस सृजित किए गए थे, लेकिन अक्टूबर, 86 तक काम के बदले खाद्यान्न योजना का पैसा उन मजदूरों को आज तक नहीं दिया गया। ग्रामीण योजना वालों ने बाद में मेरे कहने पर अक्टूबर, 87 में पैसा दिया। उन्हें बाजार से दूने भाव पर अन्न खरीदना पड़ रहा है। मान्यवर, बेरोजगारी की

समस्या पूरे प्रदेश में भयंकर रूप से बढ़ती जा रही है । प्रत्येक छात्र अपने भविष्य के लिए अनिश्चित है । मान्यवर, स्वास्थ्य के संबंध में कहना चाहूंगा, मा0 स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि 20 किलोमीटर से ज्यादा किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ के लिए या स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आज भी हमारे जनपद के कई स्थानों पर 40-50 किलोमीटर जाना पड़ता है और वहां जाकर दवा के अभाव में मरीज अपना दम तोड़ देता है । मान्यवर, सड़कों और पुलों के बारे में हमारे यहां मध्य प्रदेश लगा हुआ है । हमारे यहां सड़कों की स्थिति तो इतनी खराब है कि कल्पना नहीं कर सकते । मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली प्रत्येक नदी पार कोई पुल नहीं बनाया गया है और नावों से पार करना पड़ता है । राज्य परिवहन निगम की बसें भी ललितपुर में नहीं हैं । हमें जो बसों में यात्रा का कार्ड दिया गया है, वह हमारे किसी उपयोग का नहीं है । मान्यवर, विद्युत के संबंध में अभी भी केवल एक कनेक्शन किसी हरिजन बस्ती में लगा देते हैं तो सम्पूर्ण गांव में विद्युतीकरण मान लिया जाता है । किसी भी गांव में सम्पूर्ण विद्युतीकरण नहीं हुआ है । इसी प्रकार हमारे यहां एक अनुमोदित विद्यालय है, बच्चों का, सत्ता पक्ष के एक सदस्य कह रहे थे कि भूख से एक भी छात्र नहीं मरा । इस विद्यालय में दिसम्बर में एक छात्र की मृत्यु हो गयी थी, इसके परीक्षण में डाक्टरों ने परीक्षण करके बताया कि वह छात्र भूख और ठण्ड से मर गया । तो उस विद्यालय में, जो स्वयं सरकार चलाती है, यह स्थिति है । मान्यवर, वनों में अन्धाधुन्ध अवैध कटान हो रही है । हमारे जनपद में एक प्रसिद्ध ठेकेदार है जो वनों की अंधाधुंध कटान कर रहा है । ललितपुर जनपद के कांग्रेस के मा0 सदस्य स्वयं इससे अवगत हैं, मा0 मंत्री जी जो झांसी के हैं, वे भी उससे अवगत हैं, फिर भी कटान हो रही है । ललितपुर जनपद एक उद्योग शून्य जनपद है । वहां पर फास्फेट का कारखाना लगाया जाना चाहिए । वहां पर बोरोफालइट मिला है, उसका भी कारखाना नहीं लगाया गया है । मान्यवर, आज नगरों की स्थिति आप देख लें । नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हो रहे हैं । नगरों में आप चले जायं । जब कोई वहां मंत्री जी जाते हैं तो नगर की प्रमुख सड़कें चमचमाती मिलेंगी, लेकिन उनके अन्दर जाकर देखें तो गलियों में घरों के सामने कूड़ेदान बने हुए हैं । एक इंच भी चलने को जगह नहीं मिलती है । इसी तरह से पर्यटन के क्षेत्र में ललितपुर जनपद प्रदेश में स्थान रखता है । पर पर्यटन की सुविधा नहीं है, यहां पर पर्यटन मंत्री जी नहीं हैं नहीं तो कुछ सुझाव मैं उनके सम्मुख रखता ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आभारी हूं । मेरे इस संशोधन को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जोड़ लिया जाय ।

*श्री राम भजन लाल–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। आपने मुझे एक ऐसे विषय पर बोलने का मौका दिया है, मैं खुद एक तरह से देहात का रहने वाला हूं और काश्त भी करता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"हाल दरमादगां कसै दानत कि बाहेवाल खैश दरमानद,
आंकी दर रहा तो तनुउम जीस्व आंचेदानद के हाल गुरुसना चीस्ट
जुसाआंकसानदानम निकोखामन कि रोशन कुनदबरमन आहु ऐ मान ।"

मैं यह कहना चाहता हूं सामने बैठे साथियों से कि वह गरीबों की हालत क्या जानें । गरीबों की हालत तो वही जाने, जिसने गरीबी देखी हो । किसानों की बात हमारे सामने बैठे साथी कह रहे थे, किसानों का हाल तो जानने वाले हम लोग हैं, हम लोग देहात के रहने वाले हैं और खुद खेती भी करते हैं । जो आराम से और मौज से रहते हैं वह क्या जाने कि भुखमरी से ग्रस्त लोगों का क्या हाल होता है ।

मान्यवर, मेरी 83 साल की अवस्था है, मैं चौथी बार एम0एल0ए0 हूं । शायद सबसे ज्यादा उम्र का इस सदन में मैं ही हूं । शायद मुझसे ज्यादा यहां किसी की उम्र नहीं है ।

श्री लक्ष्मी नारायण–

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आइये । उस पर बोलें ।

श्री राम भजन लाल–

मान्यवर, अब जो सदन में स्थिति होती है, जिस तरह से विपक्ष के साथी बीच में व्यवधान डालते हैं, उससे दुख होता है । आप खामोशी से सुनिए । हम लोग भी आपकी बात धैर्य से सुनते हैं । हम लोग तो आपसे तंग हैं । आप न सही को सही कहते हैं और न किसी गलत बात को गलत कहते हैं । आपकी यह आदत सी पड़ गयी है, शौक सा हो गया है, बीच में व्यवधान डालने का । आप मुझे सुनिए । अगर कहीं कोई गलत बात कहूं, तो फिर रोकिए ।

मान्यवर, मैंने वह जमाना देखा है जिस जमाने में गरीबी हमारे देश में भयंकर रूप से थी । गरीबी का यह तांडव था, देहात के रहने वाले काश्तकारों के शरीर पर कपड़े नहीं होते थे । जाड़े के दिनों में तो गरीब काश्तकार, जहां गन्ने की भट्ठियां होती थीं उन भट्ठियों के सामने 8-8 आदमी जाकर लेटते थे और इस तरह से जाड़ों की रातों को गुजारते थे । ड़ुकड़ी, मकवा, काकुन, सामा आदि ऐसी फसलें लेते थे, जो जल्दी पक जायं और खाने को मिले । और उन सब चीजों से बहुत सी बीमारियां भी उनमें पैदा होती थी । आज के लोग तो इन अनाजों का नाम भी नहीं जानते होंगे । इस तरह की चीज मैंने देखी है । आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उस समय वह हालात थे कि इतनी गरीबी थी कि अगर कोई किसान बीमार हो गया तो वह ही नहीं बीमार होता था, पूरा का पूरा परिवार बीमार हो जाता था । उस समय ताउन, मलेरिया, हैजा और चेचक से लोग ज्यादा प्रभावित होते थे, इन बीमारियों से गरीबी के कारण और समुचित साधन न होने के कारण, ज्यादा ग्रसित रहते थे । ठीक पीने का पानी नहीं मिलता था और लोग मलेरिया से ग्रस्त हो जाते थे । इस चालीस साल की अवस्था में हमने यह भी देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेन्ट थी, हमारे देश में बंगाल में 6 महीने ऐसा अकाल पड़ा था कि हमारे सामने की बात है कि 30 लाख लोग बंगाल में भूख से तड़प-तड़प कर मर गए ।

मैं उस समय की वास्तविकता बता रहा हूं । आज की हालात में आप बताइए कि कहां पर कितने लोग भूख से मरे हैं ? हमारी गवर्नमेन्ट सबसे ज्यादा गरीबों का ख्याल रख रही है, गरीबों पर सबसे ज्यादा पैसा बहा रही है, उनको गरीबी से ऊपर उठाने के लिए । हमारी सरकार ने गरीबों के लिए जो काम किए हैं, वह एक मिसाल है, उदाहरण है । जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय 35 करोड़ की आबादी थी । बाहर से गल्ला आता था, तमाम परेशानियां होती थीं । क्या इन चीजों को आप लोग इंकार कर सकते हैं ? आज देश की आबादी 80 करोड़ के लगभग है, लेकिन आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अनाज के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं हमारे यहां अनाज का पूरा का पूरा स्टाक है (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) आपको मालूम होना चाहिए कि आज हम गल्ले के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर ही नहीं हैं, बल्कि कई जगह अनाज भी भेजते हैं । हमारे स्टाक में इतना गल्ला रहा कि तीन चार साल पहले भी सूखा पड़ा था, लेकिन गल्ले के होने की वजह से कहीं कोई असर नहीं पड़ा । अब भी यही रहा । मान्यवर, बाहर से जो लोग आते हैं राजनयिक आते हैं, वह यह कहते हैं कि भारत ने इन चालीस के अन्दर जितनी तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की कोई देश नहीं कर सकता है ।

हमारी सरकार एक नम्र सरकार है । हमारी सरकार गरीबों का बहुत ख्याल रखती है, इन गरीबों के लिए, उनको उठाने के लिए तमाम स्कीमें चलायी गयीं, चलायी जा रही हैं ।

मान्यवर, आज सातवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है और देश में इतनी तरक्की हुई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर यहां पर डिक्टेटरशिप होती, तो आप लोगों की जो इतनी जुबानें खुली हुई हैं, वह न खुली होती । हमें फक्र है कि आज खेती और विज्ञान, टेक्नालॉजी के क्षेत्र में हमने क्रान्ति ला दी है और उसमें आंकड़े देने की कोई जरूरत नहीं है, वह सभी जानते हैं कि आज हमारा देश दुनिया का पांचवां विकासशील देश बन गया है। जहां तक उद्योग-धन्धों का प्रश्न है, उसमें भी हम किसी से पीछे नहीं हैं । हमें अभी बहुत काम करना है और हम यह मानते हैं कि देश में भ्रष्टाचार है। । लेकिन हम यथार्थवादी हैं और झूठ नहीं बोलते हैं। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट में सुधार की जरूरत है और सुधार होना चाहिए । लेकिन अगर आप विपक्षी लोग सही तरीके से चलेंगे, सही रास्ते पर आयेंगे तो हम उनका स्वागत करें । हम इस तरह के लोग नहीं हैं। हम यह भी कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार हर समय किसी तरह से हावी नहीं रहना चाहती, लेकिन जिस तरह से आप लोग हटाना चाहते हैं, उन तरीकों से हटने वाला भी नहीं है। दो साल का अरसा आ रहा है और आपके लिये मौका खुला हुआ है लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने पिछले दिनों रैली और आन्दोलन किये हैं, उससे आप किसानों को, जनता को गुमराह कर रहे हैं और हमारी तरक्की में रोड़े अटका रहे हैं, इस बात को जनता अब समझ चुकी है अगर सूरज की रोशनी चमगादड़ को पसन्द नहीं आती है तो उसमें सूरज का क्या दोष है—

"गरन नबीनद बरोज सपरा चश्म चश्माये आफ्ताबरा चेगुना"

मान्यवर, इनको एक मौका मिला था और केवल इनकी हुकूमत ढाई साल चली थी और उस समय गन्ने की क्या हालत हुई थी और चीजों की क्या हालत थी, यह किसी से आज छिपा नहीं है।

*श्री लक्ष्मी नारायण–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हमारे एक सम्मानित सरकारी गवाह ने पेश किया और कुछ माननीय सदस्यों ने उसका समर्थन भी किया । मैं उसका विरोध प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने यहां धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया, उन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले एक लाइन कही कि उत्तर प्रदेश में मौजूद बड़े पैसे वाले किसान छोटे किसानों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने, जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे, उस समय कहा था कि मैं छोटा किसान हूं और मेरे पास केवल 35 बीघे जमीन है। लेकिन मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री का लड़का आज दून स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन जो मेरठ के 5 लाख किसान हैं, क्या उनमें से भी किसी का लड़का दून स्कूल में पढ़ रहा है ? मान्यवर, उन्होंने यह बात गलत की । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मथुरा और आगरा जो दोनों खारी जिले हैं, उसमें गंगा कैनाल के माध्यम से अपर गंगा कैनाल को पानी दिए जाने की बात कह रहा हूं। आज मुख्य मंत्री जी ने केवल सूखे के नाम पर एक काम किया है। वह आज से 6 महीने पहले ही हटने वाले थे, सूखे के नाम पर जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, विधायक हैं, वह सूखा राहत के नाम पर फंड इकट्ठा कर रहे हैं। जो पार्टी छोड़कर जा रहे थे, वह अब रुक गये हैं और किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। यह भी मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अपने भाषण में जो पिछले एक साल पहले जसवंत सिंह आयोग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में हाईकोर्ट की बेन्च खोलने की बात की थी, उसको भी यह सरकार स्थान चयन के लिए झंझट खड़े करके टाल रही है, जिसकी वजह से वह आज खंडपीठ स्थापित नहीं हो पाई है। यह सरकार कहती है कि हम बेरोजगारों को काम दे रहे हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस सरकार ने ही चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणियों के भरती पर रोक लगा रखी है, तो यह कैसे लोगों को रोजगार दे रहे हैं ? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने अनइम्प्लायमेंट के सम्बन्ध में कोई ऐसी नीति नहीं बनाई जिससे छात्रों को कोई राहत मिल सके । अन्त में मैं एक बात और कहूंगा कि मथुरा जिले में छाता क्षेत्र की इतनी उपजाऊ जमीन को इस सरकार ने फैक्ट्रियों लिए एक्वायर कर लिया । लेकिन जितनी भी फैक्ट्रियां इस क्षेत्र में लगी हैं, वहां के लोगों को वायदे के बावजूद भी कोई रोजगार उनमें नहीं दिया गया और अन्त में मैं नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अवधेश राय शास्त्री–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो आपने मुझे मौका दिया, उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर जिन बातों का उल्लेख यहां पर किया गया, मेरी समझ से समाज के हर वर्ग की समस्याओं का उन्होंने उल्लेख किया है। मरने से लेकर जीने तक। मैं तो एक नवनिर्वाचित विधायक होकर यहां आया हूं लेकिन हम लोग यह समझा करते थे कि इस जनता की बड़ी पंचायत में हमारे आदर्श नागरिक पहुंचते हैं लेकिन विपक्ष के सम्मानित सदस्यों की जो करतूतियां हैं, उनसे यह परिलक्षित होता है कि वे बड़े ही अशोभनीय हैं। समाज के लोगों के जो अगुवा बनकर यहां आ रहे हैं, वह मेरी समझ में इस समाज के लिये कोढ़ माने जायेंगे। साथ ही साथ सैकड़ों वर्ष के बाद इस प्रदेश में जो भयंकर सूखा पड़ा है, उससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने हर सम्भव प्रयास किया है. . . .

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, यह जो बोल रहे हैं इनके बाबा ने सरकारी खजाना लूटा था और रेलवे गाड़ी का माल भी लूटा था, जो यह सरकार की बड़ी बड़ाई कर रहे हैं।

श्री अवधेश राय शास्त्री–

मान्यवर, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि माननीय श्री गौरी शंकर भइया जैसे लायक माननीय सदस्य ऐसी बात कह रहे हैं। जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के हाथ में था और वे लोग देश की आजादी के लिए लड़े तथा सीने पर गोली खायी, यह एक मिसाल है। परन्तु गौरी शंकर भइया खजाना लूटने की बात करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इस समय निर्बल वर्ग, हरिजन वर्ग तथा गरीब वर्ग के लोगों को काम दिये हैं और आज हम सब लोग खुश हैं। इस तरह से सिंचाई के विषय में हमारी सरकार इण्डो नीदरलैन्ड योजना के तहत 750 नलकूप लगाकर सिंचाई की समस्या को हल कर रही है। साथ ही साथ खरीफ की फसल का जो लक्ष्य था 116 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करने का, उस लक्ष्य का हम केवल 82 लाख मीट्रिक टन उत्पादन कर पाये। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में 1985-86 में हम प्रथम स्थान पर आये और 1986-87 में भी प्रथम स्थान पर रहे। स्वास्थ्य की तरफ भी हमारी सरकार ने ध्यान दिया है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस साल भयंकर सूखा पड़ा और बाढ़ आयी जिससे मेरे क्षेत्र के 30–35 गांव प्रभावित हो गये, फलस्वरूप हरिजनों, निर्बल लोगों तथा गरीब लोगों के मकान ध्वस्त हो गये हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी उन वर्गों के लिए मकान बना दें, बड़ी कृपा होगी।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। प्रस्ताव के समर्थन में बोलने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं उसके बाद मैं संशोधन के प्रस्ताव पर बोलूंगा। जनरल अयूब ने देश के नेताओं की फिल्म बनायी, जिन्होंने

अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, तो जिस दिन वह फिल्म दिखाई जानी थी तो जनरल अयूब अपना भेष बदल कर सिनेमा हाल में पहुंचे और एक जगह चुप-चाप बैठ गये । जब फिल्म में पर्दे पर बदल-बदल कर नेताओं के फोटो आने लगे तो किसी के उसमें तालियां बजती थी और किसी के उसमें नारे लगते थे, लेकिन जब अयूब साहब का चित्र आया तो जोरदार तालियां बजीं, किन्तु दुर्भाग्य से कहिये या सौभाग्य से कहिये वहां एक स्वाभिमानी आदमी भी बैठा हुआ था, उसने तालियां नहीं बजाईं, बराबर में जो दूसरा दर्शक बैठा हुआ था, उसने उसे कोहनी मारी और कहा ताली बजाओ वरना यदि अयूब के लोगों ने तुम्हें देख लिया तो कल सवेरे तुम्हारी बहुत बुरी दशा हो जायेगी । यही हालत हमारे माननीय सदस्यों की है, जो सामने बैठे हैं। यहां से उठकर जब बाहर बात करते हैं तो कहते हैं भ्रष्टाचार है, परेशान हैं, लेकिन यहां आकर माननीय वीर बहादुर की सरकार की तारीफ ही करनी होगी, नहीं तो उनकी दुर्दशा कर दी जायेगी । इस मनोदशा को बदलना होगा । इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय रिछारिया साहब से भी कहना चाहता हूं कि आप भी अपना मन बदलिये और देश की जो हालत है उस पर निगाह डालिये उस पर चर्चा कीजिए, तभी कुछ हो सकता है ।

सूखे की बात कही गयी, किसानों के लिये सूखा राहत की बात कही गयी है, जिसके लिए जाहिदी साहब ने एक घंटे की जय जयकार की नाटकबाजी की। सरकारी पक्ष के लोगों को चुनौती देना चाहता हूं कि सूखा राहत में सामान्य किसान को कोई राहत नहीं मिली है। अगर मिली हो तो मैं साथ चलने के लिए तैयार हूं, आप चलकर दिखा दें। मैं मैनपुरी जनपद से आता हूं, वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है । हमारे यहां के 5 विकास खण्डों—करहल, बरनाहल, अरांव, मदनपुर और खैरगढ़ में कुएं पूरे के पूरे सूख गये हैं, किसी में पानी नहीं है। आज की तारीख तक लगभग 300 गांवों में हैण्डपम्प नहीं हैं न टैंकर से पानी की व्यवस्था की गयी है। वहां के निवासी दूर-दराज के इलाकों से बाल्टियों से, घड़ों, लोटों से अपने घरों के लिए पानी ढोते हैं । जो पशु पुराने थे, उनको किसानों ने हमारे यहां छोड़ दिया है, क्योंकि उनके लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे सामने बैठे हुए साथी कहते हैं कि सरकार ने बड़ी सूखा राहत दी है । जब आप किसान के लिए पानी का इन्तजाम नहीं कर सकते, तो क्या सूखा राहत दी है? यह तो मैं मानता हूं कि आपकी कोठी के आगे फव्वारा चलता है, वह तो बन्द नहीं हो सकता, लेकिन उस किसान के लिए जिसके लिए हैण्डपम्प लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा, आज भी लगभग 300 गांव ऐसे हैं जहां पीने के लिए पानी नहीं है।

पशुओं के चारे की बात करना चाहता हूं। पशुधन विकास की बात कही गयी है। हमारे यहां ब्लाक मदनपुर में उरावर मौजा है, उसमें 32 पशु भूख से मर गये क्योंकि चारे की व्यवस्था किसानों के पास नहीं थी । कृषि मंत्री ने एलान किया था कि सूखा है, जो किसान अगैती आलू बोयेंगे उनकी खाद में राहत दी जायगी, अनुदान दिया जायगा । हमारे कृषि मंत्री की बात पर किसानों ने भरोसा किया और यह जानकर किया कि कृषि मंत्री हैं तो किसानों के हितैषी होंगे।

किसानों ने अगैती आलू बोया । हमारे यहां 15 लाख रुपया भेजा गया । वह 15 लाख रु0 पूरा का पूरा हमारे अधिकारियों ने और हार्टीकल्चर इन्सपेक्टर ने मिलकर निकाल लिया, एक पैसा भी मैनपुरी जनपद में किसी किसान को खाद का अनुदान नहीं मिला। मैंने एक बिन्दु उठाया था जिस पर कृषि मंत्री ने कहा था कि कार्य-वाही होगी लेकिन शर्म से सर झुक जाता है । जब उस इन्सपेक्टर से मैंने और हमारे साथी जगमोहन सिंह जी ने कहा तो उसने अकड़कर यह कहा कि 50,000 रु0 देकर ट्रांसफर करा लूंगा और उसने अपना ट्रांसफर लखनऊ में करा लिया यह कृषि मंत्री जी का वायदा है।

जहां तक राहत का सवाल है मैनपुरी जनपद के लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। राहत कार्य में सड़कें जो बनायी गयी हैं, उसकी जांच हुई। जो टीम गयी थी जांच के लिये, पहले तो मैंने कोशिश की कि जांच हो जाय । हमारे जिले में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, एम0 पी0 भी हैं।

35 लाख रुपया भूमि सुधार का योजना से निकाल लिया है उसका कहीं पता नहीं है। मैं चाहता हूं आप लोग धरती पर आयें और धरती की बात करें । हवा में बातें न करें ।

"पखेरू भले छत छुओ व्योम की, किन्तु तुमको धरा पे लौट आना पड़ेगा ।"

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठिये, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री बाबू राम यादव–

मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि किसानों से राजस्व की वसूली रोक दी गयी है। मैनपुरी जिले में किसानों को जेल भेजा जा रहा है और उनसे वसूली की जा रही है। इनकी बात का कोई भरोसा नहीं है । यह तो निश्चय है कि आपको जाना है । क्योंकि दीपक की लौ और तेज हो जाती है जब वह बुझने लगता है । बाजा जब बन्द होने वाला होता है तो और तेज बजता है । आपको जाना तो है लेकिन यदि आप प्रदेश को चौपट करके जायेंगे तो इससे प्रदेश का क्या भला करेंगे ?

हमारे तमाम माननीय साथियों ने कहा कि प्रदेश ने प्रगति की है, देश ने प्रगति की है। मैं कहना चाहता हूं कि चीन हमारे बाद आजाद हुआ और आज दुनिया की वह तीसरी शक्ति बन गया है और आप अभी उससे पीछे रह गये हैं । आप सबसे पहले मैनपुरी में पानी, चारे और किसानों के भोजन की व्यवस्था करा दें और वसूली को मुल्तवी करें ।

विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं पर निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं सूचना दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी ने विशेषाधिकार हनन/सदन की अवमानना के मामलों में श्री मयंकर सिंह द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 1986, श्री दिवाकर विक्रम सिंह द्वारा प्रस्तुत सूचना, दिनांक 16 जुलाई, 1987,

श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत सूचना, दिनांक 1 सितम्बर, 1987, श्री हर्षवर्धन द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 2 सितम्बर, 1987 एवं श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 4 जनवरी, 1988 पर निर्णय ले लिया है और ये सभी सूचनायें अग्राह्य कर दी गयी हैं।

इन सूचनाओं पर माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णय इस प्रकार हैं—

श्री मयंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोण्डा एवं क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर, गोण्डा द्वारा अपमानित किये जाने के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री मयंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गोण्डा एवं क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर, गोण्डा के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन एवं विधान मण्डल के सदस्यों की अवमानना की सूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 1986 को दी थी। माननीय सदस्यों ने अपनी उक्त सूचना में कहा है कि जब वे जनपद गोण्डा के पाटन देवी के दर्शनार्थ गये थे तो वहां कुण्ड के पास बने एक कक्ष में बैठे कतिपय पुलिस अधिकारियों को उनसे (माननीय सदस्य से) 15 मिनट तक प्रतीक्षा कराने के बाद भी मुलाकात न करने से माननीय सदस्य का अपमान हुआ माननीय सदस्य का यह भी कथन है कि इसके फलस्वरूप सदन तथा विधान मण्डल के सदस्यों की अवमानना तथा विशेषाधिकारों का हनन हुआ है।

इस सम्बन्ध में शासन से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। शासन के पत्र दिनांक 19 जनवरी, 1988 के माध्यम से प्राप्त जांच आख्या के अनुसार दिनांक 10 अक्टूबर, 1986 को श्री सुभाष चन्द्र गुप्त, अपर पुलिस अधीक्षक, गोण्डा, श्री यतीन्द्र दत्त त्यागी, क्षेत्राधिकारी, तुलसीपुर एवं श्री जी0 वी0 सिंह, क्षेत्राधिकारी, बलरामपुर (गोण्डा) माननीय मुख्य मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में क्षेत्राधिकारी, तुलसीपुर (गोण्डा) के कक्ष में आवश्यक गोपनीय विचार-विमर्श में व्यस्त थे। उसी समय माननीय सदस्य उक्त अधिकारियों से मिलने आए, किन्तु व्यस्तता के कारण वे माननीय सदस्य तत्काल न मिल सके तथा सूचना दे दी कि कुछ देर प्रतीक्षा कर लें। शासन के उक्त पत्र में कहा गया है कि जब विचार-विमर्श समाप्त करके श्री यतीन्द्र दत्त त्यागी विधायक जी को बुलाने बाहर आए तो ज्ञात हुआ कि माननीय विधायक जा चुके हैं और यह भी कि माननीय सदस्य की अवमानना करने का किसी अधिकारी का कोई प्रयोजन नहीं था।

माननीय सदस्य की सूचना और उसके सम्बन्ध में शासन की आख्या से यह स्पष्ट होता है कि माननीय सदस्य पाटन देवी के दर्शनार्थ वहां गए थे और क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर (गोण्डा) के कार्यालय कक्ष में भी सदन या उसकी किसी समिति से संबंधित अपने कृत्यों के निर्वहन के संबंध में नहीं गये थे। इसके अतिरिक्त वहां पर किसी अधिकारी द्वारा उनके या सदन के लिये अपमानजनक शब्द कहा गया प्रतीत नहीं होता इस प्रकार प्रश्नगत मामले में सदन अथवा उसके सदस्यों की अवमानना या विशेषाधिकार की अवहेलना अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में मैं श्री मयंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा की उक्त सूचना द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन के प्रश्न को अग्राह्य करता हूं।

जनपद आजमगढ़ में खिचड़ी आपूर्ति में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी द्वारा सुसंगत उत्तर न दिए जाने के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री दिवाकर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 16 जुलाई, 1987 को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना दी थी जिसमें माननीय सदस्य का कहना है कि जनपद आजमगढ़ में खिचड़ी आपूर्ति में हुई अनियमितताओं के संबंध में श्री रघुवर दयाल वर्मा के 10 जुलाई, 1987 को निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-6 के संबंध में माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी द्वारा सदन में यह उत्तर दिया गया है कि जिले से सूचना नहीं आई है, कि कौन जांच कर रहा है या क्या नतीजा निकला है? श्री दिवाकर विक्रम सिंह ने संबंधित सदस्य के प्रश्न से सुसंगत सूचना उपलब्ध न करने वाले अधिकारियों तथा माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री के विरुद्ध सदन की अवमानना तथा विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी है।

इस संबंध में माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई जिससे यह ज्ञात होता है कि उक्त प्रश्न से हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग संबंधित नहीं है अपितु ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित है और इस मामले में हुई अनियमितता की जांच भूमि विकास आयुक्त गोरखपुर द्वारा की जा रही थी। तदनुसार माननीय ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा उक्त विषय पर द्वितीय सत्र 1987 के चौथे शुक्रवार के लिए निर्धारित अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर सदन में दिया गया है।

उपरोक्त तथ्य के अवलोकनोपरान्त ऐसा कोई मुद्दा शेष नहीं बचता जिसके आधार पर यह कहा जाय कि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने सदन में दी जाने वाली जानकारी देने से मना किया हो अथवा ऐसा कोई किया हो जिससे सदन की अवमानना हुई हो। इसके अतिरिक्त माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री ने ऐसी कोई बात जानबूझकर नहीं की है जो असत्य हो।

इस प्रकार यह विषय सदन की अवमानना तथा विशेषाधिकार हनन की परिधि में आता हुआ प्रतीत नहीं होता है। अतः मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं।

द्वितीय सत्र 1987 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 23 की शिक्षा मंत्री द्वारा भ्रामक उत्तर दिये जाने के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री माता प्रसाद पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अंतर्गत माननीय शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दिनांक 1 सितम्बर, 1987 को दी थी। माननीय सदस्य का कथन है कि द्वितीय सत्र, 1987 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 23 का माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर सत्य से परे है तथा माननीय मंत्री ने जानबूझकर सदन को गुमराह किया है। अपने उक्त कथन की पुष्टि में माननीय सदस्य ने

श्रीमती विद्या श्रीवास्तव के पति श्री गिरजा श्रीवास्तव के पत्र दिनांक 25 अगस्त, 1987 को संलग्न करते हुए कहा है कि श्रीमती श्रीवास्तव को न तो वेतन का भुगतान किया गया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई आदेश पारित किये गये हैं।

प्रश्नगत मामले में माननीय शिक्षा मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी। माननीय मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 1987 में, सदन में दिये गये अपने उत्तर पर बल देते हुए, कहा है कि चूंकि दिनांक 1 सितम्बर, 1987 तक श्रीमती श्रीवास्तव के माह, फरवरी, 1987 के वेतन का भुगतान नहीं किया गया था, अतएव माननीय सदस्य द्वारा शासन के उत्तर को सदन को गुमराह करने वाली सूचना बताया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वेतन का भुगतान एक वित्तीय प्रक्रिया है जिसको समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्य होती है तथा उसमें समय लग सकता है। माननीय मंत्री के पत्र के अनुसार शिक्षा निदेशालय द्वारा नियमानुसार भुगतान के आदेश जारी किये गये थे और इसी आशय की सूचना सदन को शासन द्वारा दी गयी थी जिससे माननीय सदस्य की सूचना न तो अवक्रमित होती है और न ही मिथ्या सिद्ध होती है, क्योंकि शासन द्वारा यह नहीं कहा गया था कि श्रीमती श्रीवास्तव के वेतन का भुगतान कर दिया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री ने आगे यह भी कहा है कि श्रीमती श्रीवास्तव के माह फरवरी, 1987 के वेतन का भुगतान दिनांक 3 नवम्बर, 1987 को कर दिया गया है तथा इसकी पुष्टि में श्रीमती श्रीवास्तव की वेतन प्राप्ति की रसीद की प्रतिलिपि भी उन्होंने मुझे भेजी है।

माननीय सदस्य की उक्त सूचना तथा माननीय शिक्षा मंत्री से प्राप्त जानकारी का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा सदन में दिया गया उत्तर न तो मिथ्या है और न ही सदन को गुमराह करने वाला है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में मैं इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में बैठने की अनुमति नहीं देता हूं।

द्वितीय सत्र 1987 के दूसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 147 का स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी द्वारा भ्रामक उत्तर दिए जाने के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री हर्ष वर्धन, सदस्य विधान सभा ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री लोकपति त्रिपाठी के विरुद्ध प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत दिनांक 2 सितम्बर, 1987 को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की एक सूचना वर्ष, 1987 के द्वितीय सत्र के दूसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 147 के उत्तर के संबंध में दी है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उक्त प्रश्न का यह उत्तर दिया गया था कि "मुख्य चिकित्सा अधिक्षिका, महिला अस्पताल, गोरखपुर को यह निर्देश दिए गये हैं कि यह एक महिला चिकित्साधिकारी को सप्ताह में तीन दिन महिला चिकित्सालय फरेन्दा में अग्रिम आदेश तक उपचार हेतु भेजें। माननीय सदस्य का कथन है कि माननीय मंत्री के सदन में उक्त स्पष्ट उत्तर के

बावजूद प्रश्नगत सूचना दिए जाने की तारीख तक किसी भी सप्ताह में तीन दिन तक कोई महिला चिकित्सक, महिला चिकित्सालय, फरेन्दा में उपचार हेतु नहीं गयी। अतः माननीय सदस्य का यह मानना है कि माननीय मंत्री के उक्त उत्तर तथा वस्तुस्थिति में यह अंतर सदन की अवमानना का स्पस्ट मामला है ।

प्रश्नगत मामले में माननीय स्वास्थ्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी। माननीय मंत्री ने अपने पत्र में यह अवगत कराया है कि महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से करायी गयी जांच के अनुसार गोरखपुर जनपद के फरेन्दा स्थित चिकित्सालय में सप्ताह में तीन दिन (सोमवार, बुधबार एवं शुक्रवार) महिला चिकित्सा-धिकारी उपचार हेतु जाती है ।

संदर्भित प्रश्नोत्तर, माननीय सदस्य की सूचना और उसके बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री के स्पष्टीकरण का अध्ययन करने पर प्रश्नगत मामले में सदन की अवमानना या विशेषाधिकार-हनन का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में मा0 स्वास्थ्य मंत्री के उक्त उत्तर में उल्लिखित निर्देशों को गलत नहीं बताया है, बल्कि उन निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में आपत्ति की है।

अतः मैं श्री हर्षवर्धन, सदस्य, विधान सभा की इस सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार, सदस्य विधान सभा के सम्बन्ध में कांग्रेस (आई) विधान दल के नेता द्वारा जानकारी समय से उपलब्ध न कराये जाने के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री जयदीप सिंह बरार, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम-3(1) और 5(1) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर कांग्रेस (आई) विधान दल के नेता द्वारा अपेक्षित जानकारी एवं सूचना उपलब्ध न कराये जाने के आधार पर उनके विरुद्ध विशेषाधिकार-भंग की सूचना दिनांक 4 जनवरी, 1988 को दी है। माननीय सदस्य का कथन है कि कांग्रेस (आई) विधान दल के नेता ने उक्त नियमावली को प्रभावी होने के 30 दिन के भीतर माननीय अध्यक्ष को नियम-3 के उप नियम (1) के उपखण्डों (क), (ख), (ग) तथा (घ) में उल्लिखित कतिपय बिन्दुओं के संबंध में अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं करायी, और न ही समय बढ़ाने की अनुज्ञा मांगी, और इसी प्रकार उक्त नियमावली के नियम 5(1) के अन्तर्गत भी 8 दिसम्बर 1987 तक की निर्धारित अवधि में उन्होंने कोई सूचना नहीं दी, अतः वे भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा-8 के उप-पैरा (3) के अन्तर्यत विधान सभा के विशेषाधिकार-भंग के दोषी हो गये हैं।

प्रश्नगत मामला दिनांक 4 जनवरी, 1988 को सदन में भी श्री बरार द्वारा उठाया गया था जिसपर पीठासीन अधिष्ठाता ने बाद में निर्णय दिए जाने की घोषणा की थी । उसके पश्चात् संगत अभिलेखों का अवलोकन करने पर मुझे विदित हुआ कि मा0 मुख्य मंत्री के पत्र दिनांक 2-1-88 द्वारा उपरोक्त सूचनायें प्रस्तुत करने हेतु "कुछ अतिरिक्त समय" दिये जाने का अनुरोध किया था। सदन के विभिन्न विधान दलों के नेताओं और

सदस्यों की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए दिनांक 5 जनवरी, 1988 के उपवेशन में मैंने भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत बनायी गयी उक्त नियमावली की अपेक्षानुसार विधान के नेताओं एवं सदस्यों द्वारा सूचनायें आदि उपलब्ध कराये जाने की तिथि 31 जनवरी, 1988 तक बढ़ाये जाने की घोषणा की थी। तदोपरान्त मा0 नेता विरोधी दल, श्री सत्यपाल सिंह के पत्र दिनांक 23-1-88 में किये गये अनुरोध के आधार पर सदन के ऐसे सभी सदस्यों एवं विधान दलों के नेताओं, जिनसे उक्त नियमावली के अन्तर्गत सूचनायें/विवरण उक्त तिथि तक प्राप्त नहीं हो सके, द्वारा अपेक्षित सूचनायें प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि मैंने दिनांक 29-2-1988 तक बढ़ा दी है। इसके फलस्वरूप श्री बरार द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार-भंग का उक्त प्रश्न निष्प्रभावी हो गया है, और मैं उसे उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

श्रीमन्, माननीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, उनकी बात शिरोधार्य है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं कई बार इस मुद्दे को उठा चुका हूं कि हमेशा ऐसा होता रहा है और यह सदन की परम्परा रही है कि सदन में हम लोग कोई विशेषाधिकार की सूचना देते हैं तो सूचना देने के बाद हम लोगों को सदन में सुनने का मौका दिया जाता रहा है। लेकिन लगभग डेढ़ साल से हम लोगों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिलता है और निर्णय हो जाया करता है। मैं यह पहले भी कह चुका हूं माननीय अध्यक्ष जी से और आपसे भी निवेदन कर चुका हूं और इस सदन में भी कह रहा हूं कि सदन की जो परम्परा रही है कि सदन में हमको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जाना चाहिये, हमको अपना पक्ष प्रस्तुत न करने देने का इसमें कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, उस दिन जब माननीय अध्यक्ष जी ने प्रतिपक्ष के नेताओं की बैठक बुलायी थी, उस दिन भी माननीय अध्यक्ष जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया था कि इस तरह से हम लोगों को बिना सुने हमारी सूचनायें अस्वीकार हो जाती हैं, उस पर पुनर्विचार किया जाय। हम लोग जो सूचना देते हैं उसके बाद हमको एक बार भी मौका नहीं मिलता है अपनी बात को कहने का। अन्त में यह हुआ था कि फैसला देने के पहले हमको सुना जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

उस दिन इस पर विचार जरूर हुआ था लेकिन निर्णय कुछ नहीं हुआ था। जो आप लोगों की भावनायें हैं उसे हम माननीय अध्यक्ष जी के पास पहुंचा देंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 27-2-88 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसे शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिये स्वीकार किया गया है । श्री जयदीप सिंह बरार की सूचना जो कि प्रदेश के श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकर्षित करने का निर्णय ले लिया गया है और शेष जो चार सूचनायें हैं, उन्हें अस्वीकार किया गया है ।

अब हम उठते हैं, सोमवार के पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 7 मिनट पर सोमवार, दिनांक 29 फरवरी, 1988 अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
27 फरवरी, 1988

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी0एस0यू0पी0–एल0 427 विधान सभा (749)–1988–813 ।